रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/94

REGISTERED NO. DL—33001/94

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 25, 1994 (आषाढ़ 4, 1916)

No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 25, 1994 (ASADHA 4, 1916)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधियां नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	485
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . .	587
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और सांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . .	3
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1225
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	*
भाग II—खण्ड 1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) . . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, निर्यंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . . .	643
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस . .	945
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अन्य द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	3259
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस . .	91
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक .	*

*पृष्ठांक प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	485
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	587
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.	3
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1225
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION—4 Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	643
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	545
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3259
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private bodies.	91
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.	*

* *Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 जून, 1994

सं० 60-प्रेज/94—राष्ट्रपति असम पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सदर अली,
पुलिस उप-निरीक्षक,
लखीमपुर,
असम ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 14-8-1992 की रात को बोगी नदी पुलिस चौकी के प्रभारी उप-निरीक्षक सदर अली को सूचना प्राप्त हुई कि-आलोक उर्फ अमृत गोगाई के नेतृत्व में उल्फा विद्रोहियों का एक समूह, सुबन सीरी नदी के नजदीक कुहियार गांव में आया हुआ है और वहां रात बिताने के लिए शरण लिए हुए है। उस समय श्री सदर अली के पास केवल 5 होम गार्ड के जवान थे, और वाहन कोई भी नही था, लेकिन उन्होंने और बलों को बुलाने या पुलिस वाहन का इन्तजार करने में यह सोचकर समय नष्ट नही किया कि समय बरबाद करने से विद्रोही भाग सकते हैं। उन्होंने तत्काल सभी होम गार्डों को एकत्र किया और एक सिविलियन ट्रक में, कुहियार बारी गांव के पीछे की ओर स्थित चोडलधुआ घाट पहुंचे।

श्री सदर अली और उनके कार्मिक राउण्ड अबाउट रास्ते से गांव में पहुंचे और रतुल हजारिका के घर की घेराबंदी कर दी, जहां विद्रोहियों ने शरण ली हुई थी। घर की घेराबंदी करने के बाद, उपनिरीक्षक सदर अली ने विद्रोहियों की चुनौती का इन्तजार किए बिना, जिससे कि विद्रोहियों को हमले का सामना करने का पर्याप्त समय मिल जाता, रेंगते हुए दरवाजे तक पहुंचे और घर के अंदर गोलियां चलाईं। दल के नेता आलोक बरूआ अचरज में पड़ गए परन्तु इसके बावजूद उसने एक एच०ई०-36 हथगोला निकाला और उसे उप-निरीक्षक सदर अली पर फैंकने के लिए पिन निकालने लगा। हथगोले के फट जाने के खतरे का अन्दाजा लगाकर, उप-निरीक्षक सदर अली आलोक बरूआ पर झपट पड़े और उसे दबोच लिया तथा हथगोला उससे छीनकर निष्क्रिय कर दिया। इसी बीच होम गार्ड के अन्य कार्मिकों ने दल के दो अन्य सदस्यों को पकड़ लिया, जो अन्य कमरों में सो रहे थे। इन तीन विद्रोहियों की, जो गिरफ्तार होने से अपने आपको बचाने की कोशिश कर रहे थे, आलोक बरूआ उर्फ अमृत गोगाई, हरेन सैकिया उर्फ पुतुल सैकिया और खिरोड़े गोगाई उर्फ विक्रम फूकन के रूप में शिनाख्त की गई। विद्रोहियों से 38 राउण्ड वाली 2 मैगजीनों सहित एक ·30यू० एस० कारबाईन, 2 एग० बी० बी० एल० बन्दूकें, 12 बोर के 12 राउन्ड कारतूस और 2 आइस एच० ई० 36 हथगोले बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री सदर अली, पुलिस उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 14-8-92 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 61-प्रेज/94—राष्ट्रपति असम पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री रोबिन सैकिया, (मरणोपरान्त)
पुलिस उप-निरीक्षक,
जिला-जोरहाट,
असम ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 8-9-1992 को करीब 10.30 बजे पूर्वाह्न, राजाबहार और फुकनघाट गांव बोरहुल्ला नामक गांव के,

श्री रंजन छतिया के घर दो अज्ञात व्यक्ति आए और उन्होंने उनसे मोटर साईकिल, चाबी और कागजात सहित मांगी। इनकार करने पर, वे व्यक्ति दोपहर बाद में देख लेने की धमकी देकर चले गए। श्री छतिया उसी दिन शाम को 6.00 बजे पुलिस स्टेशन गए और एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। एक पुलिस दल (उप निरीक्षक रोबिन सैकिया सहित) घटना स्थल की ओर जाने को तैयार हो गया। पुलिस दल तैय्यार हो ही रहा था कि एक अभियुक्त मोटर साईकिल पर, पुलिस स्टेशन के सामने की सड़क से गुजरा, तत्क्षण, श्री छतिया ने पुलिस दल को इशारा कर दिया और उन्होंने तेजी से उसका पीछा किया।

पुलिस स्टेशन से लगभग दो किलोमीटर दूर मोरेनगांव नामक गांव के नजदीक पुलिस अभियुक्त से आगे निकलने में सफल हो गयी। अपराधी मोटर साईकिल से गिर पड़ा लेकिन वह तुरन्त ही पास के धान के खेत की ओर भाग गया। दल के अन्य दो सदस्यों को वहां छोड़कर, श्री सैकिया अपराधी के पीछे भागे। पुलिस दल भी पीछे-पीछे दौड़ा किन्तु समय पर उनके पास तक नहीं पहुंच पाया। पुलिस दल ने अपराधी को रुकने के लिए कई बार ललकारा, किन्तु कोई लाभ नहीं हुआ।

इसी बीच, श्री सैकिया ने अपराधी को पकड़ लिया और अद्भुत साहस का प्रदर्शन करते हुए पानी से भरे हुए नाले में उसके साथ गुत्थम-गुत्था हो गए और उसे लगभग दबोच ही लिया। तब अपराधी ने अपनी पिस्तौल निकाली और नजदीक से श्री सैकिया की छाती पर गोली चला दी और इस प्रकार उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। अपराधी को पकड़ने में पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए आए एक ग्रामवासी पर अपराधी ने दो और गोलियां चलाईं। उसके नितम्ब पर गोली लगी। अपराधी, अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया। घायल व्यक्ति को उपचार के लिए तुरन्त जोरहाट सिविल अस्पताल ले जाया गया।

इस मुठभेड़ में श्री रोबिन सैकिया, पुलिस उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8-9-1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 62-प्रेज/94—राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री राम सकल प्रसाद सिंह,
पुलिस सहायक उप-निरीक्षक,
कोतवाली पुलिस थाना,
पटना।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 13/14.1.1991 के बीच की रात में सहायक उप-निरीक्षक श्री राम सकल प्रसाद सिंह, 5 होम गार्ड के जवानों सहित रात्रि-गश्त पर थे। जब वे जीप में जा रहे थे तो उन्हें एक वायरलैस संदेश द्वारा सतर्क किया गया कि भारी मात्रा में बमों और पिस्तौलों से लैस, कुख्यात अपराधियों का एक दल बुद्धकालोनी पुलिस पार्टी पर बम फैंक रहा है। श्री सिंह ने तत्काल कार्रवाई की, और भाग रहे अपराधियों को रोकने के लिए अपने ड्राईवर को घटना स्थल की ओर चलने के लिए कहा। जैसे ही वे पटना महिला कालेज के गेट के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने जीप की रोशनी में देखा कि आतताइयों का एक दल पश्चिम से आ रहा है। उसने तत्काल अपने ड्राईवर से जीप रोकने को कहा और एक दम जीप से छलांग लगाई, अपनी सर्विस रिवाल्वर निकाली और अपराधियों पर झपटने के लिए उनकी ओर दौड़े तथा अपने कार्मिकों को अपने पीछे आने का इशारा किया। अपराधियों ने श्री सिंह को निर्भीकता पूर्वक अपने पीछे आता देखकर, सहायक उप-निरीक्षक पर बम फैंके और पिस्तौल से गोलियां चलाईं। सबसे आगे चल रहे श्री सिंह गोलाबारी की चिनगारियों से बुरी तरह घायल हो गए। अचानक हुए हमले से वे अब भी स्तब्ध थे परन्तु बाद में उन्होंने स्थिति के अनुसार अपने आप को संभाल लिया। इस बात को महसूस करते हुए कि उनका जीवन खतरे में है, श्री सिंह ने घायल होने के बावजूद, दल के प्रमुख की ओर निशाना साधते हुए अपने रिवाल्वर से 6 राउन्ड गोलियां चलाईं। अन्त में श्री सिंह अपने लक्ष्य में सफल हुए क्योंकि दल का प्रमुख उनकी गोलियों का शिकार हो चुका था और जब दल के दूसरे सदस्यों ने अपने सरदार को गोलियों का शिकार होते हुए देखा तो वे होश-हवास खोकर इधर-उधर भाग गए।

इस मुठभेड़ में श्री राम सकल प्रसाद सिंह, सहायक उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 14.1.91 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 63-प्रेज/94—राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री श्रवण कुमार,
पुलिस उप-निरीक्षक,
रांची।

श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह,
कांस्टेबल/ड्राईवर,
रांची ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 8 जुलाई, 1991 को दो नामी अपराधी, नामतः अशोक कुमार उर्फ मुन्ना सिंह और भैया श्याम ने श्री ललित कुमार शर्मा से रांची ट्रेजरी के सामने एक भीड़भाड़ वाले स्थान पर रिवाल्वर दिखाकर 1,28,645 रु० (एक लाख अट्ठाईस हजार, छः सौ पैंतालिस रुपये) से भरा एक ब्रीफ केस छीन लिया और स्कूटर पर भाग गये जिसको एक अन्य नामी अपराधी चला रहा था । श्री एल० के० शर्मा और उनके साथियों ने एक वाहन में अपराधियों का पीछा किया, जिसको ड्राईवर कांस्टेबल बी० के० सिंह चला रहे थे, इन लोगों को घटना स्थल पर पहुंचने पर घटना के बारे में बताया गया था । इस प्रक्रिया के दौरान अपराधियों ने अपना संतुलन खो दिया और स्कूटर से नीचे गिर पड़े लेकिन उन्होंने वहां से भागना शुरू कर दिया । ड्राईवर कांस्टेबल बी० के० सिंह और श्री शर्मा ने पीछा करना जारी रखा । श्री श्रवण कुमार उप-निरीक्षक ने पूर्व दिशा की ओर से मोटर साईकिल पर आ कर बूटा तलाब चौक के निकट अपराधियों को टोका जिन्होंने जवाब में अपना पीछा कर रही कार की ओर और उप-निरीक्षक श्रवण कुमार की दिशा में भी अंधाधुंध गोलियां चलाना आरम्भ कर दिया । श्री श्रवण कुमार ने भी जवाब में अपराधियों की तरफ अपनी सर्विस रिवाल्वर से गोलियां चलाई परन्तु निशाना चूक गया । इस अवसर पर, उप-निरीक्षक श्रवण कुमार कूद पड़े और उन्होंने उनमें से एक अपराधी को पकड़ लिया और उसको दबोच लिया । दूसरा अपराधी अपना रिवाल्वर वहीं पर फेंक कर बच कर भाग निकलने में सफल हो गया ।

पूछताछ करने पर अपराधी ने अपना नाम अशोक कुमार सिंह उर्फ मुन्ने सिंह और दूसरे अपराधी, जो भागने में सफल हो गया था, का नाम भैया श्याम बताया । प्रत्यक्षदर्शियों के समक्ष तलाशी लेने पर एक भरी हुई दोनाली पिस्तौल, दो भरे हुए कारतूस, लूटा गया ब्रीफ केस, पूरी रकम के साथ तथा दूसरे अभियुक्त द्वारा फेंका एक भरा हुआ रिवाल्वर बरामद किया गया । अपराध के लिए प्रयोग में लाया गया स्कूटर, जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर-बी० आई० एन०-3741 था, भी जब्त किया गया । स्कूटर का वास्तविक नम्बर बी० पी० वाई-6427 था जो श्री राजीव कुमार शर्मा नामक व्यक्ति से और अभियुक्तों द्वारा पहले ही लूट लिया गया था ।

उप-निरीक्षक श्रवण कुमार द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई तथा ड्राईवर कांस्टेबल बी० के० सिंह द्वारा उन्हें दिए गए सक्रिय सहयोग से अपराधियों के कुप्रयास को विफल कर दिया गया जिसके फलस्वरूप उनमें से एक अपराधी को पकड़ने, लूटा गया ब्रीफ केस, चुराया हुआ स्कूटर और अवैध शस्त्र और गोला बारूद बरामद करने में सफलता मिली ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री श्रवण कुमार, पुलिस उप-निरीक्षक तथा बीरेन्द्र कुमार सिंह कांस्टेबल (चालक) ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 जुलाई, 1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 64-प्रेम 94—राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री राकेश कुमार मिश्रा,
पुलिस अधीक्षक,
भभुआ ।

श्री एंजिलस इंदवार,
पुलिस उपाधीक्षक
कैमूर ।

श्री बच्चा सिंह,
उप-निरीक्षक,
थाना—चैनपुर ।

श्री नरेन्द्र प्रसाद सिंह,
उप-निरीक्षक,
थाना—भभुआ ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 8 फरवरी, 1992 को लगभग 4.15 बजे सायं श्री एंजिलस इंदवार, पुलिस उपाधीक्षक को सूचना मिली कि पर्वतपुर गांव के श्री नगेन्द्र सिंह और सिरसी गांव के श्री मीनुद्दीन मियां का कुछ उग्रवादियों द्वारा लगभग 1.30 बजे अपराह्न सोनाबो नाहर गांव से अपहरण कर लिया गया है और कि अपहरणकर्ता कैमूर पहाड़ियों की तरफ चले गए हैं । छापा मारने वाले एक दल का गठन करके, जिसमें ए० एस० आई० नरेन्द्र प्रसाद सिंह और अन्य पुलिस-कर्मी भी शामिल थे पुलिस उपाधीक्षक श्री इंदवार घटना स्थल की ओर रवाना हो गए और रास्ते में उन्होंने 2 होमगार्डों

को भी अपने साथ ले लिया। घटना स्थल पर उन्हें निरीक्षक के० पी० सिन्हा, उप-निरीक्षक, बच्चा सिंह, उप-निरीक्षक धर्मा और अन्य पुलिस-कर्मी अपहर्ताओं को पकड़ने और अपहृत ग्रामवासियों को बरामद करने के लिए रणनीति बनाने संबंधी प्रश्न पर चर्चा करते हुए मिले। इसी बीच श्री आर० के मिश्रा, पुलिस अधीक्षक अपने अंगरक्षक कांस्टेबल और एक ए० एस० आई० के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने स्थिति की समीक्षा की।

इसी बीच पहाड़ियों की ओर से लौटे एक ग्रामवासी ने पुलिस को बताया कि लगभग 30-40 अपराधी, अपहृत ग्रामवासियों के साथ पहाड़ियों की ओर जाते देखे गए। और सूचना मिलने पर यह स्पष्ट हुआ कि अपहर्ता दो लाख रुपए और श्री एन०बी० सिंह की लाइसेंसी बंदूक और कुछ अन्य हथियार एवं गोली बारूद की मांग कर रहे थे। इन मांगों को पूरा न किए जाने पर श्री एन० बी० सिंह को कत्ल कर दिया जाएगा और उनकी लाश को सड़क पर फेंक दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस बल को तीन भागों में बंटवाया जिससे कि अपराधी बचकर न जाने पाएं या फिर पास के गांव में शरण न लेने पाएं। निरीक्षक के० पी० सिन्हा और उप-निरीक्षक के० डी० शर्मा और शस्त्र बल की एक टुकड़ी को पर्वतपुर गांव की ओर बढ़ने का निर्देश दिया और साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि अपहर्ताओं को न तो फिरौती और न ही लाइसेंसी हथियार दिए जाएं। ए० एस० आई० कामता प्रसाद सिंह के अधीन दल सं० 2 और कुछ अन्य सशस्त्र बल को लोहड़ा गांव के लिए तैनात किया गया। जिससे कि अपहर्त्ता किसी निश्चित स्थान को वापस न लौट पाएं।

पुलिस उपाधीक्षक इंदवार, उप-निरीक्षक बच्चा सिंह, उप-निरीक्षक नगेन्द्र प्रसाद सिंह और कुछ अन्य पुलिस कर्मियों के साथ श्री आर० के० मिश्रा, पुलिस अधीक्षक उस लाइन की ओर बढ़े जिसके साथ-साथ अपहर्त्ताओं के जाने की सूचना मिली थी। कुदनडीह पहुंचने पर कुछ चरवाहों ने पुलिस दल को बताया कि अपहर्त्ता दक्षिण की ओर गए है। अंततः लम्बी दूरी तय करने और जिगनी गांव पहुंचने के बाद पुलिस दल ने कुछ 5 या 6 झोपड़ियों और कुछ व्यक्तियों को पुलिस वर्दी में देखा। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने अपने दल के कार्मिकों को झोपड़ियों का घेरा डालने के लिए चेताया और अपराधियों पर आत्मसमर्पण के लिए दबाव डालने के लिए एक बर्स्ट फायर का आदेश दिया। चेतावनी की चिंता किए बिना अपराधी बीच वाली झोपड़ी के पास अपहृत व्यक्तियों को घेर कर खड़े रहे।

पुलिस अधीक्षक श्री आर० के० मिश्रा ने अपने बल को, अपराधियों की प्रभावी रूप से घेराबन्दी करने के लिए दक्षिण दिशा से रेंगकर जाने का आदेश दिया। पुलिस को आता देखकर अपराधियों ने भी पोजीशन ले ली और उन्होंने पुलिस पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। आत्म-समर्पण करने की पुलिस की चेतावनी का भी कोई असर विद्रोहियों पर नहीं हुआ। पुलिस अधीक्षक, श्री आर० के० मिश्रा ने अपने दल के कार्मिकों को आत्मरक्षा में गोली चलाने का आदेश दिया जिसके उत्तर में अपराधियों ने एक बम फेंका जिसके फटने से बड़े जोर की आवाज हुई और बहुत धूआं फैला। इसके बावजूद पुलिस दल ने अपना संयम नहीं खोया और श्री बच्चा सिंह ने अपनी सर्विस रिवाल्वर से गोली चलाई और इसके बाद ही श्री ए० इंदवार, पुलिस उपाधीक्षक ने भी गोली चलाई। अपने आप को आमने-सामने पाकर अपराधियों ने मोर्चा छोड़ दिया और उनमें से कुछ भागने लगे। दूसरी ओर कुछ अपराधी अब भी पुलिस दल पर गोलियों की बौछार कर रहे थे। अन्य कोई विकल्प न पाकर, पुलिस अधीक्षक ने अपने कर्मियों को गोली चलाते हुए रेंगकर आगे बढ़ने का आदेश दिया जिससे कि अपहृत व्यक्तियों को छुड़ाया जा सके। उन्होंने अपने दल के कर्मियों को गोलीबारी जारी रखने का भी आदेश दिया जोकि एक घन्टे से अधिक समय तक चलती रही जिसके बाद दूसरी ओर से गोलीबारी रुक गई। पुलिस द्वारा लगातार की जा रही गोलीबारी से अपराधियों में अफरा-तफरी मच गई और जंगल तथा ऊंची-नीची भू-आकृति का लाभ उठाकर वे भाग निकले। पुलिस दल द्वारा उनका पीछा किया गया लेकिन उनका कोई पता नहीं लगा। गोलीबारी के स्थान पर 4 लाशें पाई गई तथा भारी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद एवं आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। पुलिस द्वारा अपराधियों के चंगुल से दोनों अपहृत ग्रामवासियों को सुरक्षित बचा लिया गया।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री राकेश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक, एंजिलस इंदवार, पुलिस उपाधीक्षक, बच्चा सिंह, उप-निरीक्षक और नरेन्द्र प्रसाद सिंह, उप-निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 फरवरी 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 65-प्रेज 94—राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री अलोक राज,
सहायक पुलिस अधीक्षक,
पटना शहर।

श्री इन्दुभूषण प्रसाद,
पुलिस निरीक्षक,
जिला पटना।

श्री जनार्दन प्रसाद सिंह,
पुलिस निरीक्षक,
जिला पटना ।

श्री राजकुमार करण,
पुलिस उप-निरीक्षक,
जिला पटना ।

श्री सकलू राम,
पुलिस उप-निरीक्षक,
थाना—आलमगंज ।

श्री जगदीश महतो,
सहायक पुलिस उप-निरीक्षक,
थाना—आलमगंज ।

श्री राम भूषण शर्मा,
कांस्टेबल,
जिला—पटना ।

श्री सूरज कुमार सिंह,
कांस्टेबल,
पटना शहर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 13 अप्रैल, 1992 को करीब 10.00 बजे निरीक्षक इन्दुभूषण प्रसाद को सूचना प्राप्त हुई कि बड़ी पतन देवी के नजदीक श्री लाली प्रसाद के खाली घर में कुछ कुख्यात अपराधी एकत्र हुए है तथा वे आस-पास में डकैती जैसा जघन्य अपराध करने की योजना बना रहे हैं । रास्ते में, उन्होंने श्री आलोक राज, सहायक पुलिस अधीक्षक, को भी इसकी सूचना दी जो उपलब्ध बल सहित अपराधियों के एकत्र होने के स्थान की ओर तुरन्त रवाना हो गए । करीब 10.30 बजे वहां पहुंचने पर श्री आलोक राज ने स्थिति का आकलन किया और पुलिस दल को टुकड़ियों में बांट दिया । पहला दल, जिसका नेतृत्व श्री आलोक राज कर रहे थे, में निरीक्षक जनार्दन प्रसाद, उप-निरीक्षक राजकुमार करण, हवलदार, लक्ष्मण यादव, कांस्टेबल राम भूषण शर्मा और कांस्टेबल ड्राईवर सूरज कुमार सिंह शामिल थे। निरीक्षक इन्दुभूषण प्रसाद के नेतृत्व वाले दूसरे दल में उप-निरीक्षक सकलू राम, उप-निरीक्षक जगदीश महतो, हवलदार गोस्वामी; कांस्टेबल अग्निदेव सिंह, कांस्टेबल राम गणेश यादव और ड्राईवर कांस्टेबल, कामेश्वर सिंह शामिल थे । 5–6 संदिग्ध व्यक्तियों को घर के निकट देखकर, पुलिस ने घर को घेर लिया । श्री आलोक राज और उनके दल ने पूर्व की तरफ मोर्चा संभाला जबकि उन्होंने निरीक्षक इन्दु-भूषण प्रसाद और उनके दल को पश्चिमी दिशा में घर को घेर लेने को कहा । जिस समय श्री आलोक राज और उनके साथी मोर्चा संभाल रहे थे और अपराधियों को समर्पण करने के लिए कहने की योजना बना रहे थे तो एक अपराधी ने एक गोली चलाई जो कांस्टेबल राम भूषण शर्मा के पैर में लगी जो तुरंत गिर पड़े । अपने साथियों और स्वयं को निकट परिस्थिति में पाकर, श्री आलोक राज ने अपने सर्विस-रिवाल्वर से एक राउण्ड गोली चलाई जो अपराधियों को लगी। बचकर भागने का कोई रास्ता न पाकर अपराधियों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दीं और घर की पश्चिमी ओर बढ़े । जब उनका सामना दूसरे पुलिस दल से हुआ तो अपराधियों ने निरीक्षक इन्दुभूषण प्रसाद पर गोली चलाई, जो सौभाग्यवश सुरक्षित बच गए । उन्होंने तुरन्त मोर्चा संभाला और अपराधियों पर गोलियां चलायीं । स्वयं को पुलिस के घेरे में पाकर अपराधियों ने दोनों ओर से अंधाधुंध गोली-बारी करना जारी रखा । छापा मारने वाले पुलिस दलों ने भी प्रभावकारी ढंग से जवाबी गोली-बारी की तथा भाग रहे अपराधियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा । भारी गोलीबारी के बीच बचकर भागने के उद्देश्य से कुछ अपराधी घर की छत पर चढ़ गए तथा कुछ अपराधी उत्तरी लेन से होकर बच कर भाग गए । थोड़ी देर के बाद अपराधियों की ओर से गोली-बारी रुक गई तथा घर की जांच करने के बाद, दो अपराधी मरे हुए पाए गए ।

श्री आलोक राज के निर्देश पर शहर के नियंत्रण कक्ष को संदेश प्रसारित कर दिया गया कि कुछ अपराधी बच कर भाग निकल गए है तथा वे गंगा सेतु की ओर भाग रहे हैं तथा उनको गिरफ्तार करने के लिए उनका पीछा किया जाए । निरीक्षक इन्दुभूषण प्रसाद तथा अन्य पुलिस कार्मिकों को जब यह पता लगा कि अपराधियों और चल गश्त लगाने वाले दल के बीच विस्कोमैनम के निकट गोली-बारी हो रही है तो वे भी गंगा पुल की ओर चल पड़े । वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि दो और अपराधी भी मारे गए है तथा उनके निकट कुछ शस्त्र और गोला बारूद पड़ा हुआ है ।

इस मुठभेड़ में चार खूंखार अपराधी मारे गए बाद में जिनकी पहचान शिवा महतो, परमेश्वर तनवा, तालिब इकबाल और मौहम्मद शाहदाब के रूप में की गई । घटनास्थल से कुल मिला कर, चार देसी पिस्तौल, 4 खाली कारतूस तथा 7 अनप्रयुक्त कारतूस, 315 और 8 मि० मी० के कारतूस तथा कुछ नकदी, बरामद हुई ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री आलोक राज, सहायक पुलिस अधीक्षक, आई० बी० प्रसाद, निरीक्षक, जे० पी० सिंह, निरीक्षक, आर० के० करण, उप-निरीक्षक, सकलू राम, उप-निरीक्षक, जगदीश महतो, सहायक उप-निरीक्षक, आर० बी० शर्मा कांस्टेबल और सूरज कुमार सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 13 अप्रैल, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 66-प्रेज 94—राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

डा० अशोक कुमार वर्मा,
पुलिस अधीक्षक,
जिला—सीवान ।

श्री राजेन्द्र सिंह,
पुलिस निरीक्षक,
मैरवा,
जिला—सीवान ।

श्री बीरेन्द्र नाथ तिवारी,
पुलिस उप-निरीक्षक,
जिला—सीवान ।

श्री कैलाश राम,
पुलिस सहायक उप-निरीक्षक,
जिला—सीवान ।

श्री गोपाल पासवान,
सार्जेन्ट मेजर,
जिला—सीवान ।

श्री आनन्द शंकर प्रसाद,
सार्जेन्ट,
जिला—सीवान ।

श्री राजेन्द्र सिंह
कांस्टेबल,
बी० एम० पी०—6,
मुजफ्फरनगर ।

श्री सुरेण प्रसाद यादव,
कांस्टेबल,
जिला—सीवान ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 17 अप्रैल, 1992 को लगभग 14.30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि अन्तर्राज्यीय कट्टर सशस्त्र अपराधी लाल बाबू भगत और उसके गिरोह के सदस्य, गांव-पटावन, पुलिस स्टेशन—गुठाणी, जिला—सीवान के एक एकान्त स्थान पर एकत्र हैं । यह भी सूचित किया गया था कि अपराधियों की योजना कोई बड़ी वारदात करने की है । पुलिस अधीक्षक को इस बारे में सूचित करने के उपरान्त श्री राजेन्द्र सिंह, निरीक्षक कुछ अन्य पुलिस कर्मियों के साथ गांव, पटावन की ओर रवाना हो गए और लगभग 15.15 बजे गांव के बाहर पहुंच जाने पर उन्होंने 7-8 सशस्त्र अपराधियों को आम के एक घने बाग में अपराध करने की योजना बनाते देखा । उन्होंने पुलिस दल को सावधान किया और अपराधियों को ललकारा लेकिन अपराधियों ने पुलिस दल पर अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया । पुलिस और अपराधियों के बीच भीषण सशस्त्र मुठभेड़ शुरू हो गई जो लगभग एक घंटे तक चली तथापि किसी भी पक्ष से कोई हताहत नहीं हुआ । दो अपराधी बन्दूक सहित बचकर भाग गए और पुलिस पर लगातार गोली चलाते हुए वे जबरदस्ती श्री जगदीश मिश्रा के मकान में छिप गए । सार्जेन्ट मेजर श्री गोपाल पासवान ने बहुत चतुराई से उस घर के चारों ओर सशस्त्र बल तैनात किए, जिसमें अपराधी शरण लिए हुए थे और ऐसा करने में उन्हें अपराधियों की ओर से अंधाधुंध गोलीबारी का सामना करना पड़ा । अफरातफरी फैलाने और बचकर भाग निकलने के उद्देश्य से अपराधियों ने घर के एक हिस्से में आग लगा दी ।

श्री ए० के० वर्मा, पुलिस अधीक्षक ने, जिन्होंने अपराधियों का पता लगाने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई थी तथा जिन्होंने उक्त गांव में पहुंचने पर स्थिति का नियंत्रण कार्य अपने हाथ में लिया, तुरन्त ही आग पर काबू पाने के लिए जरूरी उपाय किए और साथ ही अपने कर्मियों को तैनात किया । वे घर की छत पर चढ़ गए और उन्होंने गोलीबारी का जवाब गोलीबारी से दिया । साथ ही घर के अन्दर की जानकारी भी उन्होंने प्राप्त की । अपराधी, पुलिस दल पर रणनीतिक महत्व के स्थानों से, अपनी पोजीशन बदल-बदल कर गोलियां चला रहे थे । उन्हें आत्म-समर्पण के लिए ललकारा गया लेकिन ऐसा करने से मना कर दिया । जब अंधेरा होने लगा तो श्री वर्मा ने, अपराधियों पर अंतिम और आमने-सामने से आक्रमण करने के लिए घर में घुसने का निश्चय किया । चुनिन्दा कर्मियों की एक टुकड़ी (सर्व श्री राजेन्द्र सिंह, निरीक्षक, बी० एन० तिवारी, उप-निरीक्षक, कैलाश राम, उप-निरीक्षक, गोपाल पासवान, सार्जेन्ट मेजर, ए० एस० प्रसाद, सर्जेन्ट और राजेन्द्र सिंह तथा एस० पी० यादव नामक दो कांस्टेबलों सहित) के साथ वे, भारी खतरा उठाते हुए छोटे से बरामदे में घुसे और उन्होंने अपराधियों की ठीक-ठीक स्थिति का पता लगा लिया । दोनों ओर से हुई गोलीबारी के दौरान श्री राजेन्द्र सिंह, निरीक्षक की बाईं बांह में गोली लगी लेकिन अपराधियों के खिलाफ जारी भीषण संघर्ष में वे अपने सर्विस रिवाल्वर के साथ डटे रहे । चार अन्य पुलिस कर्मियों को भी गोलियां लगीं । उन्होंने दरवाजे के एक ओर पोजीशन ली और अपने कर्मियों को पुनः व्यवस्थित किया । उन्होंने तेजी से अपराधियों पर गोलियों की बौछार की और अन्त में उनमें से विश्वजीत राम उर्फ बिशुआ नामक एक अपराधी गोलीबारी में मारा गया । श्री वर्मा को भी, उनकी बाईं बांह में चोट लगी लेकिन इसकी चिन्ता किए बिना उन्होंने स्टेनगन से अपराधियों पर फिर से हमला किया और श्री वर्मा की गोलियों से लाल बाबू भगत नामक अपराधी मारा गया जिसने सामने के एक पुलिस कर्मी के ऊपर गोली चलाने के लिए

निशाना लेते हुए एक खतरनाक छलांग लगाई थी। घटना स्थल पर मारे गए अपराधियों के पास से दो रेगुलर डी० बी० बी० एल० बंदूकें जाली वाली बेल्ट में रखे हुए 27 जिन्दा कारतूस और 21 खाली कारतूस बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री डा० अशोक कुमार, पुलिस अधीक्षक, राजेन्द्र सिंह, निरीक्षक बी० एन० तिवारी, उप निरीक्षक, कैलाश राम, सहायक उप निरीक्षक, गोपाल पासवान, सार्जेन्ट मेजर, आनन्द शंकर प्रसाद, सार्जेन्ट राजेन्द्र सिंह, कांस्टेबल और सुरेश प्रसाद यादव, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 17 अप्रैल, 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 67-प्रेज/94—राष्ट्रपति, जम्मू कश्मीर पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री दीवान चन्द,
सार्जेंट कांस्टेबल (अब हैड कांस्टेबल),
जे० के० ए० पी०—III बटालियन

श्री बशीर अहमद,
कांस्टेबल (अब सार्जेंट कांस्टेबल),
जे० के० ए० पी०—III बटालियन

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दीवान चन्द, सार्जेंट कांस्टेबल और बशीर अहमद, कांस्टेबल को 7-7-1990 को भूतपूर्व गृह मंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के एक रिश्तेदार के बच्चों की एसकोर्ट पर तैनात किया गया था। जब वे स्कूल में ड्यूटी पर थे, तो उन्होंने 5-7 उग्रवादियों को देखा जिन्होंने स्कूल से एसकॉर्टिड बच्चों का अपहरण करने के लिए पुलिस कार्मिकों को निशस्त्र करने के उद्देश्य से इन पुलिस कार्मिकों को हाथ खड़ा करने के लिए कहा। इसके बाद, उग्रवादियों ने इन पुलिस कार्मिकों पर हमला किया और इस हाथापाई में दीवानचन्द सार्जेंट कांस्टेबल जख्मी हो गए और बशीर अहमद, कांस्टेबल, उग्रवादियों से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए अपने साथ और अधिक पुलिस कार्मिकों को लाने के लिए उस स्थान की तरफ भागे जहां पर गार्ड थे। इसी बीच उग्रवादियों ने दीवानचन्द को अपने कंधों पर ले जाने की कोशिश की। श्री दीवानचन्द ने अपने नुकीले हथियार से एक उग्रवादी पर गम्भीर चोट की। उन्होंने स्कूल गेट की लोहे की छड़ों को पकड़ लिया और मदद के लिए चिल्लाए। श्री दीवानचन्द ने अपने साहसिक प्रयासों से उग्रवादियों को उलझाए रखा, इसी बीच श्याम लाल, सहायक उप निरीक्षक के नेतृत्व में बशीर अहमद, कांस्टेबल सहित अनेक सशस्त्र पुलिस कार्मिक घटना स्थल पर पहुंच गए, और हवा में 13 राऊण्ड गोलियां चलायी। गोलियों की आवाज सुनने पर, उग्रवादियों ने दीवानचन्द को मैदान में फेंक दिया और भाग खड़े हुए। उग्रवादियों के भागने के बाद सार्जन्ट कांस्टेबल दीवानचन्द को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री दीवान चन्द, हैड कांस्टेबल और बशीर अहमद, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च-कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 7-7-1990 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 68-प्रेज/94—राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री आर० ए० घुरैया,
पुलिस उप-निरीक्षक,
एस० एच० ओ०
थाना—पाण्डोखार,
ग्वालियर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 2-11-1990 की शाम को श्री आर० एस० घुरैया एस० एच० ओ०, थाना पाण्डोखार, जिला—ग्वालियर, को सूचना प्राप्त हुई कि डाकू प्रीतम गडरिया और उसके साथी गांव कुरगांव के पास ज्वार के खेतों में छिपे हुए हैं तथा गांव में कुछ जघन्य अपराध करने की योजना तैयार कर रहे हैं। श्री घुरैया ने तुरन्त एस० डी० ओ० (पी) भंडेर और गोन्दन के निकट के पुलिस थानों से सहायता मांगी। 30 अधिकारियों/कार्मिकों वाले पुलिस दल को तीन दलों में बांट दिया गया। पुलिस कार्मियों ने ज्वार के खेत को चारों ओर से घेर लिया और वे अंधेरे में रेंगते हुए छिपे हुए डाकुओं के निकट पहुंच गए। डाकुओं ने उनके चारों ओर हो रही पुलिस गतिविधियों को देख लिया और पुलिस दल पर गोलियां चलाई। एस० डी० ओ० (पी) भंडेर और श्री घुरैया जोकि सबसे आगे थे, बाल—बाल बचे परन्तु गोलियों की बौछार से विचलित हुए बिना उन्होंने अपने कार्मिकों का नेतृत्व किया।

श्री घुरैया, गोलियों की बौछार के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना डाकुओं की ओर बढ़ते गए और गिरोह के

नेता प्रीतम गडरिया को पास से घेर कर गोलियों से उसे मार गिराया। अपने नेता के मारे जाने के कारण डाकुओं का हौसला टूट गया और उन्होंने भागने की कोशिश की परन्तु, अन्य पुलिस कार्मिकों ने अन्य दोनों डाकुओं को मार गिराया। इस प्रकार डाकु प्रीतम गडरिया के गिरोह का सफाया कर दिया गया। तलाशी के दौरान डाकुओं से .12 की दो बन्दूकें, एक देसी बन्दूक तथा बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए। सभी डाकुओं को मार गिराने के लिए पुरस्कार घोषित थे।

इस मुठभेड़ में श्री आर० एस० घुरैया, उप-निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2-11-1990 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 69-प्रेस/94—राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री श्रीकृष्ण सिंह,
कांस्टेबल (अब हैड कांस्टेबल),
थाना—कान्हू ग्वालियर।

सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 28 अप्रैल 1991 को 6 उग्रवादियों के एक गिरोह ने रेलवे स्टेशन डाबरा के सहायक स्टेशन मास्टर श्री राजबहादुर को उसके कार्यालय में गोली मार दी। इससे डाबरा शहर और इसके आस पास के क्षेत्रों में भय पैदा हो गया। इस पर गहन गश्त आयोजित की गयी और भागने के सम्भावित रास्तों पर कड़ी निगरानी रखी गयी। क्षेत्र की पूरी घेराबंदी करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण स्थानों पर टुकड़ियों भी तैनात की गईं।

दिन-रात वाहनों की जांच के दौरान 1 मई, 1991 को प्रातः ग्वालियर-झांसी रोड पर, जिला ग्वालियर की एक सशस्त्र पुलिस पार्टी ने, एक मारुति वैन और एक मोटर साईकिल की जांच की। इन दोनों वाहनों को सिख युवक चला रहे थे। उनकी शिनाख्त, यात्रा का उद्देश्य इत्यादि के बारे में पूछताछ करने पर, उनकी असलीयत के बारे में संदेह उत्पन्न हुआ और उन्हें पुलिस स्टेशन लाया गया। मारुति वाहन से नीचे उतरने पर उनसे उनके नाम बताने के लिए कहा गया। मारुति वैन से एक युवक नीचे उतरा और उसने अपना नाम निशान सिंह बताया। उसने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और जांच कर रहे स्टाफ पर गोली चलायी और गोली चलाते हुए पुलिस कालोनी की तरफ भागा। पुलिस कार्मिकों ने तत्काल उग्रवादी का पीछा किया, जो दौड़ते हुए गोलियां चलाता रहा। श्रीकृष्ण सिंह सहित कुछ पुलिस कार्मिकों ने भी जो उस समय ड्यूटी पर नहीं थे, निशान सिंह को पकड़ने में पुलिस पार्टी के साथ कार्य किया। पुलिस कार्मिकों के साथ कुछ सिविलियनों ने भी उग्रवादी का पीछा किया। उग्रवादी पुलिस कार्मिकों और सिविलियनों पर गोलियां चलाता रहा। पुलिस पार्टी के श्री कृष्ण सिंह कांस्टेबल ने आत्म-रक्षा में उग्रवादियों पर गोली चलायी और उसे जख्मी कर दिया। तब उग्रवादी ने अपने पिस्तौल से स्वयं अपनी कनपटी पर गोली मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। तलाशी के दौरान मृत उग्रवादी से चीन निर्मित एक 7.65 एम० एम० पिस्तौल, एक भरी हुई मेगजीन, 4 साईनाईट केपसूल, कुछ खाली राउण्ड बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में श्री श्रीकृष्ण सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 28 अप्रैल 1991 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 70-प्रेस/94—राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री लाल सिंह, (मरणोपरान्त)
हेड कांस्टेबल,
22वीं बटालियन,
एस० ए० एफ०

सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया।

मध्य प्रदेश की स्पेशल आर्म्ड फोर्स की 22वीं बटालियन को जिला बरपेटा असम, में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की ड्यूटी पर बोडो प्रभावित और आनन्द बाजार पुलिस चौकी के अत्याधिक गड़बड़ी वाले क्षेत्र में तैनात किया गया था। उन्होंने बोड़ो उग्रवादियों की गतिविधियों के बारे में भी आसूचना एकत्र की।

14/15 दिसम्बर, 1991 की रात करीब 40–50 बोड़ो उग्रवादियों ने अत्याधुनिक हथियारों के साथ आनन्द बाजार स्थित पुलिस चौकी पर अधिकारियों को मार डालने के उद्देश्य से हमला किया। निचले स्थान, नाले और अंधेरे का लाभ पूरा लाभ उठा कर उन्होंने काफी निकट आकर गोलीबारी की। उन्होंने हथगोले भी फैंके। चौकी पर तैनात संतरी ने तुरन्त जवाबी गोलीबारी की।

हैड कांस्टेबल लाल सिंह ने तुरन्त अपनी स्टेनगन और गोला–बारूद का थैला उठाया और सबको सतर्क कर दिया। उन्होंने अपने सभी कार्मिकों को कैम्प में सारी दिशाओं में मोर्चा संभालने का और उग्रवादियों पर जवाबी गोली–बारी करने का निर्देश दिया। वे स्वयं कैम्प के पास एक स्थान पर मोर्चा लेकर ऐसी रणनीति से बैठ गए जहां से उग्रवादियों पर गोलियां चलाने के साथ साथ अपने साथियों का मार्ग दर्शन भी कर सकते थे। उन्होंने उस दिशा का अनुमान लगाया और अपनी स्टेनगन से जवाब में गोली-बारी की। अभी उन्होंने अपने शस्त्र से चार राउण्ड गोलियां चलाई थी कि उग्रवादियों द्वारा फैंका हुआ एक हथगोला उनके ठीक सामने आकर गिरा। सुरक्षात्मक मोर्चा संभालने की जब वे कोशिश कर रहे थे तो अचानक हथगोला फट गया। उसका एक घातक टुकड़ा उनके हृदय में घुस गया, जबकि अन्य टुकड़े स्टेनगन से टकराए जिससे उनकी स्टेनगन की मेगजीन फट गई। मैगजीन के टुकड़े उनकी बांई हथेली में घुस गए और उनकी वहीं तुरंत मृत्यु हो गई।

दोनों ओर से गोली-बारी होती रही। जब उजाला फैलाने के लिए वी०एल० पिस्तौल से 6 राउण्ड चलाए गए तो आक्रमणकारी जल्दबाजी में बड़ी मात्रा में अनप्रयुक्त मैगजीनें और कारतूस इत्यादि, वहीं छोड़ कर भाग खड़े हुए। इस प्रकार हैड कांस्टेबल लाल सिंह और उनके साथियों द्वारा अत्यधिक कड़ाई से सामना करने के कारण उग्रवादियों का प्रयास विफल कर दिया गया। इस तरह से हैड कांस्टेबल लाल सिंह ने अपनी जान अपने कर्तव्य पर न्यौछावर कर दी।

इस मुठभेड़ में श्री लाल सिंह, हैड कांस्टेबल, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 दिसम्बर, 1991 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 71–प्रेज 94—राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री एस० सी० दुबे,
पुलिस निरीक्षक,
थाना प्रभारी,
झांसी रोड,
ग्वालियर।

सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 14 अप्रैल, 1992 को जब ग्वालियर के एक आयकर निरीक्षक सरकारी दौरे से शिवपुरी से वापस जा रहे थे तो दो समाज विरोधी तत्वों द्वारा उन पर रास्ते में घात लगाई गई। आकाशवाणी भवन, ग्वालियर के निकट एक सुनसान स्थान पर उनकी नगदी छीन ली गई और फिर बंदूक का भय दिखाकर उनका ब्रीफकेस, जिसमें महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज थे, तथा अन्य निजी वस्तुएं छीन ली गई। जब वह उन्हें छोड़ देने की विनती कर रहे थे, तो थाना झांसी रोड, के निरीक्षक श्री एस० सी० दुबे, करीब 2200 बजे अपनी जीप से नेमी गश्त पर वहां से गुजर रहे थे। यद्यपि यह स्थान उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था फिर भी श्री एस० सी० दुबे ने गड़बड़ी को भांप लिया। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की, अपनी जीप को रोका और घिरे तथा मजबूर श्री राजा को बचाने के लिए वे जीप से बाहर कूद कर अभियुक्तों के साथ जूझ पड़े। श्री दुबे ने बदमाशों में से एक के कंधे को पकड़ लिया ताकि वह अपनी बन्दूक का प्रयोग न कर सके। वे उन पर जोर से चिल्लाये और एक पल के लिए उनको भौंचक्का कर दिया। दूसरे अपराधी ने अपने हथियार की नली को आयकर अधिकारी की छाती की ओर ताना। श्री दुबे ने उस जोखिम को भांप लिया परन्तु वह होलस्टर से अपने रिवाल्वर को बाहर नहीं निकाल सके, इसी बीच अपराधी ने तुरन्त अपने हथियार की नली श्री दुबे की ओर करके उन पर गोली चला दी। फलस्वरूप, श्री दुबे के पेट में गोली लगी जिससे तेजी से रक्त बहना शुरू हो गया। श्री दुबे ने अपने बायें हाथ को घाव पर रखा ताकि रक्त का बहना रुक सके और दांए हाथ से रिवाल्वर बाहर निकाला। इस बीच दोनों लुटेरों ने अपनी मोटर साईकिल पर बैठकर भाग जाने का प्रयास किया परन्तु जब उन्होंने पुलिस अधिकारी पर उसके घावों का कोई प्रभाव पड़ते नहीं देखा तो वे अपनी मोटर साईकिल वहीं छोड़कर गहरे नाले में कूद पड़े। श्री दुबे ने लगभग 50 मीटर तक उनका पीछा किया और उनके बचकर भागने के रास्ते की दिशा में अपने रिवाल्वर से सभी छह राउण्ड चला दिए। परन्तु अपराधियों को कोई भी गोली नहीं लगी और वे नाले और अंधकार की आड़ का लाभ उठाकर भाग गए। उसके बाद श्री दुबे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। ग्वालियर के आयकर अधिकारी

का जीवन बचाने के लिए श्री दुबे ने अपना जीवन जोखिम में डाला।

इस मुठभेड़ में श्री एस० सी० दुबे, पुलिस निरीक्षक, ने अदम्य साहस, वीरता और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 14 अप्रैल, 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 72-प्रेस 94—राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री आर० आर० राजपूत,
हैड कांस्टेबल,
एस० आर० पी० एफ०,
नागपुर।

श्री जी० एस० तिवारी,
हैड कांस्टेबल,
जिला भन्डारा।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 16 अप्रैल, 1991 को करीब 0730 बजे नक्सल पुलिस चौकी दरेकासा, थाना सलेकासा, जिला भण्डारा, के तीन पुलिसकर्मी खाना खाने के बाद प्राईमरी हैल्थ सैन्टर के पीछे स्थित पानी के पम्प पर अपने खाने के डिब्बे धोने और पानी पीने के लिए गए। अचानक उन पर नक्सलवादियों द्वारा गोलियां चलाई गई, जिन्होंने पुलिस चौकी को घेर लिया था। इस पहले हमले में वे गोली लगने से जख्मी हो गए तथा उसके बाद वे तुरन्त छिपने के उद्देश्य से भवन की ओर दौड़ पड़े।

पुलिस चौकी पर तैनात पुलिस कार्मिकों ने देखा कि कुछ महिलाओं सहित करीब 40-50 नक्सलवादियो ने कार्मिकों पर हमला करने और उनके शस्त्र और गोला बारूद छीनने के उद्देश्य से पुलिस चौकी को घेर लिया था। नक्सलवादियों ने स्वचालित शस्त्रों से पुलिस कार्मिकों पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी और हथगोलों का भी प्रयोग किया। यह एक युद्ध जैसी स्थिति थी जहां भारी संख्या में नक्सलवादियों ने पुलिस कार्मिकों की एक छोटी सी टुकड़ी पर हमला किया। पुलिस कार्मिक एक भवन में बंद थे। तथा पुलिस कार्मियों के पास कार्रवाई करने का क्षेत्र बहुत सीमित था।

ऐसी विकट परिस्थिति में, एस० आर० पी० एफ०, नागपुर, के हैड-कांस्टेबल आर० आर० राजपूत था भण्डारा जिले के हैड-कांस्टेबल जी० एस० तिवाड़ी ने स्थिति का सामना करने का निर्णय लिया और युद्ध की रणनीति अपनाते हुए जवाबी आक्रमण किया। वे विचलित नहीं हुए, और उन्होंने, उनके पास उपलब्ध शस्त्र और गोला बारूद से अधिक से अधिक नक्सलवादियो को मार गिराने के संकल्प के साथ नक्सलवादियों पर आक्रमण किया और वीरता के साथ उनके साथ लड़े। नक्सलवादियों पर प्रभावकारी और अचूक गोलीबारी करने के लिए उन दोनों ने अपने साथियों का मार्ग-दर्शन किया। पुलिस कार्मियों ने नियोजित और दृढ़निश्चय से हमला किया। जिसके परिणामस्वरूप नक्सलवादियों के "तुलावी दालाम" नामक गिरोह के एक खूंखार और सक्रिय कमांडर रावजी तुलावी मारा गया। यही नहीं, 2-3 नक्सलवादी भी गम्भीर रूप से जख्मी हो गए जिन्हें नक्सलवादी अंधेरे का लाभ उठाते हुए, वहाँ से उठाकर ले गये। तथापि, अन्य नक्सलवादी भाग खड़े हुए, और घने जंगलों में गायब हो गए।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री आर० आर० राजपूत, हैड कांस्टेबल तथा जी० एस० तिवाड़ी, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 16 अप्रैल, 1991 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 73-प्रेस/94-राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री वी० के० अकोलकर,
पुलिस निरीक्षक,
थाना—धनौरा,
जिला गढ़चिरोली।

श्री जी० एस० फरकादे,
कांस्टेबल,
थाना—धनौरा।

श्री जी० एस० मेशराम,
कांस्टेबल,
थाना—धनौरा।

श्री एन० बी० जूरे,
कांस्टेबल,
थाना—धनौरा।

श्री डी० एम० करकाले,
कांस्टेबल,
थाना—धनोरा ।

सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया ।

गढ़चिरोली जिले में दिनांक 12 जून, 1991 को संसद के लिए मध्यावधि चुनाव के लिए मतदान होना था। नक्सलवादियों के पीपुल्स वार ग्रुप ने चुनावों का बहिष्कार करने की घोषणा की थी, तथा उन्होंने 11 और 12 जून, 1992 को "बन्द" का भी आह्वान किया था । इस बहिष्कार को ध्यान में रखते हुए, मार्ग के अवरोधों को हटाने के लिए 12 पुलिस दलों को तैनात किया गया था ताकि पोलिंग पार्टियां मतपेटियों के साथ स्वतंत्रतापूर्वक आ जा सके ।

श्री वी० के० अकोलकर, निरीक्षक, चार कांस्टेबलों, नामतः सर्व/श्री जी० एस फरसादे, जी० एम० मेशराम, एन० बी० जूरे तथा डी० एम० कारकाले, के साथ एक जीप में थे । इसी तरह एक हैड कांस्टेबल, दो कांस्टेबलों और 4 पी० डब्ल्यू० डी० कर्मचारियों के साथ एक ट्रक में सवार थे । जीप को नागपुर के परमाणु खनिज विभाग से मंगवाया गया था तथा उसका चालक प्रकाश किशन पाटिल था । उनको मुरूमगांव–सावरगांव रोड की ड्यूटी सौंपी गई थी। करीब 10.15 बजे वे मुरूमगाव की ओर जाने वाली सड़क पर गश्त लगाने के लिए सावरगांव से रवाना हुए। जिस समय जीप गांव कुलभट्टी गांव के निकट पहुंची तो नक्सलवादियों ने सड़क पर बारूदी सुरंगें बिछा कर जीप में यात्रा कर रहे पुलिस दल पर घात लगाई । विस्फोट के परिणामस्वरूप, पुलिस दल की जीप पांच फुट की ऊंचाई तक हवा में उड़ गई। सुरंगों द्वारा किए गए विस्फोट के कारण पक्की सड़क पर 13 12 5' का गड्ढा हो गया । इसके साथ ही नक्सलवादियों ने जीप में बैठे पुलिस दल पर गोलियां चलाई। जीप के चालक को नक्सलवादियों द्वारा चलाई गई एक गोली लगी और उसने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया । पुलिस दल ने नक्सलवादियों की ओर जवाबी गोलीबारी की और वे जीप से बाहर कूद पड़े । उन्होंने सड़क के किनारे निचले स्थान पर मोर्चा संभाला और नक्सलवादियों पर गोलियां चलाई । निरीक्षक अकोलकर की 9 मि० मी० की कारबाईन विस्फोट से क्षतिग्रस्त हो गई थी इसलिए वे तुरन्त गोलीबारी नहीं कर सके । वह रेंगते हुए पुलिस कार्मिकों की ओर गए, उनका मनोबल बढ़ाया और उनको गोलीबारी जारी रखने को कहा उन्होंने एक घायल कान्स्टेबल से राईफल ली और नक्सलवादियों पर गोली चलाई । उन्होंने घटना के बारे में निकटतम पुलिस चौकी मरूमगांव को वायरलैस से सूचना दी और कुमुक भेजने के लिए कहा । वे रेंगते हुए पुनः उन पुलिस कार्मिकों के पास गए जो नक्सलवादियों पर गोलीबारी कर रहे थे, तथा गोलीबारी करते रहे ।

एक उप-निरीक्षक के नेतृत्वाधीन एक अन्य पुलिस दल, जो कि कोटगुलारगांव मार्ग से गुजर रहा था, ने भी वायरलैस संदेश को सुना और घटना स्थल की ओर तुरन्त रवाना हो गए । वहां पहुंचने पर इस दल ने नक्सलवादियों पर गोलीबारी करनी शुरू कर दी । इस दौरान, मरुमगांव से भी एक अन्य पुलिस दल घटनास्थल के लिए रवाना हो गया । आधे घंटे के अन्दर दोनों ओर से कुमुक वहां पहुंच गयी ।

निरीक्षक अकोलकर चार कांस्टेबलों सहित नक्सलवादियों पर गोलीबारी करते रहे । दोनों ओर से लगभग आधे घंटे तक चली गोलीबारी के दौरान, निरीक्षक अकोलकर के सिर में गोलियां लगी और कांस्टेबल गणेश फरसादे भी गोली लगने से जख्मी हो गए ।

पहाड़ी क्षेत्र में तीन अन्य स्थानों पर भूमिगत बारूदी सुरंगें बिछाई गई थीं । पहाड़ी क्षेत्र में दो डिटोनेटर्स पाए गए थे, मुख्य विस्फोट नियंत्रण कक्ष के निकट एक विस्फोट करने का उपकरण, एक हथगोला तथा कुछ सौ मीटर तार पाए गए। इन सबको पुलिस दल ने बाद में निष्क्रिय कर दिया।

परमाणु खनिज विभाग के चालक श्री पाटिल को मुख्यमंत्री राहत कोष से 50,000/ रूपये तथा चुनाव आयोग द्वारा एक लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। अन्य पुलिस कार्मिकों ने जिन्होंने मुठभेड़ में सक्रिय भाग लिया को नकद पुरस्कार स्वीकृत किए गए ।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री वी० के० अकोलकर, निरीक्षक, जी० एम० फरसादे, कान्स्टेबल, जी० एम० मेशराम, कांस्टेबल, एन० बी० जूरे, कांस्टेबल और डी० एम० करकाले, कांस्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 12 जून 1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 74-प्रेज/94—राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री एम० के० बाबर,
पुलिस सहायक आयुक्त,
बृहत्त बम्बई ।

श्री वी० एस० कुमार,
पुलिस निरीक्षक,
बृहत्त बम्बई।

श्री आर० एन० जाधव, (मरणोपरान्त)
पुलिस उप-निरीक्षक,
बृहत्त बम्बई।

श्री एस० जी० बावहल,
उप-निरीक्षक,
बृहत्त बम्बई।

श्री पी० सी० भोसले,
उप-निरीक्षक,
बृहत्त बम्बई।

श्री ए० एम० योगे,
उप-निरीक्षक,
बृहत्त बम्बई।

श्री जे० ए० ठाकुर,
उप-निरीक्षक,
बृहत्त बम्बई।

श्री पी० बी० गोसावी,
पुलिस कांस्टेबल,
बृहत्त बम्बई।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 15 जनवरी, 1992 को सी० आई० डी० बम्बई को सूचना प्राप्त हुई कि टैगोर नगर, विक्रोली, बम्बई के एक घर में कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं तथा वे व्यापारियों से जबरन धन ऐंठने का कार्य कर रहे हैं। श्री एम० के० बाबर, पुलिस सहायक आयुक्त के नेतृत्व में अपराध खोज शाखा, सी० आई० डी० तथा विशेष अभियान दस्ते के कार्मिकों और अधिकारियों का एक दल अभियान चलाने के लिए गठित किया गया था। सर्वश्री एम० के० बाबर पुलिस सहायक आयुक्त, वी० एस० कुमार, निरीक्षक, आर० एन० जाधव, एस० जी० बावहल, पी० सी० भोसले, ए० एम० योगे, जे० ए० ठाकुर, उप-निरीक्षकों और पी० बी० गोसावी कांस्टेबल तथा अन्य पुलिस कार्मिकों के दल ने 16 जनवरी, 1992 को बड़े सवेरे आतंकवादियों के छिपने के स्थान पर छापा मारा। दल को दो ग्रुपों में बांट दिया गया जिनमें से 2 निरीक्षकों, 5 उप-निरीक्षकों और 3 कांस्टेबलों वाले पहले दल ने उप-निरीक्षक राजू जाधव, एस० बावहल, पी० सी० भोसले, ए० एम० योगे और कांस्टेबल पी० बी० गोसावी सहित घर की पिछली तरफ मोर्चा संभाला जबकि श्री बाबर के नेतृत्व में 1 निरीक्षक, 6 उप-निरीक्षक, तथा 5 कांस्टेबलों वाला दूसरा दल सामने की ओर से घर की तरफ बढ़ा।

घर के सामने वाले दरवाजे पर कई बार दस्तक दी गई और आतंकवादियों को आत्मसमर्पण कर देने के लिए बार-बार कहा गया परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तथापि, घर के अन्दर कुछ गतिविधियां होने की आवाजें सुनाई दी। तत्पश्चात्, घर के सामने वाले दरवाजे को तोड़ने का प्रयास किया गया परन्तु, आतंकवादियों ने अचानक सामने की ओर से तथा पीछे की ओर से पुलिस दल पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। पुलिस दल ने जवाबी गोली-बारी की। तब आतंकवादियों ने घर की पिछली ओर हथगोले फैंके तथा पिछली दीवार की खिड़की के लकड़ी के फ्रेम को नीचे गिरा दिया। विस्फोटों के कारण उप-निरीक्षक राजू जाधव, प्रफुल्ल भोसले और सूर्यकान्त बावहल और कांस्टेबल पी० बी० गोसावी को गंभीर चोटें लगी। हथगोलों के अचानक और अप्रत्याशित हमले के कारण पुलिस कार्मिकों को शरण लेने के लिए पीछे हटना पड़ा। आपत्ति की ऐसी घड़ी में श्री एम० बाबर जो घर की आगे की ओर थे तथा निरीक्षक विष्णु कुमार, जो पिछली तरफ थे ने स्थिति को नियंत्रण में लिया और नेतृत्व का अद्वितीय प्रदर्शन करते हुए आतंकवादियों पर गोली-बारी जारी रखने के लिए पुलिस कार्मिकों का हौंसला बंधाया। विस्फोटों के कारण उत्पन्न हुई गड़बड़ी का लाभ उठाते हुए एक महिला सहित तीन आतंकवादी खिड़की के फ्रेम की खुली जगह से बाहर कूद पड़े और पिछली गली से होते हुए भागने लगे। वे दौड़ते हुए स्वचालित हथियारों से गोलियां चलाते रहे। घायल पुलिस कार्मिक तथा निरीक्षक विष्णु कुमार ने बच कर भागते हुए आतंकवादियों पर गोली चलाई। उप-निरीक्षक अभय योगे जो हथगोले के विस्फोट से बाल-बाल बचे ने बचकर भागते हुए आतंकवादियों पर गोली चलाई और उनमें से एक को मार गिराया। निरीक्षक विष्णु कुमार और उप-निरीक्षक योगे ने अन्य दो आतंकवादियों और उनकी महिला साथी का पीछा किया परन्तु घोर अंधेरे का लाभ उठाते हुए वे बचकर भाग निकले। इसी दौरान उप-निरीक्षक जयेन्द्र ठाकुर गोलियों की बौछारों के बीच घर के सामने वाले कमरे की खिड़की के निकट पहुंचे, जबकि श्री बाबर उनके बचाव में गोलियां चलाते रहे। उप-निरीक्षक ठाकुर ने खिड़की खोल कर एक आतंकवादी को मार गिराया।

मारे गये आतंकवादियों की पहचान में प्रताप सिंह, प्रीतम सिंह और दर्शन सिंह चौहान के रूप में पहचान की गई। वे के० एल० एफ० के खालिस्तान सशस्त्र बल से सम्बन्धित थे। घायल हुए पुलिस कार्मिकों को इलाज के लिए हस्पताल ले जाया गया। उप-निरीक्षक राजू जाधव ने जो पेट, पेडू और निचले अंगों में गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, बाद में जख्मों के कारण दम तोड़ दिया। तीन अन्य पुलिस कार्मिकों को और इलाज के लिए जे० जे० हस्पताल, सहीम ले जाया गया।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री एम० के० बाबर, पुलिस सहायक आयुक्त, वी० एस० कुमार, पुलिस निरीक्षक, आर० एन० जाधव, उप-निरीक्षक, एस० जी० बावहल, उप-निरीक्षक, पी० सी० भोसले, उप-निरीक्षक, ए० एम० योगे, उप-

निरीक्षक और पी० वी० गोपाबी, कांस्टेबल, ने उत्कृष्ट शौर्य, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 जनवरी, 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 75-प्रेज/94—राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री ए० बी० पोते,
पुलिस निरीक्षक,
थाना वकोला,
बृहत्तर बम्बई।

श्री जी० बी० चह्वाण,
पुलिस उप निरीक्षक,
थाना डी० एन० नगर,
बृहत्तर बम्बई।

श्री एस० जी० पिम्पलकर,
पुलिस उप-निरीक्षक,
थाना जोगेश्वरी,
बृहत्तर बम्बई।

श्री एस० जी० काम्बली,
नायक,
थाना वकोला,
बृहत्तर बम्बई।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 5 जून, 1992 को, अपर पुलिस आयुक्त, उत्तरी क्षेत्र, बम्बई को उग्रवादियों के एक समूह के बारे में, जो बम्बई में धन एंठने, अपहरण करने और अन्य अपराधों को करने में लिप्त था, सूचना प्राप्त हुई। सूचना देने वाले ने यह भी बताया कि वे एक मारुती कार में घूम रहे हैं और रात में वे दहिसार चैक को पार करेंगे। दहिसार नाका चैक पार करते समय आतंकवादियों को पकड़ने की योजना बनाकर एक दल को तैनात किया गया।

पुलिस दल ने ए० के० 47 राईफलें, एस० एल० आर० और 9 मि० मी० की कारबाईन्स लीं और उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लीं। उन्होंने दहिसार चैक नाका के निकट जाल बिछाने के लिए एक जगह को चुना। वे प्राइवेट वाहनों में सवार थे। करीब 2305 बजे नेशनल पार्क जंक्शन पर तैनात पुलिस कार्मिकों ने वाकी टाकी पर सूचना दी कि संदिग्ध कार पुलिस की निगरानी कार के पास से गुजरी है। इस सूचना के बारे में घात वाले स्थान पर तैनात सभी पुलिस दलों को वाकी-टाकी द्वारा सूचित कर दिया गया। करीब 2310 बजे, कथित कार को दहिसार चैक-नाका की ओर आते देखा गया, जहां पर, श्री ए० बी० पोते, उप-निरीक्षक, जी० बी० चह्वाण और अन्य साथी एक मारुती कार में 9 मी० मी० की कारबाईन ले कर प्रतीक्षा कर रहे थे। जब संदिग्ध वाहन नाके के करीब आया तो वाहन का रास्ता रोकने के लिए तंग रास्ते पर एक डम्पर खड़ा कर दिया गया। वाहन रुका तो कार में सभी पुलिस कार्मिक बाहर कूद पड़े और निरीक्षक पोते और उप-निरीक्षक चह्वाण बाईं ओर से कार की तरफ बढ़े, जबकि अन्य पुलिस कार्मिकों ने कवरिंग फायर देने के लिए मोर्चा संभाल लिया।

एक अन्य पुलिस दल, जो सड़क की दाहिनी ओर एक वैन में प्रतीक्षा कर रहा था, भी उग्रवादियों के वाहन के रुकते ही अपने वाहन से बाहर कूद पड़े, उप-निरीक्षक पिम्पलकर और नायक सुभाष काम्बली दाहिनी ओर से कार की ओर तेजी से बढ़े जबकि दल के अन्य पुलिस कार्मिक सावधानीपूर्वक उनके पीछे-पीछे बढ़ते गए ताकि आमने-सामने की गोली बारी से बचे रहें और उप-निरीक्षक पिम्पलकर और नायक काम्बली को पीछे से सहायता प्रदान कर सकें।

एक आतंकवादी जो कार में आगे की बाईं सीट पर था, ने .32 कैलिबर वाली पिस्तौल निकाली और उससे उप-निरीक्षक चह्वाण पर गोली चलाई परन्तु श्री चह्वाण घूम गए जिससे गोली उनकी बुलैट-प्रूफ जैकेट पर लगी और वे सुरक्षित बच गए। आतंकवादी पर काबू पाने के लिए श्री चव्हाण तेजी से आगे बढ़े, और उन्होंने उसे निहत्था कर दिया। उसी समय कार की पिछली ओर की बाईं सीट पर बैठे आतंकवादी ने अपनी पिस्तौल निकाल ली और गोली चलाने का प्रयास किया परन्तु निरीक्षक ए० बी० पोते झपटे और पिस्तौल को पकड़ लिया और गोली की प्रक्षेप-पथ को बदल दिया लेकिन गोली सड़क से टकरा कर उछली और एक उप-निरीक्षक की टांग में लगी जोकि पिछले दल में थे। अत्यधिक साहस और बुद्धिमानी का परिचय देते हुए निरीक्षक पोते ने आतंकवादी की 9 मि० मी० बैरेटा पिस्तौल गिरा दी।

जब यह कार्रवाई वाहन की बाईं ओर चल रही थी, उप-निरीक्षक एस० जी० पिम्पलकर और नायक सुभाष काम्बली कार की दाईं ओर से आए, आतंकवादी को पीछे की दाईं सीट से बाहर खींचा जोकि उस समय अपनी ए० के० 47 एसाल्ट राईफल से गोली चलाने का प्रयास कर रहा था। निहत्था होने के बावजूद भी नायक काम्बली घबराये नहीं और बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़े और आतंकवादी से जूझ पड़े और आतंकवादी की ए० के०

47 राईफल नीचे गिराने में अपने साथी की मदद की। दल के अधिकारियों द्वारा कार के चालक से .315 बोर का देसी रिवाल्वर व अनप्रयुक्त कारतूस बरामद किए गए। बाद में उसकी पहचान दीपक काशीराम शुक्ल के रूप में की गई। गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों की शिनाख्त इन्दरपाल सिंह उर्फ राजबीर सिंह, त्रिलोक सिंह उर्फ बाबा और हरविन्दर सिंह उर्फ टीटू के रूप में की गई।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री ए० बी० पोते, निरीक्षक, जी० बी० चव्हाण, उप-निरीक्षक, एम० जी० पिम्पलकर, उप-निरीक्षक तथा ए० जी० काम्बली, नायक, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 5 जून, 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 76-प्रेज 94—राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री पी० पी० सूर्यवंशी,
पुलिस उप-निरीक्षक,
अपराध शाखा,
बृहत्तर बम्बई।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 1 फरवरी, 1992 को अपराध अन्वेषण शाखा को सूचना मिली कि दाऊद गिरोह के कुछ सदस्य लूटखसोट के लिए कोंकण हटमेंट, भान्डुप (पश्चिमी) बम्बई में आने वाले थे। तथ्यों का सत्यापन करने के बाद, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) के पर्यवेक्षण में एक विशेष अभियान दस्ते के साथ अपराध शाखा के 8 निरीक्षकों, 12 उप-निरीक्षकों की एक टीम बनायी। भान्डुप में कोंकण की एक टीम बनायी गई। भान्डुप में कोंकण नगर हटमेंट पहुंचने पर टीम को तीन टुकड़ियों में विभाजित किया गया—प्रथम टुकड़ी ने हटमेंटों की पहाड़ी पर मोर्चा सम्भाला जबकि बाकी दोनों टुकड़ियां विभिन्न दिशाओं से हटमेंटों में गयीं और खोज-बीन/तलाशी अभियान शुरू किया।

जब टीम हटमेंटों की तलाशी ले रही थी तो अग्नेयास्त्रों से लैस 4 व्यक्ति अम्बिका विद्यालय के पीछे से एक गली में बाहर आये। यह देखने पर पुलिस पार्टी ने अपनी पहचान बतायी और उन्हें आत्म-समर्पण करने के लिए कहा। लेकिन उन्होंने पुलिस पार्टी पर गोलियां चलायीं। उसके बाद, अपराधियों ने भागना शुरू किया—उनमें से दो घने बसे हटमेंटों की ओर भागे जबकि अन्य दो भान्डुप परिसर की तरफ भागे। भागते हुए वे पुलिस कार्मिकों पर गोलियां चलाते रहे। दो निरीक्षकों ने दो अपराधियों का पीछा किया लेकिन वे भटक गए क्योंकि अपराधी घने बसे हटमेंटों में लापता हो गए।

उप-निरीक्षक, सूर्यवंशी ने, अन्यों के साथ, अन्य दो अपराधियों का पीछा किया। जैसे ही अपराधी भान्डुप परिसर क्षेत्र में दाखिल हुए तो उनका सामना पहले ग्रुप के सर्वश्री ठाकुर और एओले से हुआ। इस प्रकार से दोनों अपराधी, दो पुलिस पार्टियों के बीच फंस गए। यह महसूस करने पर, उन्होंने दोनों दिशाओं की तरफ अंधा धुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। सर्वश्री सूर्यवंशी, मेओले, ठाकुर और अन्यों ने उन पर गोलियां चलायी। इस गोलीबारी में दोनों अपराधी गोली लगने से जख्मी हो गए और ढेर हो गए। पुलिस पार्टी ने उन्हें निशस्त्र कर दिया और उन्हें राजावाड़ी अस्पताल ले गए लेकिन भर्ती करने से पहले ही दोनों को मृतघोषित कर दिया गया। तलाशी लेने पर, मृत अपराधियों से दो कारतूसों के साथ एक सुपर मेड कोल्ड .38 बोर की पिस्तौल और एक पी० बरेटा 9 एम० एम० पिस्तौल बरामद की गयी।

इस मुठभेड़ में श्री पी० पी० सूर्यवंशी, पुलिस उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता दिनांक 1 फरवरी, 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 77-प्रेज/94—राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री एस० ए० खोपाडे,
पुलिस उप-अधीक्षक,
(अब पुलिस अधीक्षक),
धूलिया ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 13 फरवरी, 1982 को पुलिस उप-अधीक्षक श्री एस० ए० खोपाडे को सूचना प्राप्त हुई कि गांव धनसार, तालुका-पनवेल, जिला रायगढ़, के खतरनाक अपराधी सर्व/श्री शिवराम बुध्या भगत और बलराम बुध्या नामक दो भाई, जिन्होंने पनवेल तालुका के पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र में आतंक और भय फैला रखा था, हाजी मालान पहाड़ी की तलहटी में स्थित एक झोंपड़ी में छिपे हुए हैं । दिनांक 14 फरवरी, 1982 को उन्होंने श्री बी० वाई० गांगले पुलिस उप-निरीक्षक, श्री आर० डी० घोसालकर, हैड कांस्टेबल, एस० आर० पी० एफ० की एक टुकड़ी, दो कांस्टेबलों और जनता के तीन पंचों को लेकर वहां छापा मारने की व्यवस्था की । श्री खोपाड़े ने पुलिस दल को दो समूहों में विभाजित किया और स्वयं एक दल का नेतृत्व किया । दिनांक 14 फरवरी, 1982 को .303 की राईफलों से लैस हैड कांस्टेबल और एस० आर० पी० एफ० के दो कांस्टेबलों को साथ लेकर श्री घोसालकर झोंपड़ी पर पहुंच गए । फरार अपराधी बलराम अपनी एस० बी० बी० एल० बंदूक हाथ में लिए झोंपड़ी के बाहर आया । उसने शोर मचाया और उसने अपनी बंदूक से पुलिस दल की ओर गोली चलायी । तथापि, हैड कांस्टेबल घोसालकर ने अत्यधिक साहस और बुद्धिमता का परिचय दिखाया और बंदूक को उस समय पकड़ लिया जब बलराम उसे दुबारा भर रहा था । इससे बंदूक चल गई जिससे हैड कांस्टेबल घोसालकर और एक पंच गवाह, उत्तम गावरी, दोनों घायल हो गए । फिर भी, श्री घोसालकर ने बंदूक छीन ली । बंदूक के बट से बलराम के सिर में वार किया जिस कारण बलराम जमीन पर गिर गया । शोर सुनकर दूसरा भाई शिवराम झोंपड़ी से बाहर आया और अपनी 12 बोर की दुनाली बंदूक से पुलिस दल पर जल्दी-जल्दी गोलियां चलाने लगा । उसकी गोलीबारी के परिणामस्वरूप, सर्व/श्री खोपाडे और श्री घोसालकर बुरी तरह घायल हो गए । घायल होने के बावजूद भी खोपाडे तेजी से आगे बढ़े और उस पर गोली चलाई । इससे उस भगोड़े का ध्यान श्री खोपाडे की ओर आकर्षित हुआ और उसने तुरन्त श्री खोपाड़े पर गोली चलाई जिससे श्री खोपाडे के पेट, दाईं जंघा और टांग में घाव हो गए श्री खोपाडे ने जवाब में अपने रिवाल्वर से गोली चलाने का प्रयास किया परन्तु घायल होने के कारण वे ऐसा नहीं कर सके । जब शिवराम अपने भाई को श्री घोसालकर के शिकंजे से छुड़वाने का प्रयास कर रहा था, तो उसी समय श्री खोपाडे ने एस० आर० पी० एफ० के कांस्टेबल के० एन० गोसावी को गोली चलाने का आदेश दिया । शिवराम घटना स्थल पर ही मारा गया जबकि उसका भाई बलराम मुठभेड़ के दौरान हुए घावों के कारण बाद में मर गया ।

इस मुठभेड़ में श्री एस० ए० खोपाडे, पुलिस उप-अधीक्षक (अब पुलिस अधीक्षक) ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 13 फरवरी, 1982 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 78-प्रेज/94—राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री ए० आर० अब्दुल करीम,
पुलिस निरीक्षक,
थाना रामनगर,
जिला चन्द्रपुर,
महाराष्ट्र ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

1/2 दिसम्बर, 1991 की मध्यवर्ती रात्रि को थाना रामनगर के निरीक्षक अब्दुल रज्जाक करीम को सूचना प्राप्त हुई कि मूल रोड, के चन्द्रपुर के अरविंद नगर नामक क्षेत्र में एक विशिष्ट घर में 3 सशस्त्र आतंकवादियों ने शरण ली हुई है । उन्हें यह भी पता चला कि आतंकवादी चन्द्रपुर से एक जीप में आए थे । उपलब्ध पुलिस बल को साथ लेकर श्री ए० आर० अब्दुल करीम वहां पहुंच गए । उन्होंने पुलिस दल को वहीं प्रतीक्षा करने का निर्देश दिया और वे स्वयं उस क्षेत्र में सूचना एकत्र करने के लिए गए, वहां उन्होंने देखा कि विशेष जीप जगतार सिंह नामक व्यक्ति के घर के सामने खड़ी थी । उन्हें यह भी पता चला कि जगतार सिंह और उसका परिवार पंजाब गया हुआ है और उसका बड़ा बेटा घर में अकेला है । तत्पश्चात्, उस घर को घेर लिया गया । और यह निर्णय लिया गया कि आगे की कार्रवाई सुबह होने पर ही की जाएगी क्योंकि आतंकवादी रात के अंधेरे में भाग कर बच निकल सकते हैं ।

सुबह करीब 9.30 बजे पुलिस दल ने तीन व्यक्तियों को मकान से बाहर आते हुए देखा । श्री ए० आर० अब्दुल करीम तुरन्त तेजी से उनकी ओर दौड़ कर गए और उनको ललकारा परन्तु उन्होंने पुलिस दल पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और दौड़ कर मकान के अंदर घुस गए । श्री अब्दुल करीम ने अपने दल को मोर्चा संभाल कर जबाबी गोली-बारी करने का निर्देश दिया । दोनों ओर से हो रही गोलीबारी में उनमें से एक आतंकवादी गोली लगने से घायल होकर मर गया । शेष दो आतंकवादी पुलिस दल पर गोलियां चलाते हुए बच कर भाग गए । पुलिस कार्मिकों ने उनका पीछा किया और बाद में उनमें से एक को पकड़ लिया, जोकि वहीं झाड़ियो में छिपा हुआ था । उसने अपना नाम निशान सिंह बताया । मृत आतंकवादी की पहचान प्रधान सिंह पुछाद के रूप में की गई जोकि महाराष्ट्र के बम्बई और वाशी क्षेत्रो में के० सी० एफ० का नव नियुक्त एरिया कमांडर था । तलाशी के दौरान, मुठभेड़ के स्थल से 2 ए० के०-47 राईफलें, ए० के० 47 की 6 मैगजीन, 272 बिना चले कारतूस, 6 डिटोनेटर्स, 4 बैटरियां और सोडियम सायनायड 100 ग्राम की मात्रा में बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में श्री ए० आर० अब्दुल करीम, निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता साहस और उच्च कोटी की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1 दिसम्बर, 1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश पधान निदेशक

सं० 79-प्रेज/94—राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनक वीरता के लिए पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री जे० ए० ठाकुर,
पुलिस उप-निरीक्षक,
अपराध शाखा,
बृहत्तर बम्बई ।

श्री ए० एस० येओले
पुलिस उप-निरीक्षक,
अपराध शाखा,
बृहत्तर बम्बई ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 1 फरवरी, 1992 को अपराध अन्वेषण शाखा को सूचना मिली कि दाऊद गिरोह के कुछ सदस्य-लूट खसोट के लिए कोंकण नगर हटमेंट, भन्डूप (पश्चिमी) बम्बई में आने वाले थे । तथ्यों का सत्यापन करने के बाद अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) के पर्यवेक्षण में एक विशेष अभियान दस्ते के साथ अपराध शाखा के 8 निरीक्षको, 12 उप-निरीक्षको की एक टीम बनायी गयी । भान्डूप में कोंकण की एक टीम बनाई गई । भान्डूप में कोंकण नगर हटमेंट पहुंचने पर टीम को तीन टुकड़ियो में विभाजित किया गया—प्रथम टुकड़ी ने हटमेंटो के पीछे की पहाड़ी पर मोर्चा संभाला जबकि बाकी दोनो टुकड़ियों विभिन्न दिशाओ में हटमेंटों में गयी और खोजबीन/तलाशी अभियान शुरू किया ।

जब टीम हटमेंटो की तलाशी ले रही थी तो आग्नेयास्त्रों से लैस 4 व्यक्ति अहिल्या विद्यालय के पीछे से एक गली में बाहर आये । यह देखने पर पुलिस पार्टी ने अपनी पहचान बतायी और उन्हें आत्म-समर्पण करने के लिए कहा लेकिन उन्होने पुलिस पार्टी पर गोलियां चलायी । उसके बाद, अपराधियों ने भागना शुरू किया—उनमें से दो घने-बसे-हटमेंटों की ओर भागे जबकि अन्य दो भान्डूप परिसर की तरफ भागे । भागते हुए वे पुलिस कार्मिकों पर गोलियां चलाते रहे । दो निरीक्षकों ने दो अपराधियों का पीछा किया लेकिन वे भटक गए क्योकि घने बसे हटमेंटों में लापता हो गए ।

उप-निरीक्षक, सूर्यवंशी ने, अन्यों के साथ, अन्य दो अपराधियो का पीछा किया । जैसे ही अपराधी भान्डूप परिसर क्षेत्र में दाखिल हुए तो उनका सामना पहले ग्रुप के सर्वश्री ठाकुर और येओले से हुआ । इस प्रकार से दोनो अपराधी, दो पुलिस पार्टियो के बीच फंस गए । यह महसूस करने पर, उन्होने दोनो दिशाओं की तरफ अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दीं । सर्वश्री सूर्यवंशी, येओले, ठाकुर और अन्यों ने उन पर गोलियाँ चलायी । इस गोलीबारी में दोनो अपराधी गोली लगने से जख्मी हो गए और ढेर हो गए । पुलिस पार्टी ने उन्हें निशस्त्र कर दिया और उन्हें राजावाडी अस्पताल ले गए लेकिन भर्ती करने से पहले ही दोनो को मृत घोषित कर दिया गया । तलाशी लेने पर, मृत अपराधियो से दो कारतूसो के साथ एक सुपर मैच कोल्ड 38 बोर की पिस्तौल और एक पी० बरेरा 9 एम० एम० पिस्तौल बरामद की गयी।

इस मुठभेड में सर्वश्री जे० ए० ठाकुर, पुलिस उप-निरीक्षक, और ए० एस० येओले पुलिस उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

ये बार पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1 फरवरी 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान निदेशक

सं० 80-प्रेज/94--राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :--

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री एम० ए० कावी
पुलिस निरीक्षक,
पुलिस थाना,
बम्बई शहर ।

श्री जे० एस० पाटिल,
पुलिस निरीक्षक,
पुलिस थाना सान्ताक्रुज,
बम्बई ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 24 जनवरी 1991 को करीब 19-30 बजे (आसूचना एकत्र करने और अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए गठित) मे विशेष दस्ते के अधिकारियों और कर्मिकों ने आतंकवादी बलदेव सिंह को एक इमारत में घुसते देखा । उन्होंने तत्काल उसे घेर लिया और आत्म-समर्पण करने के लिए कहा । आतंकवादियों ने जवाब में स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध गोलियां चलाई । क्योंकि यह घनी आबादी वाला क्षेत्र था, इसलिए किसी निर्दोष व्यक्ति को कोई हानि न पहुंचे, इस बात को ध्यान में रखकर पुलिस कार्मिकों ने बहुत सतर्कता से जवाब में गोलियां चलाई । निरीक्षक एम० ए० कावी और उपनिरीक्षक बी० एस० देशमुख रेंगकर उस इमारत के 15 मीटर के फांसले पर पहुंचे जहां से पुलिस दल पर गोलियां चलाई जा रही थीं । उन्होंने आतंकवादियों के भागने की संभावना को ध्यान में रखते हुए उनकी कार के टायरों की हवा निकाल दी । 24 जनवरी, 1991 के 21-00 बजे से 25 जनवरी, 1991 के 04-00 बजे तक लगातार गोली बारी होती रहीं । उसके बाद उग्रवादियो की तरफ से गोलियां चलनी बंद हो गई । तलाशी के दौरान उग्रवादियों के तीन शव बरामद किए गए । मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ ।

स्पष्टीकरण में, राज्य सरकार ने बताया है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि इस मुठभेड़ में सभी अधिकारियों और कार्मिकों ने आश्चर्यजनक साहस और वीरता का परिचय दिया किन्तु वीरता पदक प्रदान करने के लिए जिन अधिकारियों की सिफारिश की गई है वे खूंखार आतंकवादियों के विरूद्ध अभियान चलाने वाले दल का नेतृत्व करने, तथा इससे संबंधित योजना तैयार करने और उसका निष्पादन करने के लिए मुख्य रूप से पूर्णतः जिम्मेदार थे । राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि सहायक पुलिस आयुक्त श्री ए० जी० कदम ने इस अभियान का नेतृत्व और प्रबोधन किया । वे और जे० एस० पाटिल, निरीक्षक, उस स्थान पर सबसे आगे थे, जहां पर आतंकवादियों ने हथगोले फैंके और वे बाल-बाल बचे । आतंकवादियों ने उन पर अपनी अत्याधुनिक स्वचालित असाट राईफलों से भी अंधाधुंध गोलियां चलाई लेकिन तब भी वे आतंकवादियों को भागने से रोकने के लिए अपने मोर्चे पर अविचलित डटे रहे । निरीक्षक एम० ए० कावी और उपनिरीक्षक देशमुख ने आतंकवादियों की कार के टायरों की हवा निकाल दी और उन्हें बचकर भागने नहीं दिया । ये अधिकारी पुलिस उप-निरीक्षक पास्कल डीसूजा की सशस्त्र कवर के अधीन थे, जो सर्व/श्री कावी और देशमुख के साथ ही अपना जीवन खतरे में डालकर डटे रहे ।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री एम० ए० कावी और जे० एस० पाटिल, पुलिस निरीक्षकों ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये बार पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 जनवरी, 1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान, निदेशक

सं० 81-प्रेज/94---राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री एन० लोखन सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
मणिपुर ।

श्री एन० मांगी सिंह,
कांस्टेबल,
मणिपुर ।

श्री दानिल माओ,
कांस्टेबल,
मणिपुर ।

श्री एम० सोरीथिंग टंगखुल,
कांस्टेबल,
मणिपुर ।

श्री ओ० जयदेव सिंह,
कांस्टेबल,
मणिपुर ।

श्री एन० कुकी,
कांस्टेबल,
मणिपुर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

थगमेईबंद युमनाम लेईकाई के एक व्यक्ति एन० उत्तम सिंह द्वारा पी० एल० ए० के उग्रवादियों के एक ग्रुप को शरण दिये जाने के बारे में 28-8-92 को सूचना प्राप्त होने पर इम्फाल जिले की एक कमांडो पार्टी, जिसमें श्री एन० लोखोन सिंह, सहायक उप-निरीक्षक और पांच अन्य कांस्टेबल थे, ने उत्तम सिंह के मकान पर छापा मारा ।

उत्तम सिंह से पूछताछ करने पर पता चला कि कियशमपट थोकचोम लेईकाई के एल० ब्रोजन उर्फ लमडाईबा के पास एक .38 रिवाल्वर और एक 36-एच० ई० हथगोला है । उसके बाद पुलिस पार्टी ने एल० ब्रोजन सिंह के घर पर छापा मारा और उसे 8 राउण्ड गोला बारूद के साथ जब्त किया । उससे पूछताछ करने के बाद पार्टी ने सिंगजामेई थोकचोम लेईकाई के एल० तरूण सिंह उर्फ इबुन्गो के घर पर छापा मारा और विदेश निर्मित जी-2 कारतूस के 506 राउण्ड बरामद किए । उपरोक्त व्यक्तियों से विस्तृत पूछताछ करने के बाद पुलिस दल इस निर्णय पर पहुंचा कि शस्त्रों से अच्छी तरह लैस पी० एल० ए० के 7 या 8 उग्रवादियों का एक ग्रुप टी० ह्रिजाम दीवान लेईकाई के घर में शरण लिए हुए था । समय की कमी के कारण और उग्रवादियों को कोई सुराग दिये बगैर, कमांडो ग्रुप ने कुमुक का इंतजार किए बिना ही पी० एल० ए० उग्रवादियों को समाप्त करने की स्वयं ही जिम्मेवारी ली ।

लगभग 4.50 बजे पूर्वाह्न को बस्ती में पहुंचने पर पुलिस पार्टी ने एम० देवेनकुमार सिंह के घर को इस प्रकार से घेरा कि दानिल माओ, कांस्टेबल और एम० सोरीथिंग टंगखुल कांस्टेबल, घर के पीछे के दरवाजे की तरफ बढ़े और कांस्टेबल एन० मांगी सिंह और ओईनाम जयदेव सिंह आगे के दरवाजे की तरफ बढ़े और एन० लोखोन सिंह, सहायक उप-निरीक्षक, एन० कुकी, कांस्टेबल के साथ दक्षिण की तरफ से आगे बढ़े ।

अचानक, घर के अंदर से स्वचालित हथियारों से, पश्चिम दिशा को गोलियों की बौछार होने की आवाज हुई जिससे सोरीथिंग और दानिल माओ, कांस्टेबल गंभीर रूप से जख्मी हो गए । दानिल माओ, कांस्टेबल की बायीं पिंडली और ठुड्डी बुरी तरह जख्मी हो गयी । गोली लगने से हुए जख्मों के दर्द के बावजूद, ये कांस्टेबल आगे बढ़े और एक युवक को मार गिराया जो कमरे से बाहर जा रहा था और स्वचालित अग्नेयास्त्रों से गोलीबारी कर रहा था । जवाबी गोलीबारी में दानिल माओ, कांस्टेबल के एस० एल० आर० का गोला बारूद समाप्त हो गया और उन्होंने मृतक उग्रवादी की एम-22 स्वचालित राईफल उठायी और घर के अंदर गोलीबारी करते रहे ।

इसी बीच पूर्वी दिशा से वो कांस्टेबल आगे के दरवाजे की तरफ बढ़े और दीवार के किनारे मोर्चा संभाला, जबकि कमांडर और कांस्टेबल एन० कुकी भी घर की दीवार की चौकी के साथ-साथ रेंगते हुए गए । अचानक एक युवक अपनी स्टेनगन से गोलियां चलाता हुआ मकान के सामने के दरवाजे से बाहर आया । पक्के भवन की दीवार के बिल्कुल पीछे खड़े एन० मांगी सिंह, कांस्टेबल ने, तुरन्त जवाबी गोलियां चलायीं और युवक को घटना स्थल पर ही मार गिराया । इस बीच जयदेव, कांस्टेबल तेजी से कमरे के अंदर घुस गए और कमरे के अंदर गोलियां चलायीं । मांगी सिंह, कांस्टेबल भी उनके साथ गए और गोलियां चलायी । नगामखोलीन, कांस्टेबल भी दरवाजे से अंदर गए और उग्रवादियों पर गोलियां चलायी जो खिड़कियों से सभी दिशाओं को गोलियां चला रहे थे । श्री दानिल माओ, कांस्टेबल, जख्मी दशा में पहले ही कमरे में मौजूद थे । श्री एन० लोखोन सिंह, सहायक, उप-निरीक्षक भी पिछले दरवाजे से गोलियां चलाते हुए वहां दाखिल हुए । पुलिस पार्टी के अंतिम हमले में घर के अंदर दो और सशस्त्र उग्रवादी मारे गए और एक अन्य जो गोली लगने से जख्मी हो गया था, अभी मकान के अन्दर जीवित था ।

इस मुठभेड़ में, पी० एल० के० के 4 भूमिगत सदस्य घटना-स्थल पर मारे गए और एक ने अन्य ने अस्पताल ले जाते हुए, जख्मों के कारण दम तोड़ दिया । बाद में मृतक आतंकवादियों की शिनाख्त (1) हुइदरम मांगी उर्फ थोईथोई, (2) लाईश्रम पताकन उर्फ बीरबल, (3) वेखम टेनडोन्बा उर्फ विश्वजीत, (4) चिंगथाम रोबिन्द्रो उर्फ जिल्ला और (5) नोंगथोमबम दया उर्फ थाबा के रूप में की गयी ।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री एन० लोखोन सिंह, उप-निरीक्षक, एन० मांगी सिंह, कांस्टेबल, दानिल माओ, कांस्टेबल, एम० सोरीथिंग टंगखुल, कांस्टेबल, ओ० जयदेव सिंह, कांस्टेबल, और एन० कुकी, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक राष्ट्रपति के पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 28 अगस्त, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान, निदेशक

सं० 82-प्रेज/94—राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री नोंगथम्बम लोखोन सिंह,
पुलिस सहायक उप-निरीक्षक,
(अब उप-निरीक्षक),
इम्फाल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

20 अगस्त, 1992 को यह सूचना मिलने पर कि पी० एल० ए० के कुछ कट्टर पंथी सदस्य तोप अबांग लीकेई को आ रहे

हैं, श्री एन० लोखोन सिंह, ए० एस० आई० ने छह कांस्टेबलों सहित एक पुलिया के निकट, तोप अवांगलीकेई में 3बजे अपराह्न से घात लगाई। करीब 4 बजे अपराह्न श्री सिंह ने एक यामाहा मोटर साईकिल पर आ रहे दो युवकों को रुकने की चेतावनी दी। उन्होंने चेतावनी की परवाह किए बगैर मोटर साईकिल की रफ्तार और बढ़ा दी तथा आईरिल नदी के किनारे के साथ-साथ खोंगनंगखोंग की तरफ भाग गए। पुलिस दल ने जीप में युवकों का पीछा किया। अचानक मोटर साईकिल कीचड़ में धंस गई और ए० एस० आई० और उनका दल जीप से उतर कर भाग रहे युवकों की तरफ दौड़ा। अलग-अलग दिशाओं में भागने की कोशिश कर रहे युवकों में से एक ने ए० एस० आई० को आगे बढ़ने से रोकने के लिए गोली चलाई। भाग रहे उग्रवादियों में से एक ने श्री लोखोन सिंह पर हथगोला फैंकने के लिए हथगोले की पिन निकालने की कोशिश की किन्तु इससे पहले कि उग्रवादी ए० एस० आई० और उनके दल को हानि पहुंचाता, ए० एस० आई० ने शीघ्र ही उसके सिर को गोली का अचूक निशाना बनाया और उसे यहीं मार गिराया। श्री लोखोन सिंह दूसरे उग्रवादी का पीछा करते रहे किन्तु वह घनी आबादी वाले तोप अवांग लीकेई गांव में भागने में सफल हो गया। बाद में, मारे गए उग्रवादी की येन्द्रनबय श्यामकन्हई सिंह उर्फ अजी के रूप में शिनाख्त की गई जिसकी अनेक अन्य अपराध के मामलों में तलाश थी।

इस मुठभेड़ में श्री नोंगथम्बम लोखोन सिंह, सहायक उप-निरीक्षक, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 20 अगस्त, 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 83/प्रेज/94—राष्ट्रपति, मिजोरम पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री रोकिमा (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
पहली बटालियन,
एम० ए० पी०,
मिजोरम।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 17 दिसम्बर, 1991 को एन० ई० खादुंगी बी० ओ० पी० में सूचना मिली कि एच० पी० सी० के उग्रवादी थांगसीया और कल्तलुएंगा, नौ एच० पी० सी० उग्रवादियों सहित गांव चिम्राहपुई और खावकान में जबरदस्ती धन एंठने के लिए गए हैं। एच० पी० सी० के कार्यकर्ताओं का पीछा करने के लिए तुरन्त पुलिस दल तैनात किया गया। खावकान गांव पहुंचने पर उन्हें पता लगा कि एच० पी० सी० के कार्यकर्ता उस गांव से जा चुके हैं तथा मणिपुर और मिजोरम राज्यों के साथ लगने वाली तुइवाई नदी की ओर चले गए हैं। पुलिस दल ने नदी के पार मणिपुर की सीमा पर गांव सिनजाल तक उनका पीछा किया परन्तु उनको पकड़ नहीं सके।

18 दिसम्बर, 1991 की प्रातः पुलिस दल तुइवाई नदी पर वापस आ गया, जहां दो ग्रामीणों ने उन्हें सूचित किया कि एच० पी० सी० के कार्यकर्ताओं ने साकीलुई धारा के आस-पास घात लगाई हुई है। प्रभावकारी ढंग से छानबीन करने के लिए पुलिस दल दो दलों में विभाजित हो गया—जिनमें से उप-निरीक्षक छुआनावामा के नेतृत्व में पांच कार्मिक वाला एक दल उनके रोकने वाले दल के रूप में मुख्य सड़क पर गया तथा हवलदार एंगकुंगा के नेतृत्व में तीन व्यक्तियों वाला दूसरा दल उग्रवादियों को खदेड़ने वाले दल के रूप में झूम खेत तक गया। एच० पी० सी० के कार्यकर्ताओं ने सड़क के ऊपर घने जंगल वाले क्षेत्र में पहाड़ी इलाके में घात लगाई तथा अपना मोर्चा इस प्रकार से सुरक्षित बनाया जिसे दोनों ओर से देखा नहीं जा सकता था।

दिनांक 18 दिसम्बर, 1991 को करीब 11 बजे जब पुलिस दल उस क्षेत्र में घुसा, जहां घात लगाई गई थी, तो उन पर 7.62 एस० एल० आर० और एस० बी० बी० एल० बंदूकों से लैस एच० पी० सी० कार्यकर्ताओं द्वारा गोली चलाई गई, जिसके जवाब में पुलिस दल ने भी तुरंत गोलियां चलाई। इसी दौरान कांस्टेबल रोकिमा ने एच० पी० सी० के कार्यकर्ताओं को सड़क की ओर बम फिट करते हुए देखा, जिससे आगे बढ़ते हुए पुलिस दल को समाप्त किया जा सकता था। एच० पी० सी० के कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी के बीच तथा खतरनाक स्थिति की पूरी जानकारी होते हुए और अपनी निजी सुरक्षा की जरा भी परवाह न करते हुए कांस्टेबल रोकिमा ने डिटोनेटर से लटकती हुई तार को खींच कर बाहर निकाल कर बम को निष्क्रिय कर दिया। दोनों ओर से गोलियां चलने के दौरान, कांस्टेबल रोकिमा ने अचूक निशाने से एच० पी० सी० के कार्यकर्ताओं पर जवाबी गोलीबारी की, जिससे कल्तलुओंगा और छागनेहिया नामक उनके दो नेता मारे गए, जिसका घात लगाने वालों पर काफी प्रभाव पड़ा। अपने नेताओं को मृत देखकर एच० पी० सी० के कार्यकर्ताओं ने कांस्टेबल रोकिमा को अपनी गोलीबारी का निशाना बनाया जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। बाद में घावों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अपने नेताओं को मृत देखकर एच० पी० सी० कार्यकर्ता और नहीं टिक सके तथा जंगल की ओर भाग गए तथा अपने मृत नेताओं के शव वहीं छोड़ गए। मुठभेड़ स्थल से बड़ी संख्या में शस्त्र और गोला बारूद बरामद हुए, जिसमें (1) एक 7.62 एस० एल० आर० (2) गोलाबारूद 22 नग सहित 7.62 एस० एल०

आर० (3) 2 एस० बी० बी० एल० बंदूकें (4) एक हैंड बम और (5) एस० बी० बी० एल० के आठ कारतूस शामिल हैं ।

इस मुठभेड़ में श्री रोकिमा, कांस्टेबल, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति के पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 17 दिसम्बर, 1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान, निदेशक

सं० 84-प्रेज/94—राष्ट्रपति मिजोरम पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री पी० लालहर्मिंगथंगा,
उप-निरीक्षक,
सी० आई० डी०,
(एस० बी०),
मिजोरम ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

विश्वसनीय सूचना के आधार पर, एच० पी० सी० के शिखर उग्रवादी नेता, जिनके बारे में बताया गया था कि वे दीमापुर में छिपे हुए हैं, को पकड़ने के लिए पी० लालहर्मिंगथंगा, उप-निरीक्षक के नेतृत्व में 6 सदस्यों का एक विशेष अभियान दल तैनात किया गया था। वहां पहुंचने पर पुलिस पार्टी ने ओ०/सी० दीमापुर पूर्वी थाना से सम्पर्क किया और इन एच० पी० सी० नेताओं को गिरतफार करने में मदद देने का अनुरोध किया। उन्होंने मदद देना स्वीकार कर लिया और वे दीमापुर पुलिस स्टेशन से पुलिस बल सहित श्री लालहर्मिंगथंगा, सहायक निरीक्षक के साथ गए ।

7 जून, 1992 को लगभग 10.45 बजे मिजोरम पुलिस और दीमापुर पुलिस की संयुक्त पार्टी ने, इन उग्रवादियों की उपस्थिति की पुष्टि के बाद जलावारा हमार के मकान पर छापा मारा और श्री पी० लालहर्मिंगथंगा ने मकान में रह रहे व्यक्तियों को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा। इस पर मकान के मलिक और एच० पी० सी० नेताओं ने लाईट बंद कर दी और पुलिस पार्टी पर गोलियां चलानी प्रारम्भ कर दी। स्थिति की गंभीरता को महसूस करते हुए श्री पी० लालहर्मिंगथंगा, उप-निरीक्षक, अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बगैर मुख्य दरवाजे की तरफ गए, तथा मुख्य दरवाजे को तोड़कर वे मकान के अन्दर कूद पड़े और उन्होंने अपनी सर्विस रिवाल्वर से गोलियां चलायीं । इस मुठभेड़ में, एच०पी० सी० के अध्यक्ष हर्मिंगथुंगनुंग गोलीबारी की आड़ में खिड़की से बाहर कूदकर भागने में सफल हो गए । उसके बाद श्री पी० लालहर्मिंगथंगा, उप-निरीक्षक एच० पी० सी० के जनरल सैक्रेटरी थंगलियानसंग पर झपट पड़े और उसे दबोच लिया। इसी बीच, मिजोरम पुलिस का एक कांस्टेबल और एक ड्राईवर-कांस्टेबल भी मकान के अंदर आ गए और हत्या के अनेक मामलों और जघन्य अपराध में अंतर्ग्रस्त जनरल सैक्रेटरी, थगलियानसंग को गिरफ्तार करने में उप-निरीक्षक की मदद की। जवाबी गोलीबारी में ड्राईवर कांस्टेबल की बायीं हथेली गोली लगने से जख्मी हो गयी ।

इस मुठभेड़ में श्री पी० लालहर्मिंगथंगा, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 7 जून, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश, प्रधान निदेशक

सं० 85 प्रेज/94—राष्ट्रपति, उड़ीसा पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सुशान्त कमार चांद,
पुलिस उप-निरीक्षक,
पुलिस स्टेशन—तांगी कटक

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 8 मई, 1992 को 12.40 बजे अपराह्न, श्री एस० के चांद, उप-निरीक्षक को टेलीफोन पर सूचना प्राप्त हुई कि तीन अपराधियों नामतः कालिया उर्फ देबादुल्लव दासने अपने दो साथियों को साथ, आगराहट स्थित यूको बैंक में 1,11,582.77 रुपये का डाका डाला और एक मोटर साईकिल पर सवार होकर भाग गए । सूचना प्राप्त होने पर, श्री चांद ने अपनी पार्टी के साथ, जिसमें एक सहायक उप-निरीक्षक, एक हवलदार और 9 कांस्टेबल थे, तुरन्त कार्रवाई की और पुलिस स्टेशन की जीप द्वारा सालगांव रोड की तरफ रवाना हो गए । रास्ते में श्री चान्द ने सालगांव की तरफ से नीले रंग की इन्डो-सुजूकी मोटर साईकिल पर तेज गति से आ रहे अपराधियों को रोका । रुकने के संकेत की परवाह किए बगैर, अपराधियों ने तेज गति से भागने की कोशिश की और मुख्य सड़क को छोड़कर खुले खेतों से होते हुए पंचावाया बुमुरी और "हेता बुमुरी" पहाड़ियों की ओर मोटर साईकिल भगायी । पुलिस पार्टी ने कुछ दूरी तक अपराधियों का पीछा किया, लेकिन इन तीन अप-

राधियों ने अचानक मोटर साइकिल छोड़ दी और पुलिस पार्टी पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। उप-निरीक्षक एस० के० चांद भी अपनी सर्विस रिवाल्वर से गोलियां चलाते हुए पैदल आगे बढ़े । पुलिस पार्टी को भयभीत करने और उन्हें मारने के लिए अपराधी उन पर अन्धाधुन्ध गोलियां चलाते रहे। उप-निरीक्षक श्री चान्द ने अपने दल को जवाबी गोलियां चलाने का निर्देश दिया। मुठभेड़ में, दो कांस्टेबल गोली लगने से जख्मी हो गए । इस बीच, अपराधियों ने रिवाल्वर दिखाकर एक व्यक्ति से एक साईकिल छीनी और हेता पहाड़ी की तरफ भाग गए और पुलिस पार्टी पर गोलियां चलाते रहे । इस निर्णायक मोड़ पर निरीक्षक एस० के० चांद ने अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए, उनका पीछा किया और उन पर गोलियां चलायीं और अन्ततः अपने स्टाफ की सहायता से उनमें से दो, नामतः कालिया उर्फ देबादुल्लब दास और छागला उर्फ प्रदीप नायक को दबोच लिया। तीसरा अपराधी भाग गया और हेता पहाड़ी में छिप गया। इन दो अपराधियों को पुलिस स्टेशन भेजने के बाद, पुलिस दल ने तीसरे अपराधी मीर मुन्ना की तलाशी शुरू कर दी, जो हेता पहाड़ी में छिपा हुआ था। तलाशी के दौरान मीर मुन्ना ने तलाशी पार्टी पर अपने रिवाल्वर से गोलियां चलायी जिसका उप-निरीक्षक ने तत्काल उत्तर दिया और अन्ततः उसे दबोच लिया । उन्होंने एक .22 बोर के सक्रिय कारतूस और दो .22 बोर के खाली कारतूस से भरी देसी पिस्तौल जब्त की । पुलिस पार्टी ने कालिया उर्फ देबादुल्लब दास जो 10 अपराधिक मामलों में अन्तर्ग्रस्त था, से .8 एम० एम० के एक सक्रिय कारतूस से भरी एक देसी पिस्तौल और स्प्रिंग वाला चाकू भी बरामद किया और छागला उर्फ प्रदीप नायक से .8 एम० एम० के एक खाली कारतूस से भरी एक देसी पिस्तौल बरामद की ।

उप-निरीक्षक, एस० के० चांद ने असाधारण साहस और नेतृत्व का परिचय दिया और गोला बारूद और शस्त्र के अतिरिक्त यूको बैंक, अगरहत शाखा का कैश-बाक्स, जिसमें 61,582 रु० थे और नीले रंग की इन्डो-सुजूकी मोटर साइकिल सं० ओ०आई०सी० 4170 बरामद की। सभी तीनों कुख्यात अपराधी जख्मी हुए और पकड़े गए, जबकि 4 पुलिस कार्मिक भी जख्मी हुए, जिन्हें उपचार के लिए जल्दी से अस्पताल ले जाया गया ।

इस मुठभेड़ में श्री सुशान्त कुमार चांद, पुलिस उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 मई, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 86-प्रेज/94—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री योगेन्द्र पाल सिंह,
कांस्टेबल,
नैनीताल ।

श्री रणवीर सिंह,
कांस्टेबल,
नैनीताल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 4 मई, 1992 को करीब 1630 बजे, जब श्री योगेन्द्र पाल सिंह और रणवीर सिंह, कांस्टेबल रामनगर पुलिस थाने की मालधन चौड़ नामक एक दुरस्थ पुलिस चौकी पर ड्यूटी दे रहे थे तो दो व्यक्ति वन विभाग की मिनी बस में चौकी पर आए और उस क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए पुलिस बल के लिए निवेदन किया । सर्व/श्री योगेन्द्र पाल सिंह और रणवीर सिंह ने कहा कि इस समय केवल वे दोनों ही ड्यूटी पर हैं, और इस स्थिति में उनके साथ चलना संभव नहीं होगा। वे दो व्यक्ति उस चौकी में पुलिस कार्मिकों की संख्या का पता लगाकर वहां से चले गए। उसके कुछ ही देर बाद असाल्ट राइफलों से लैस 12-13 उग्रवादी वन विभाग की मिनी बस में आए और चौकी को घेर लिया और "खालिस्तान जिन्दाबाद" के नारे लगाते हुए, हथियार और गोलाबारूद को लूटने और पुलिस कार्मिकों को मारने के उद्देश्य से गोली बारी शुरू कर दी। यद्यपि सर्व/श्री योगेन्द्र पाल सिंह और रणवीर सिंह संख्या में नगण्य थे, तो भी उन्होंने साहस नहीं खोया, अपने आर० टी० सेट सहायता के लिए संदेश भेजा, सुरक्षात्मक पोजीशन ली, और वीरता-पूर्वक उग्रवादियों को व्यस्त रखा और आधे घंटे तक की मुठभेड़ में प्रभावी रूप से उनका मुकाबला किया और उन्हें नजदीक नहीं आने दिया। पुलिस गाड़ियों को आते देखकर उग्रवादियों ने पोजीशन छोड़ दी और घटना स्थल से भाग गये ।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री योगेन्द्र पाल सिंह, कांस्टेबल और रणवीर सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक राष्ट्रपति के पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 4 मई, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 87-प्रेज/94—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री राजेन्द्र प्रसाद पांडेय (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
सिविल पुलिस,
जिला प्रतापगढ़ ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

7 जुलाई, 1987 को, कोहरौड़ पुलिस थाने में तैनात, श्री राजेन्द्र प्रसाद पांडेय सी० ई० आर० ड्यूटी पर पुलिस लाईन्स आ रहे थे। जब वे कुमार पैलेस सिनेमा हाल के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने शाहिद परवीज उर्फ फरहतउल्लाह को देखा जिसकी स्थानीय पुलिस को तलाश थी। यद्यपि श्री पांडेय ड्यूटी पर नहीं होने के कारण निहत्थे थे और वे अच्छी तरह यह जानते थे कि शाहिद परवीज उनके जीवन को खतरा पहुंचा सकता है फिर भी उन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डालकर तत्काल तेजी से परवीज का पीछा किया। यह देखते हुए कि श्री पांडेय तेजी से उसका पीछा कर रहे हैं, परवीज अचानक पलटा, तथा एक बड़ा चाकू निकाला और श्री पांडेय की छाती में घोंप दिया। वे बुरी तरह जख्मी होकर धरती पर गिर गए। पास में ड्यूटी कर रहे अन्य पुलिस कार्मिक ने श्री पांडेय की चीख सुनी। उन्होंने अपराधी को भागते हुए देखा और दूसरे कार्मिक के साथ अपराधी का पीछा किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में श्री पांडेय को सदर अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

इस मुठभेड़ में श्री राजेन्द्र प्रसाद पांडेय, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 7 जुलाई से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 88-प्रेज/94—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री राजपाल सिंह (मरणोपरांत)
हेड कांस्टेबल,
जिला एटा ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

श्री राजपाल सिंह, एटा, साकेत से विधान सभा सदस्य, श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी के साथ गनमैन (पी०एस०ओ०) के रूप में तैनात थे। 16 जनवरी, 1991 को लगभग 2000 बजे श्री सोलंकी के पड़ोसी श्री बृजभान सिंह ने उन पर गोली चलायी, क्योंकि उसको संदेह था कि अवैध हथियारों के निर्माण में श्री बृज भान सिंह की अन्तर्ग्रस्तता के बारे में श्री सोलंकी ने पुलिस को सूचित किया। उस समय, श्री सोलंकी के पी० एस० ओ० के रूप में तैनात श्री राजपाल सिंह ने देखा कि बृज भान, श्री सोलंकी को मारने के इरादे से उन पर निशाना लगा रहा था अपने जीवन की परवाह न करते हुए और तेज गति से वह श्री सोलंकी के सामने आ गए और गोली को अपनी छाती पर ले लिया और श्री सोलंकी के जीवन को बचा लिया। इस कार्रवाई में श्री राजपाल सिंह ने, उस व्यक्ति की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया, जिसकी सुरक्षा के लिए उसे तैनात किया गया था, इस प्रकार कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राण न्योछावर कर दिए। इसी बीच उसी परिसर में ड्यूटी पर तैनात दूसरे हेडकांस्टेबल ने हमलावर को दबोचने की कोशिश की और अपने रिवाल्वर से गोलियां चलायी लेकिन हमलावर भागने में सफल हो गया।

इस मुठभेड़ में, श्री राजपाल सिंह, हेड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया। यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 16 जनवरी, 1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 89-प्रेज/94—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री विनोद कुमार,
पुलिस उप-अधीक्षक,
कानपुर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 28 जनवरी, 1991 को करीब 15.15 बजे श्री विनोद कुमार, पुलिस उप-अधीक्षक को सूचना प्राप्त हुई की नामरान उर्फ चंगु नाम का एक कुख्यात अपराधी अपने गिरोह के साथ, अपराध करने और साम्प्रदायिक तनाव भी, पैदा करने के उद्देश्य से जमन गंज में एक घर में छिपा हुआ है। सूचना प्राप्त होते ही श्री विनोद कुमार, उपलब्ध पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और घर को घेर लिया और अपराधियों को आत्म समर्पण करने के लिए ललकारा किन्तु अपराधियों ने घर के अंदर मोर्चा संभाला और पुलिस पार्टी पर गोलियां चलाई श्री कुमार जो टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए सबसे आगे थे गोली लगने से जख्मी हो गए। जख्म की

परवाह न करके, भीतर छिपे हुए अपराधियों द्वारा की जा रही भारी गोली बारी का सामना करते हुए, भारी खतरा उठाकर वे घर में प्रविष्ट हुए। श्री कुमार जैसे ही घर में घुसे अपराधियों में से एक जिसने किवाड़ की ओट में मोर्चा संभाला था उस पर निशाना साधा और गोली चलाने ही वाला था कि श्री कुमार ने अद्भुत साहस और चीते की सी गति से, आग्नेयास्त्र को ऊपर की ओर कर दिया और अपराधी को धर दबोचा। जख्मी होने के बावजूद श्री कुमार द्वारा दिखाए गए दृढ़ निश्चय और साहस को देखकर पुलिस पार्टी के अन्य सदस्यों ने हिम्मत के साथ दूसरे अपराधियों को ललकारा और अपराधी दल के नेता कामरान उर्फ चंगु सहित सभी पांच उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से कारतूसों सहित एस० बी० बी० एल० कारखाने में निर्मित बंदूक, 3 देशी पिस्तौल और कारतूस और 5 बम बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री विनोद कुमार, पुलिस उप अधीक्षक ने अदम्य वीरता साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 28 जनवरी, 1991 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 90-पेज/94—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सुरेन्द्र सिंह,
पुलिस निरीक्षक,
रामपुर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 28 सितम्बर, 1991 को रामपुर के पुलिस अधीक्षक श्री गुरदर्शन सिंह ने बिलासपुर थाने के थाना प्रभारी, निरीक्षक श्री सुरेन्द्र सिंह, को सूचित किया कि कुछ आतंकवादियों ने श्री राम शंकर धनकर, एस० डी० एम०, बिलासपुर और श्री राम अवतार सक्सेना, कानूनगो, बिलासपुर, का अपहरण कर लिया है तथा वे अपहृत किए गए व्यक्तियों सहित बरेली की ओर बचकर भागने की योजना बना रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही श्री सुरेन्द्र सिंह ने तत्काल उपलब्ध बल को साथ लिया और बरेली जाने वाले मार्गों पर पहुंच गए। उस क्षेत्र का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने के बाद श्री सुरेन्द्र सिंह ने एक स्थान पर घात लगाई और आतंकवादियों के वहां पहुंचने की प्रतीक्षा करने लगे। करीब 21.30 बजे, श्री सिंह ने बिलासपुरी की ओर से आ रहे 14-15 व्यक्तियों की गतिविधियां देखी। श्री सिंह ने उनको ललकारा तो पुलिस दल पर आतंकवादियों द्वारा एसाल्ट राइफलों से भीषण गोलीबारी की गई, जो नारे लगाते हुए गन्ने के खेतों में घुस गए और पुलिस दल पर गोलियां चलाते रहे। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए श्री सुरेन्द्र सिंह ने पुलिस अधीक्षक श्री गुरदर्शन सिंह को वायरलैस पर स्थिति के बारे में बताया और उनसे कुमुक भेजने का अनुरोध किया। कुमुक साथ लेकर श्री गुरदर्शन सिंह तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पर स्थिति की जानकारी के बाद आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए पुनः ललकारा गया परन्तु आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण करने के बजाय गुरदर्शन सिंह और उनके दल पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। श्री सुरेन्द्र सिंह सहित श्री गुरदर्शन सिंह और उनके दल ने जवाब में गोलियां चलाई, परन्तु आतंकवादियों ने, जो गन्ने के खेतों की आड़ में बड़ी अच्छी तरह मोर्चा लिए हुए थे, पुलिस दल पर एक हथगोला फेंका, जिससे श्री सुरेन्द्र सिंह घायल हो गए। खुले स्थान में होने के बावजूद श्री सुरेन्द्र सिंह और श्री गुरदर्शन सिंह ने आगे रह कर अपने कार्मिकों का नेतृत्व किया और आतंकवादियों पर दबाव बनाए रखा। आतंकवादी, जिन पर काफी अधिक दबाव था, अंधेरे का लाभ उठाकर भागने के लिए मजबूर हो गए, और अपहृत व्यक्तियों को वहीं छोड़ गए, जिन्हें पुलिस दल द्वारा सुरक्षित रूप से बचा लिया गया।

इस मुठभेड़ में श्री सुरेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 28 सितम्बर, 1991 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 91-पेज/94—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री शर्मा दत्त त्यागी (मरणोपरान्त)
उप-निरीक्षक,
जिला अलीगढ़।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

12/13 फरवरी, 1992 के बीच की रात जब श्री शर्मा दत्त त्यागी, उप-निरीक्षक दो अन्य कांस्टेबलों सहित गश्त की

ड्यूटी पर थे तो उन्हें विश्वसनीय सूचना मिली कि खैर कस्बे से करीब एक किलोमीटर दूर, कुछ अपराधी महाबीर नामक व्यक्ति के घर में इकट्ठा हैं और कोई अपराध करने की योजना बना रहे है । सूचना मिलते ही, श्री त्यागी ने तत्काल पुलिस चौकी से अतिरिक्त कार्मिकों को एकत्र किया, उस इलाके में पहुंचे उस घर की घेरा बंदी की, जहां अपराधियों के एकत्र होने की संभावना थी । अपराधियों की उपस्थिति की पुष्टि के बाद श्री त्यागी ने मुख्य निकास द्वार के पीछे मोर्चा संभाला और अपराधियों को बाहर निकलने और आत्म-समर्पण करने के लिए ललकारा । चेतावनी को सुनकर अपराधियों में से एक अपराधी घर के बाहर आया और उसने भागने की कोशिश की किन्तु श्री त्यागी ने तत्काल अपराधी को काबू करके उसकी भागने की कोशिश को नाकाम कर दिया । पकड़ लिए जाने पर अपराधी ने चिल्लाकर अपने साथियों को सावधान कर दिया, जिन्होंने जवाब में घर के भीतर से पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलियां चलाई । अपराधियों में से एक अपराधी ने श्री त्यागी को, जो अभी भी अपराधी को पकड़े हुए थे, निशाना बनाते हुए, उस पर गोली चलाई । जिससे उनकी छाती गंभीर रूप से जख्मी हो गई और घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई । अपराधी, जो कि अभी तक श्री त्यागी की मजबूत पकड़ में था, ने भागने की कोशिश की, किन्तु दूसरे पुलिस कार्मिकों द्वारा उसे पकड़ लिया गया और हिलने डुलने नहीं दिया गया । अन्त में पुलिस पार्टी ने हथियार और गोली बारूद सहित सभी चार अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की ।

इस मुठभेड़ में श्री शर्मा तथा त्यागी, पुलिस उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 13 फरवरी, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 92-प्रेज/94—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री जे० के० शाही,
पुलिस उपाधीक्षक,
बांदा ।

श्री धीरेन्द्र सिंह,
कांस्टेबल,
बांदा ।

श्री कमलेश पांडे,
कांस्टेबल,
बांदा ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 26 सितम्बर, 1991 को बांदा के पुलिस अधीक्षक श्री ए० के० डी० द्विवेदी को सूचना मिली कि उ० प्र० और म० प्र० में सक्रिय राजकिरन का एक कुख्यात अन्तर्जिला गिरोह, पुलिस थाना "मतौंध के अधीन "कुम्हारन का डेरा में परसदवा कुम्हार के घर में मौजूद है । सूचना मिलने पर तुरन्त ही श्री द्विवेदी सक्रिय हो गए और धीरेन्द्र सिंह कांस्टेबल तथा कमलेश पांडेय, कांस्टेबल सहित सर्व/श्री जे० के० शाही, पुलिस उपाधीक्षक, जे० पी० सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एस० के० शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक को साथ लेकर उन्होंने नजदीकी पुलिस थानों से काफी फोर्स एकत्र की । गांव पहुंचने पर, श्री द्विवेदी ने घर और स्थिति का सावधानीपूर्वक जायजा लेने के बाद फोर्स को निर्देश दिए और छोटे-छोटे दल बनाने का निर्णय लिया । कुल मिलाकर पांच टुकड़ियां बनाई गई, पहली टुकड़ी का नेतृत्व श्री जे० के० शाही, पुलिस उपाधीक्षक, दूसरी का श्री जे० पी० सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, तीसरी का श्री एस० के० शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक, चौथी का श्री द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया और पांचवी टुकड़ी को एक उप-निरीक्षक के अधीन रखा गया । पहली, दूसरी और तीसरी टुकड़ी को क्रमशः दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी दिशा में रखा गया । चौथा टुकड़ी को राम आसरे कुम्हार के घर के पास तैनात किया गया और पांचवी टुकड़ी को बाहरी घेराबन्दी पर तैनात किया गया । लगभग 9.30 बजे प्रातः पुलिस के आगमन का पता चलने पर डकैतों में से एक, स्थिति को देखने के लिए परसदवा कुम्हार के घर से बाहर निकला, वह तुरन्त ही वापस भागा और अपने साथियों को उसने सूचित किया जिन्होंने पुलिस दलों पर गोली चलायी शुरू कर दी । पहली टुकड़ी का नेतृत्व करने वाले श्री जे० के० शाही ने आत्मसमर्पण के लिए डकैतों को ललकारा, लेकिन उन्होंने श्री शाही और उनकी टुकड़ी पर भारी गोली-बारी शुरू कर दी । अन्य कोई विकल्प शेष न रहने पर श्री शाही ने आत्म सुरक्षा में डकैतों पर गोलियां चलाई, डकैत घर से बाहर आए और ज्वार की खड़ी फसल की आड़ का लाभ लेकर उन्होंने भागने का प्रयास किया । अपने जीवन के प्रति खतरे से विचलित हुए बिना श्री शाही ने डकैतों पर गोली चलाई और उनमें से एक को मार डाला । इसी बीच अन्य टुकड़ियों ने डकैतों के, जोकि पुलिस दल पर गोली चलाना जारी रखते हुए वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, चारों ओर घेरा कस लिया । श्री द्विवेदी और उनके दल ने भागते हुए डकैतों का लगभग डेढ़ किलोमीटर तक पीछा किया और उन्होंने घात लगाई । अपने जीवन के प्रति गंभीर खतरे की परवाह न करते हुए कांस्टेबल धीरेन्द्र सिंह और कमलेश पांडे, डकैतों के नजदीक पहुंचने में सफल हो गए । इसी बीच श्री जे० पी० सिंह और श्री एस० के० शर्मा भी डकैतों के नजदीक पहुंच गए । श्री द्विवेदी, डकैतों की ओर रेंगकर गए और एक बार फिर उन्हें

आत्म-समर्पण के लिए ललकारा लेकिन डकैतों ने इसका जवाब भारी गोलीबारी से दिया तथापि श्री द्विवेदी ने डकैतों पर गोलीबारी शुरू की और डकैतों में से एक को मार डाला। डकैतों के नजदीक पहले से ही मोर्चा जमाए श्री धीरेन्द्र सिंह और श्री कमलेश पांडे, कांस्टेबलों ने भी दो और डकैतों का खात्मा कर दिया जबकि दो अन्य डकैत, ऊंचे नीचे धरातल और ज्वार की खड़ी फसल की आड़ का सहारा लेकर भागने में सफल हो गए। कुल मिलाकर चार डकैत मारे गए जिनकी पहचान बाद में (1) कमलेश अरख (2) मन्ना सिंह (3) वकील अरख और (4) जीत अरख के रूप में की गई। मारे गए डकैतों के कब्जे से एक स्प्रिंग-फील्ड राइफल फैक्टरी निर्मित 2 एस० बी० बी० एल० बन्दूकें, फैक्टरी निर्मित एक डी० बी० बी० एल बन्दूक और भारी मात्रा में प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त कारतूस बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री जे० के० शाही, पुलिस उपाधीक्षक, धीरेन्द्र सिंह, कांस्टेबल और कमलेश पाडे, कास्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 26 सितम्बर, 1991 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 93—प्रेज/94—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों की उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री देवेन्द्र सिंह डिगारी,
पुलिस उप-निरीक्षक,
सिविल पुलिस,
नैनीताल।

श्री श्रीकृष्ण उपाध्याय,
सिपाही,
नैनीताल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 4 मई 1992 को अतिरिक्त अधीक्षक, पुलिस (प्रचा) श्री एस० के० सिंह को सूचना मिली कि उन ग्रामवासियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई करने के लिए, जिन्होंने अपने ऊपर किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने का साहस किया था, यादवेन्द्र सिंह उर्फ यादू का गिरोह गांव बिरिया मझोला में आएगा। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए श्री एस० के० सिंह ने पुलिस क्षेत्र, खटीमा के समर्पित पुलिस अधिकारियों और पी० ए० सी० टास्क फोर्स के सदस्यों की एक टीम उक्त गिरोह से निपटने के लिए बनाई।

पुलिस दल, असाल्ट राइफलों, एस० एल० आर० और 9 एम० एम० कार्बाइनों से सज्जित था। गांव पहुंचने पर पुलिस बल को अनेक दलों में विभाजित कर दिया गया, इनमें से एक दल को उग्रवादियों के कोप के संभावित लक्ष्य और सेवा निवृत्त सूबेदार विश्राम चन्द के घर के पास तैनात किया गया। करीब 2030 बजे सिविल पुलिस के उप-निरीक्षक एच० एन० एस० तेवतिया ने चार पांच व्यक्तियों को सेवा-निवृत्त सूबेदार विश्राम चन्द के घर की ओर सावधानी पूर्वक बढ़ते हुए देखा। इन व्यक्तियों की रहस्यमय गतिविधियों को देखकर उप-निरीक्षक तेवतिया ने अपने सम्पूर्ण दल को सावधान कर दिया और उप-निरीक्षक देवेन्द्र सिंह डिगारी तथा पी० ए० सी० टास्क फोर्स के श्रीकृष्ण उपाध्याय सहित तीन सिपाहियों को घर के भूतल स्थित कमरों में तैनात रहने और विश्राम चन्द्र के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। इसी बीच, धरों, नींद और अंधेरे की आड़ का लाभ उठाते हुए दो आतंकवादी विश्राम चन्द के घर पहुंचे और उनमें से एक आतंकवादी ने उस कमरे में प्रवेश किया जिसमें उप-निरीक्षक डिगारी और श्रीकृष्ण उपाध्याय मौजूद थे। कमरे में घुसते ही उसने कमरे में पुलिस कर्मियों की मौजूदगी को भांप लिया और तुरन्त ही अपनी असाल्ट राईफल से गोली चला दी जिससे श्रीकृष्ण उपाध्याय की जांघ में गंभीर घाव हो गया और व अत्यधिक वेदन पूर्वक जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद उग्रवादी, उप-निरीक्षक डिगारी को मार डालने के उद्देश्य से उनकी ओर घूमा लेकिन अपनी गंभीर चोटों की परवाह न करते हुए सिपाही श्रीकृष्ण उपाध्याय अनुकरणीय साहस और वीरता का प्रदर्शन करते हुए आतंकवादी पर झपट पड़े और उसकी राईफल अपनी पकड़ में लेकर और उसको (आतंकवादी) जमीन पर गिराकर उप-निरीक्षक की जान बचा ली। सिपाही श्रीकृष्ण उपाध्याय की गिरफ्त से स्वयं को आजाद कराने के लिए आतंकवादी ने जी तोड़ प्रयास किए लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद सिपाही श्रीकृष्ण उपाध्याय ने उग्रवादी को पकड़े रखा। तथा आतंकवादी किसी प्रकार से उप-निरीक्षक श्री डिगारी पर अपनी असाल्ट राईफल से गोली चलाने में सफल हो गया लेकिन श्री डिगारी चमत्कारिक रूप से बच गए। तथापि, उप-निरीक्षक डिगारी ने आत्म संयम नहीं खोया और अपनी असाल्ट राईफल से आतंकवादी पर गोली चलाकर उसे वहीं ढेर कर दिया। बाद में मृत आतंकवादी की पहचान परमजीत सिंह उर्फ पम्मा निवासी गांव शाहबाला पुलिस स्टेशन जोरा जिला फिरोजपुर, पंजाब के रूप में की गई।

मृत आतंकवादी के पास से मैगजीन सहित एक ए० के०-56 राईफल और 52 राउण्ड गोलियां तथा एक आटोफोकस कैमरा बरामद किया गया। पम्मा, अनेक अपराधों में शामिल था। मुठभेड़ के दौरान उप-निरीक्षक देवेन्द्र सिंह डिगारी ने कट्टर उग्रवादी को समाप्त करने में वीरता और उच्च कोटि की कर्तव्य-निष्ठा का प्रदर्शन किया।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री देवेन्द्र सिंह डिंगारी, उप-निरीक्षक और श्री कृष्ण उपाध्याय, सिपाही ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 4 मई, 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 94-प्रेज/94—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री ओ० पी० दीक्षित,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
एटा।

श्री बी० के० चतुर्वेदी,
पुलिस उप-अधीक्षक,
एटा।

श्री ए० एच० खान,
पुलिस उप-निरीक्षक,
एटा।

सेवाओं का विवरण जिनके पदक प्रदान किया गया

दिनाक 10 मार्च, 1992 का लगभग 08-00 बजे यह सूचना प्राप्त होने पर कि नवल सिंह यादव उर्फ नब्बा अपने साथियों के साथ, थाना पटियाली के नगला किशोरी गांव के नजदीक अमरूदों के एक बाग में छिपा हुआ है। श्री अली हसन खान ने श्री ओ० पी० दीक्षित को अपराधी दल की उपस्थिति की सूचना दी और कुमुक की मांग की। श्री दीक्षित ने, तत्काल, पटियाली, गंज-डूंडवारा, सोन गढ़ी और सिद्धपुरा पुलिस थानों के थाना प्रभारियों को, अपने साथ उपलब्ध पुलिस बल को लेकर तत्काल पटियाली पुलिस थाना पहुंचने का निर्देश दिया। उन्होंने बी० के० चतुर्वेदी, पुलिस उप-अधीक्षक, मैदहरा और एटा के एक रिजर्व इंस्पेक्टर को भी एक टुकड़ी को लेकर घटना स्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया। श्री दीक्षित करीब 09-00 बजे पटियाली पहुंचे और डकैती/गिरोह-विरोधी अभियान की कमान संभाली। स्थिति का जायजा लेने के बाद, श्री दीक्षित ने एकत्रित बलों को समझाया और इसे चार टुकड़ियों में विभाजित कर दिया। उन्होंने स्वयं अग्रिम दल संख्या—1 का नेतृत्व किया। जिसमें श्री अली हसन खान भी शामिल थे दूसरी पार्टी का नेतृत्व श्री बी० के० चतुर्वेदी द्वारा किया गया। दो स्टापर पार्टियों में से एक को जिसका नेतृत्व पुलिस थाना पटियाली के एक पुलिस निरीक्षक द्वारा किया जा रहा था, डकैतों के बचकर भागने के संभावित रास्ते को सील करने के लिए नगला किशोरी गांव के आस पास तैनात कर दिया गया। और दूसरी पार्टी को सोन गढ़ी के थाना अधिकारी के नेतृत्व में बूढ़ी गंगा नदी के खड्डों में तैनात किया गया। उसके बाद श्री दीक्षित ने दोनों अग्रिम दलों को लक्षित क्षेत्र की तरफ बढ़ने का निर्देश दिया। अपने दल के साथ अमरूदों के बाग की ओर बढ़े और बाग में डकैतों की उपस्थिति की पुष्टि करने के बाद उन्होंने डकैतों को आत्म समर्पण करने के लिए ललकारा। जवाब में डकैतों ने पुलिस दल पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं और सर्व/श्री दीक्षित और अली हसन खान बाल बाल बचे। उसके बाद पुलिस और डकैतों के गिरोह में गोलीबारी होने लगी और इस गोलीबारी के दौरान श्री चतुर्वेदी गोली लगने से जख्मी हो गए किन्तु उन्होंने डकैतों पर गोलियां चलाना जारी रखा और उन्हें नजदीक आने से रोके रखा। उन्होंने दल के कार्मिकों को आगे बढ़ने के लिए भी उत्साहित किया। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। श्री अनोखे लाल यादव, रिजर्व इंस्पेक्टर ने उनका स्थान ले लिया और गिरोह पर बराबर दबाव बनाए रखा किन्तु पुलिस की भारी गोलीबारी के बावजूद भी डकैतों को बाहर नहीं निकाला जा सका जो कि घनी हाथी घास में छिपे हुए थे। तब श्री दीक्षित ने सूखी हुई घास में आग लगाने के लिए बी० एल० पी० गोले फेंकने को कहा। इसके परिणामस्वरूप लगी आग ने, डकैतों को, उनके छिपने के स्थान से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया और उनमें से 5 बूढ़ी गंगा नदी की ओर भागे और गेहूं के खेतों में छिपने में कामयाब हो गए।

तब अग्रिम दलों ने गेहूं के खेतों की घेराबंदी करने का निश्चय किया और जब वे उस दिशा की ओर बढ़ रहे थे तो उन्हें डकैतों के 2 शव मिले जो कि दोनों ओर से हुई गोलीबारी के परिणामस्वरूप मारे गए थे। जब पुलिस ने गेहूं के खेत को घेर लिया तो गिरोह का मुखिया नब्बा सूर्यास्त तक रुक-रुक कर गोलीबारी करता रहा और इस प्रकार उसने पुलिस बल को नजदीक नहीं आने दिया ताकि गिरोह अंधेरे की आड़ में बचकर भागने में कामयाब हो सके। श्री दीक्षित ने बाकी डकैतों को फिर से, आत्म समर्पण करने के लिए ललकारा किन्तु डकैतों ने इस चेतावनी को भी अनसुना कर दिया। उसके बाद पुलिस बल द्वारा, खेत में कुछ और हथ गोले फेंके गए। श्री दीक्षित द्वारा भी एक हथ गोला फेंका गया। इसके बाद उन्होंने उस क्षेत्र पर धावा बोलने का निर्णय लिया और वे ए० के० खान तथा पुलिस कार्मिकों सहित खेत की ओर बढ़े। पुलिस दल को घेरा कसते देखकर डकैत घबरा गए और उन्होंने गोली चलानी शुरू कर दी और अपनी स्थिति को पुलिस की जानकारी में आ जाने दिया। यद्यपि सर्व/श्री दीक्षित और खान के सामने खतरनाक गोलीबारी हो रही थी किन्तु उन्होंने अविचलित हुए बिना आत्म रक्षा में जवाबी गोलियां चलाई। जिसके परिणामस्वरूप 2 डकैत घटना स्थल पर ही मारे गए। सर्व/श्री दीक्षित और खान ने फिर से डकैती को आत्म समर्पण के लिए ललकारा किन्तु डकैतों की ओर से जवाब न मिलने या गोली न चलाये जाने पर उन्होंने गेहूं के खेत की तलाशी शुरू कर दी जिसके परिणामस्वरूप खेत में विभिन्न हिस्सों से डकैतों के और शव बरामद किए गए। इस मुठभेड़ में कुल मिलाकर सात डकैत मारे गए जिनके नाम

इस प्रकार हैं (1) नवाब सिंह (2) विजय सिंह (3) श्याम सिंह (4) इब्राहिम उर्फ मुल्ला (5) सब्बल सिंह (6) रामबरन और (7) बार्लीस्टर सिंह।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री ओ० पी० दीक्षित, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बी० के० चतुर्वेदी, पुलिस उप-अधीक्षक और ए०एच० खान, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 10 मार्च, 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 95-प्रेज/94—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री जयपाल सिंह तोमर, (मरणोपरान्त)
उप-निरीक्षक,
रामपुर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

श्री जयपाल सिंह, उप-निरीक्षक को एक उप-निरीक्षक और एक कांस्टेबल के साथ रामपुर जिले में भिन्न स्रोतों से उग्रवादियों के बारे में आसूचना एकत्र करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। 18 मार्च, 1991 को आवंटित कार्य को निष्पादित करने के उद्देश्य से, पुलिस पार्टी लगभग 20,00 बजे पुश्मेरा गांव के प्रधान हरपाल सिंह के स्थान पर गए। जब वे प्रधान से बातचीत कर रहे थे तो श्री तोमर ने देखा कि दो व्यक्ति एक मोटर साईकल में हरपाल सिंह के मकान की तरफ आ रहे हैं, लेकिन पुलिस कार्मिकों की उपस्थिति को देखकर वे मुड़ गए और भाग गए। मोटर साईकल पर सवार व्यक्तियों के अति संदेहास्पद कार्य को भांपते हुए श्री तोमर इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हो गए कि वे आतंकवादी ही थे, और अपनी मोटर साईकल से उनका पीछा करने का फैसला किया, लेकिन कुछ तकनीकी कमियों के कारण मोटर साईकल स्टार्ट नहीं हुई। श्री तोमर ने तत्काल अपने साथियों से उनकी अपनी मोटर साईकल स्टार्ट करने को कहा और तीनों पुलिस कार्मिक एक मोटर साईकल पर सवार हुए और तुरंत, भाग रहे आतंकवादियों का पीछा किया। लगभग 2 किलोमीटर पर तेजी से पीछा करने के बाद, पुलिस कार्मिक उग्रवादियों के बराबर आ गए, लेकिन मोटर साईकल के पीछे बैठे आतंकवादी ने अचानक गोलियां चलायीं और श्री तोमर को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। छाती पर हुए जख्मों के बावजूद श्री तोमर विचलित नहीं हुए और उन्होंने तुरंत अपना रिवाल्वर निकाला और आतंकवादी पर जवाबी गोलियां चलायीं और छाती पर हुए जख्मों के कारण दम तोड़ने से पहले उसे घटनास्थल पर ही मार गिराया। श्री तोमर ने कार्य पूरा करने के बाद ही दम तोड़ा। पुलिस दल के अन्य सदस्यों ने दूसरे आतंकवादी का पीछा किया, जो खेतों में भागने में सफल हो गया।

इस मुठभेड़ में श्री जयपाल सिंह तोमर, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 18 मार्च, 1991 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 96-प्रेज/94—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश के पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री जीतेन्द्र पाल सिंह यादव, (मरणोपरान्त)
पुलिस निरीक्षक,
थाना पूरनपुर,
जिला पीलीभीत।

श्री मोहन लाल,
कांस्टेबल,
जिला पीलीभीत।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 27 अप्रैल, 1992 को सूचना प्राप्त हुई कि मैनी गुलेडिया के जंगलों में आतंकवादी छिपे हुए हैं। इस सूचना के प्राप्त होने पर घात लगाने की योजना तैयार की गई तथा लग्घी लिहारी और भरारी के खेरी और पुल की नहर पर पुलिस को तैनात किया गया ताकि आतंकवादियों की गतिविधियों को रोका जा सके। इस बीच मण्डी समिति, पूरनपुर पर अतिरिक्त पुलिस बल को एकत्र होने के लिए निर्देश दिए गए और सिमरा राजपुर जाने के लिए कहा गया जहां पर बल को तीन दलों में विभाजित किया गया जिनका प्रत्येक का नेतृत्व एक उप-निरीक्षक द्वारा किया गया। पहले दल को घाट मैनी, दूसरे दल को मैनी गुलेडिया के जंगल घाट पर तथा तीसरे दल को मैनी गुलेडिया पर तैनात किया गया, जो कि जंगल में जाने के मुख्य चौराहे थे, और शेष पुलिस बल

ने राजपुर के दुक्षिया और मुल्तियापुर जंगलों की छानबीन करनी आरम्भ कर दी । दिनांक 28 अप्रैल, 1992 को करीब 9 बजे प्रातः सूचना प्राप्त हुई कि आतंकवादियों का गिरोह मैनी गुलेडिया जंगल के पूर्वी भाग में देखा गया । यह सूचना प्राप्त होने के तुरन्त बाद, श्री जीतेन्द्र पाल सिंह यादव ने जंगल घाट पर पुलिस बल को एकत्र किया और बल को तीन दलों में विभाजित किया, जिसमें पहले दल का नेतृत्व श्री मोहन लाल, कांस्टेबल सहित स्वयं श्री जीतेन्द्र ने किया, तथा तीनों दलों को श्री जीतेन्द्र के नेतृत्व में चलने का निर्देश दिया गया ।

करीब 11.00 बजे जिस समय पुलिस दल ओपन लाईन कोम्बिन्ग आपरेशन करते हुए ग्राम मौसेपुर की ओर बढ़ रहे थे, तो श्री जीतेन्द्र ने पूर्वी दिशा में जंगल घाट से लगभग 4 फरलांग की दूरी पर आतंकवादियों के गिरोह को देखा । श्री जीतेन्द्र ने आतंकवादियों को ललकारा और अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बगैर उनकी ओर बढ़े तथा अपने दल को मोर्चा लेने का निर्देश दिया । आतंकवादियों ने खालिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाए और पुलिस दल को ललकारा और उन पर गोलियां चलाई । पुलिस दल ने भी आत्म-रक्षा में गोलियां चलाई । श्री जीतेन्द्र और मोहन लाल, कांस्टेबल अपने जीवन की परवाह किए बिना दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ अपने शस्त्रों से गोली-बारी करते हुए आतंकवादियों की ओर बढ़े । आतंकवादियों को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से उन्होंने घेरे को छोटा करने का प्रयास भी किया । इसके बाद इस मुठभेड़ में, श्री जीतेन्द्र पाल सिंह यादव जो आक्रमण करने वालों में सबसे आगे थे, आतंकवादियों द्वारा किए गए अचानक एक धमाके के कारण मारे गए जबकि कांस्टेबल मोहन लाल गंभीर रूप से घायल हो गए । इस आघात के बावजूद भी पुलिस बल ने साहस नहीं छोड़ा और आतंकवादियों पर दबाव बनाए रखा तथा घने जंगलों में उनका पीछा किया । करीब 4 बजे (अपराह्न) आतंकवादियों के गिरोह को पुलिस दल ने माउजीपुर गांव के पास पुनः घेर लिया और करीब आधे घंटे तक दोनों ओर से गोलियां चलती रहीं और जिसके फल-स्वरूप खूंखार आतंकवादी मारा गया जिसकी शिनाख्त निरबैल सिंह उर्फ मंडे के रूप में की गयी और उसके पास से एक ए० के०-56 राईफल तथा सक्रिय/खाली कारतूस बरामद हुए ।

इस मुठभेड़ में श्री जीतेन्द्र पाल सिंह यादव, निरीक्षक और मोहन लाल, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता; साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 27 अप्रैल, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 97-प्रेज/94—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्री सुरेन्द्र कुमार त्यागी,
पुलिस उप-निरीक्षक,
जिला बिजनौर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 19 जनवरी, 1992 को श्री सुरेन्द्र कुमार त्यागी, स्टेशन अधिकारी, अकबरगढ़, जामुनवाला नदी के किनारे पर 9 बजे अपराह्न तक घात लगाने के बाद विशेष पुलिस कार्य बल के कार्मिकों के साथ लौट रहे थे । रास्ते में उन्होंने गांव चन्दिका के दर्शन सिंह नामक व्यक्ति के डेरे की तलाशी ली । तत्पश्चात, वे एक शिव मन्दिर के निकट पहुंचे जहां अनेक ग्रामीण बैठे हुए थे । उन्होंने श्री त्यागी को बताया कि शस्त्रों से लैस 5 या 6 सिखों को ट्रैक्टर पर सवार होकर नदी के साथ-साथ वाली सड़क पर जाते देखा है । श्री त्यागी ने अपने दल के साथ रात में चांद की रोशनी में ट्रैक्टर के पहियों के निशानों का पीछा किया और करीब 10.45 बजे अपराह्न मेजर सिंह नामक एक व्यक्ति के डेरे के निकट पहुंचे । डेरे की तलाशी लेने के उद्देश्य से उपलब्ध बल को तीन दलों में विभाजित कर दिया गया, श्री त्यागी को जो पहले दल का नेतृत्व कर रहे थे, अपने कार्मिकों के साथ पश्चिम की ओर से डेरे की ओर बढ़ना था, दूसरा दल जिसका नेतृत्व उप-निरीक्षक कर रहे थे को पूर्व की ओर से बढ़ना था तथा एक हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में तीसरे दल को दक्षिण की तरफ से बढ़ने के लिए तैनात किया गया । तीनों दलों ने अपनी-अपनी पोजीशन सम्भाल ली और सावधानीपूर्वक डेरे की ओर आगे बढ़े ।

इस बीच डेरे के पश्चिमी द्वार से 6 सशस्त्र व्यक्ति बाहर निकले और निकट खड़े ट्रैक्टर की ओर बढ़े । जैसे ही उनमें से एक व्यक्ति ने ट्रैक्टर चालू किया और अन्य व्यक्ति उसमें सवार होने वाले थे कि श्री त्यागी ने उनको आत्मसमर्पण करने को लिए ललकारा क्योंकि वे पुलिस के घेरे में पहुंच चुके थे । इस पर आतंकवादियों ने श्री त्यागी पर गोलियां की बौछार कर दी परन्तु बाल-बाल बच गए । तथापि, एक गोली एक कांस्टेबल की राईफल के हत्थे में लगी जिससे राईफल का बाहर बैंड टूट गया । अपने जीवन के प्रति गंभीर खतरे की चिन्ता किए बिना, श्री त्यागी आगे बढ़े और अपनी ए० के०-47 राईफल से जवाब में गोलियां चला कर एक आतंकवादी को मार गिराया, जबकि अन्य आतंकवादी ने आड़ का सहारा लेकर गोलीबारी की । श्री त्यागी के नेतृत्व में पुलिस दल ने जवाबी गोलीबारी की जिसके फलस्वरूप एक और आतंकवादी मारा गया । इसमें शेष आतंकवादियों के बीच में घबराहट फैल गयी और वे अन्धाधुन्ध गोलियां चलाते हुए

"खालिस्तान जिन्दाबाद" का नारा लगाने लगे । उसके बाद उन्होंने पूर्व दिशा को भागने का प्रयास किया जहां उनका सामना उप-निरीक्षक राजबीर सिंह के नेतृत्व वाले दल से हुआ । उन्होंने साहस और बुद्धिमतापूर्ण आतंकवादियों पर हथगोली फैंके, परन्तु आतंकवादी बचकर भागने में सफल हो गए । मृत आतंकवादियों से बड़ी मात्रा में कारतूस सहित एक 303 राईफल और 315 बोर की राईफल बरामद हुई ।

इस मुठभेड़ में श्री सुरेन्द्र कुमार त्यागी, उप-निरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 19 जनवरी, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 98–प्रेस 94—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री गजेन्द्र सिंह, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
सिविल पुलिस,
जिला कानपुर नगर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 26 नवम्बर, 1991 को गजेन्द्र सिंह, कांस्टेबल, जो छुट्टी पर थे, कुछ व्यक्तिगत कार्य से गांव शाहदाबार, जिला मुज्जफरनगर गए । उसी दिन लगभग 10.00 बजे 6 असामाजिक तत्व वाहन सं० यू० एस० वी० 2972 में गांव शाहदाबार आए और श्रीमती गीता पत्नी श्री बाबू बालिमकी का अपहरण किया। श्रीमती गीता और कुछ ग्रामीण, जिन्होंने उसका अपहरण होते देखा, मदद के लिए चिल्लाए । श्री गजेन्द्र सिंह, जो उस समय मुज्जफरनगर के लिए वापसी यात्रा के लिए बस स्टैन्ड पर प्रतीक्षा कर रहे थे, ने मदद के लिए उनकी पुकार सुनी और वे तुरन्त उनके बचाव के लिए चल पड़े । श्री गजेन्द्र सिंह अपने जीवन की परवाह किए बगैर अपहरणकर्ताओं से भिड़ गए और श्रीमती गीता को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया । वे एक अपराधी को पकड़ने में भी कामयाब हो गए । जब बदमाशों ने यह देखा तो उन्होंने अपने साथी को गजेन्द्र सिंह, कांस्टेबल की पकड़ से मुक्त कराने के उद्देश्य से उस पर गोलियां चलायी । इस हाथापाई में श्री गजेन्द्र सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गया और घटना-स्थल पर जख्मों के कारण दम तोड़ दिया। इसी बीच, वहां पर एकत्र हुए ग्रामीणों ने 4 बदमाशों को पकड़ लिया और उनकी अच्छी पिटाई की, जबकि दो बदमाश भागने में सफल हो गए ।

इस मुठभेड़ में श्री गजेन्द्र सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 26 नवम्बर, 1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 99–प्रेस 94—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री बृज लाल,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
मेरठ ।

श्री बृजपाल सिंह सोलंकी,
पुलिस उप-निरीक्षक,
मेरठ ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 22 जून, 1992 को लगभग 9 बजे पूर्वाह्न श्री बृज लाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि तेज पाल और उसके साथी, जिला बुलन्दशहर के उस्तरां गांव में ठहरे हुए हैं । यह सूचना प्राप्त होने के तुरन्त बाद श्री बृज पाल, श्री राजपाल सिंह सोलंकी, उप-निरीक्षक के साथ तेज पाल के छिपने के स्थान का पता लगाने के लिए किसानों के वेश में गांव उस्तरां की ओर चल पड़े । वापसी में श्री बृज लाल ने नजदीक के पुलिस स्टेशनों के साथ संपर्क किया और उन्हें निर्देश दिया कि वे उपलब्ध बल के साथ एक स्थान पर एकत्र हो जाए । उसके बाद पुलिस बल, किराये पर ली गयी एक प्राईवेट बस संख्या यू० एच० एन०–1829 में सवार हो गए, जिनके आगे के शीशे पर "शकील अहमद वेड्स हमीदा" का स्टीकर चिपकाया हुआ था और बारात के रूप में गांव उस्तरां की ओर चल पड़े । गांव पहुंचने पर श्री बृज लाल को सूचित किया गया कि तेज पाल और उसके साथी, काली नदी के किनारे स्थित खेम चन्द के खेतों में हैं और वे अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं । श्री बृज लाल ने पुलिस बल को तीन पार्टियों

में विभाजित किया, प्रथम पार्टी का नेतृत्व स्वयं श्री बृज लाल ने किया, जिसमें श्री बृजलाल सिंह सोलंकी सम्मिलित थे। बाहसूमा के स्टेशन आफिसर के नेतृत्व वाले दूसरे दल को पूर्वी दिशा से जाने के लिए कहा गया और स्टेशन आफिसर, खरखोडा के नेतृत्व वाली तीसरी पार्टी को काली नदी के पार जाने और पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ने के लिए कहा गया। श्री बृज लाल और उसके दल ने आततायियों का सामना करने का निर्णय लिया।

श्री बृज लाल और उसका दल काली नदी के नजदीक पहुंचा, जहां पर उन्होंने कुछ दूरी पर तीन सशस्त्र आततायियों को बैठे देखा, जिन्होंने पुलिस दल को आगे आते देखकर मोर्चा संभाला और पुलिस पार्टी पर गोलियां चलायी। श्री बृज लाल ने आततायियों को आत्मसमर्पण के लिए ललकारा क्योंकि वे पुलिस के घेरे में थे, लेकिन इस पर तेजपाल और उसके साथियों ने गालियां दी और श्री बृज लाल पर गोलियों की बौछार कर दी, जो बाल-बाल बच गए। आगे के गंभीर खतरे से विचलित हुए बिना श्री बृजलाल ने काली नदी के किनारे पर नीचे छलांग लगायी और आततायियों पर गोलियां चलायी। अपने नेता की वीरता से उत्साहित होकर श्री बृज लाल सिंह सोलंकी, उप-निरीक्षक और दल के अन्य सदस्यों ने आत्मरक्षा में आततायियों पर गोलियां चलायी। कुछ समय बाद आततायियों की तरफ से गोलियां चलनी बंद हो गयी। श्री बृज लाल आगे बढ़े और उन्होंने एक आततायी को मृत पाया, जबकि अन्य दो नदी पार चले गए। जहां तीसरे दल ने उनका पीछा किया। तथापि वे भागने में सफल हो गए। मृतक अपराधी की बाद में तेज पाल गुज्जर के रूप में शिनाख्त की गयी, जो हत्या, अपहरण इत्यादि के दो दर्जन मामलों में अन्तर्ग्रस्त था और उसको पकड़ने के लिए 1,00,000 रुपये का इनाम था। मृतक अपराधी से सक्रीय और खाली कारतूसों के साथ एक स्वचालित पिस्तौल सी० ए० एल० 7.63 बरामद हुई।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री बृज लाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और बृजपाल सिंह सोलंकी, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 22 जून, 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 100-प्रेज/94—राष्ट्रपति, पश्चिम बंगाल पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री दिल बहादुर सनवार,
नायक सं० 453,
ईस्टर्न फ्रन्टियर राईफल्स,
तीसरी बटालियन,
सलुआ मिदनापुर।

श्री अशोक कुमार सान्धे,
कांस्टेबल/549,
आफ० आई० बी०,
पश्चिम बंगाल।

सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया

2 ए० के० 47 राईफलों और एक पिस्तौल से लैस तीन आतंकवादियों ने, चार पुलिस कार्मिकों सहित 10 व्यक्तियों की हत्या की और चार पुलिस कार्मिकों सहित 22 अन्य को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। मार दिए गए पुलिस कार्मिक से तीन सर्विस हथियार छीन लिए गए। उन्होंने पुलिस जीप सहित चार वाहनों का अपहरण भी किया। सी० आई० डी० दल के साथ मुठभेड़ में 10 जनवरी, 1991 को एक आतंकवादी मारा गया। दो अन्य भाग गए और जोयपुर थाने के पथरीले इलाके में शरण ली और उनका अभी पता लगाया जाना था।

10 जनवरी, 1991 को घेरा डालने वाले 3 ग्रुप बनाए गए जिनका नेतृत्व एक महानिदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया। अभियान 11-1-91 से 04.00 बजे शुरू हुआ, जब घेरा डालने वाले ग्रुपों ने दो आतंकवादियों को उनके छिपने के स्थानों से बाहर आने के लिए मजबूर किया। उन्होंने बिहार सीमा की तरफ जाना शुरू किया और थाना जोयपुर, गांव धावानी के ग्रामीणों ने उन्हें देखा और उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचित किया। स्थानीय पुलिस ने लगभग 8.30 बजे पुलिस पुलिस कन्ट्रोल रूम को और पुलिस महानिदेशक को सूचित किया कि दो आतंकवादी धावानी गांव के पास हुसगारा वन की ओर जा रहे हैं।

पुलिस महानिदेशक के घेरा डालने वाले तीनों ग्रुपों को तत्काल सावधान किया और गांव वालों के साथ उसी रास्ते से, जिस रास्ते से आतंकवादी भाग रहे थे, आतंकवादियों का पीछा करना शुरू किया। 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद, 2-3 बार गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इस पर पुलिस महानिदेशक की पार्टी ने उस दिशा का रास्ता लिया जहां से गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी। खुले मैदान में पहुंचने के बाद पुलिस महानिदेशक ने देखा कि आतंकवादियों ने उनका पीछा कर रहे ग्रामीणों को दूर रखने के लिए, उन पर 2/3

गोलियां चलायी । पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व वाले दल को देखने पर, आतंकवादियों ने पुलिस महानिदेशक की पार्टी जिसमें अन्यों के अलावा उनका वैयक्तिक गार्ड, आसूचना शाखा का कांस्टेबल अशोककुमार सन्धे और नायक दिल बहादुर सनवार थे, वहाँ से 300 गज की दूरी पर टीले के पीछे मोर्चा संभाला । लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए पुलिस महानिदेशक ने आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए बारबार चेतावनी दी लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ ।

तब तक गोलीबारी जारी थी और आत्मसमर्पण के लिए की गयी चुनौती का कोई जवाब न पाकर, यह महसूस किया गया कि किसी अनावश्यक नुकसान से बचने के लिए, पुलिस बल को सीमित संख्या में रेंगते हुए आगे बढ़ाया जाये । अन्ततः पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय) नायक दिल बहादुर और कांस्टेबल अशोक कुमार सांथे शेष कार्मिकों को गोलीबारी का कवच प्रदान करने के लिए आगे बढ़े । तब तक अग्रिम दल गोल टीले से 25 गज की दूरी तक पहुंच गया, जिसके पीछे दो आतंकवादियों ने शरण ले रखी थी । इस निर्णायक मोड़ पर कांस्टेबल अशोक कुमार अग्रिम पार्टी से अलग हो गए और आतंकवादियों के पीछे टीले पर चढ़ गए और अपनी सर्विस रिवाल्वर से 3 बार गोली चलायी और नायक दिल बहादुर का साथ देने के लिए वापस आ गए । साहस के इस विरल कार्य ने नायक और कांस्टेबल पुनः लक्षित क्षेत्र की तरफ आगे बढ़े । कांस्टेबल ने नायक से एक स्टेनगन ले ली और टीले के पीछे सही जगह पर गोलियों की बौछार की जहां पर उग्रवादियों ने शरण ले रखी थी और उसके बाद नायक दिल बहादुर ने अपनी स्टेनगन से 17 गोलियां चलायी । उसके बाद 15 मिनट तक आतंकवादियों ने गोलियां चलायी । जब पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय) ने अंतिम हमला करने की सोची तो उन्होंने पाया कि दो आतंकवादी नीचे गिरे हुए और उनके शरीर से बहुत अधिक खून बह रहा है और ऐसा प्रतीत होता था कि वे मर गए हैं । मृतक से 2ए० के० 47 राईफल, एक पिस्तौल, 25 राउण्ड गोला बारूद, अन्य अभिशासी साक्ष्य बरामद हुए ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री दिल बहादुर सनवार, नायक और अशोक कुमार सान्धे, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 10 जनवरी, 1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान निदेशक

सं० 101—प्रेज 94—राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री अमरीक सिंह,
पुलिस सहायक कमांडर,
दिल्ली पुलिस ।

श्री श्याम सिंह,
पुलिस सहायक कमांडर,
दिल्ली पुलिस ।

श्री रवि शंकर,
पुलिस निरीक्षक,
दिल्ली पुलिस ।

श्री राविन्द्र सिंह चिकारा,
पुलिस निरीक्षक,
दिल्ली पुलिस ।

श्री यशबीर सिंह,
कांस्टेबल,
दिल्ली पुलिस ।

श्री जसवन्त सिंह,
कांस्टेबल,
दिल्ली पुलिस ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

श्री अमरीक सिंह, पुलिस सहायक आयुक्त के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों के एक दल द्वारा बब्बर खालसा इन्टरनेशनल के कुख्यात आतंकवादी विजयपाल सिंह उर्फ हैपी की जांच के दौरान विजयपाल सिंह ने अपने ग्रुप के दूसरे आतंकवादियों नामतः अमरजीत सिंह उर्फ लाडी और भाई साहिब उर्फ मनजीत सिंह के छिपने के स्थानों के बारे में बताया । उसने आगे बताया कि वे स्वतंत्रता दिवस समारोह पर सर्व श्री सज्जन कुमार, सांसद, एच० के० एल० भगत, अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस (आई) और जगदीश टाईटलर, तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्री की जान लेने की योजना बना रहे थे ।

दिनांक 11 अगस्त, 1992 को लगभग 4.00 बजे पूर्वाह्न पुलिस उप-अधीक्षक विशेष शाखा (एस० बी०) के सर्वेक्षण में एक पुलिस पार्टी, जिसमें सर्व श्री अमरीक सिंह, पुलिस सहायक आयुक्त, श्याम सिंह, पुलिस सहायक आयुक्त, रवि शंकर, राजेन्द्र सिंह, निरीक्षक यशबीर सिंह और जसवन्त सिंह, कांस्टेबल शामिल थे, आतंकवादियों के छिपने के स्थान का पता लगाने के लिए डी० डी० ए० फ्लैट पश्चिम विहार गई । अभियुक्त (आतंकवादी) विजय पाल सिंह को भी साथ ले जाया गया, जिसने, बताया था कि अमरजीत सिंह उर्फ लाडी के मकान के अंतिम दो अंक "96" और आतंकवादियों के पास मोटर साईकल सं० डी० एल०-4 एस० जी० 1245 हैं । तदनुसार

सर्व श्री राजेन्द्र सिंह चिकारा और श्री रवि शंकर ने मोटर साईकल की खोज की और इसे मकान सं० 396 के नीचे पार्क किया हुआ पाया, जिससे इस बात की पुष्टि हुई कि तथाकथित आतंकवादी उस घर में ठहरे हुए हैं। उसके बाद निरीक्षक राजेन्द्र सिंह चिकारा ने एक उप-निरीक्षक के साथ पार्क के नजदीक मोर्चा संभाला और पुलिस पार्टी के अन्य सदस्यों ने कालोनी की घेराबंदी की। लगभग 7.15 बजे एक आतंकवादी (अमरजीत सिंह) घर से बाहर आया। श्री राजेन्द्र सिंह चिकारा और उप-निरीक्षक ने कालोनी में उसका पीछा किया, और मारूति वैन में बैठे कार्मिकों ने बस्ती के बाहरी भाग से पीछा किया। आतंकवादी को संदेह हो गया और उसने अपनी पिस्तौल से श्री राजेन्द्र सिंह चिकारा और उसके साथियों पर गोलियां चलायी। उन दोनों ने भी अपनी सर्विस रिवाल्वर से उस पर गोलियां चलायी और उसका पीछा किया लेकिन गोलियां चलाते हुए आतंकवादी कालोनी के सामने की गलियों में चला गया। दूसरे पुलिस कार्मिकों ने भी उसका पीछा किया लेकिन वह कोठियों में गायब हो गया। इस प्रकार से पुलिस पार्टियों को बिना समय गंवाए, प्रश्नाधीन मकान को घेर लिया।

मकान का सर्वेक्षण करने के बाद, पुलिस पार्टी को ग्रुपों में बांटा गया। श्री श्याम सिंह, पुलिस सहायक आयुक्त ओपरेशन एकक नेतृत्व में एक पार्टी जिसमें श्री आर०एस० चिकारा, निरीक्षक, यशबीर सिंह और जसवन्त सिंह थे, सीढ़ियों से ऊपर तीसरे तल के फलैट में गए। जबकि अमरीक सिंह पुलिस सहायक आयुक्त के नेतृत्व में दूसरी पार्टी, जिसमें रवि निरीक्षक और अन्य पुलिस कार्मिक थे, ने आतंकवादियों को भागने से रोकने के लिए मकान के पिछवाड़े में मोर्चा संभाला।

पुलिस निरीक्षक आर० एस० चिकारा ने उग्रवादियों के मकान का दरवाजा खटखटाया इस पर आतंकवादी लोहे के गेट को बंद रखते हुए लकड़ी के दरवाजे को जरा सा खोला और पुलिस पार्टी को देखने पर उसने तुरन्त इसे बंद कर दिया। उसके बाद अपने स्वचालित हथियारों से रसोई की खिड़की से पुलिस पार्टी पर गोलियां चलायी। आतंकवादियों द्वारा की गयी गोलीबारी में यशबीर सिंह, और जसवन्त सिंह कांस्टेबल (कमांडो) जख्मी हो गए। मकान के अंदर से हो रही गोलियों की बौछार से विचलित हुए बिना, श्री श्याम सिंह, पुलिस सहायक आयुक्त और राजेन्द्र सिंह चिकारा, निरीक्षक ने जवाबी गोलियां चलायी और मोर्चा संभाले रखा। उग्रवादियों के भागने के प्रयास विफल करने के लिए वे आगे के दरवाजे पर गोलियां चलाते रहे।

इसी बीच उग्रवादी फ्लैट के पिछले दरवाजे की तरफ गया, जहां पर उसका सामना श्री अमरीक सिंह, पुलिस सहायक आयुक्त और उनकी पार्टी से हुआ। उग्रवादी ने पुलिस कार्मिकों पर दो हथ गोले भी फैंके लेकिन श्री अमरीक सिंह पुलिस सहायक आयुक्त की सतर्कता पूर्ण कार्रवाई के कारण, आतंकवादी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए। अपने जीवन के प्रति संभीर खतरे की स्थिति में श्री अमरीक सिंह, पुलिस सहायक आयुक्त और रवि शंकर निरीक्षक ने आतंकवादी पर जवाबी गोलियां चलायी और उसे वापस घर में जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस समय तक घटना स्थल पर कमांडो के साथ वरिष्ठ अधिकारी तथा और अधिक बल पहुंच गए।

इसी बीच रविशंकर, निरीक्षक और एक उप-निरीक्षक ऊपर की छत पर गए ताकि वहां से बचाव में गोलीबारी की जा सके और उग्रवादियों के भागने के रास्ते बंद किए जा सके। पुलिस पार्टी मकान पर दोनों तरफ से गोलीबारी करती रही और उग्रवादियों के भागने के सभी संभावित रास्तों को बंद कर दिया। उग्रवादी के अंदर से पुलिस पार्टियों पर गोलियां चलाता रहा। उसके बाद पुलिस कार्मिकों ने उग्रवादियों के घर की छत पर एक छेद किया और घर में आंसू गैस सैल छोड़े। पुलिस कार्मिकों ने गोलियां चलाते हुए दरवाजा तोड़ डाला और आतंकवादी मनजीत सिंह उसकी पत्नी हरजिन्दर कौर के मकान के ड्राईंग रूम में मृत पाया। तलाशी के दौरान मुठभेड़ के स्थान से एक ए० के० 56 असाल्ट राईफल, 3 भरी हुई मैगजीनें और भारी मात्रा में सक्रिय खाली कारतूस बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री अमरीक सिंह, पुलिस सहायक आयुक्त, श्याम सिंह, पुलिस सहायक आयुक्त, रवि शंकर, निरीक्षक राजेन्द्र सिंह चिकारा, निरीक्षक, यशबीर कांस्टेबल और जसवंत सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 अगस्त 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

लोक सभा सचिवालय

(प्राक्कलन समिति शाखा)

नई दिल्ली—110001, दिनांक 24 मई, 1994

सं० 4/2/ई० सी०/94—लोक सभा के निम्नलिखित सदस्यों को प्राक्कलन समिति की 1 मई, 1994 से प्रारंभ होने वाली तथा 30 अप्रैल, 1995 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्वाचित किया गया :—

1. श्री बी० अकबर पाशा
2. श्री ए० अशोकराज
3. श्री पवन कुमार बंसल
4. डा० कृपा सिन्धु भोई
5. श्री अनादि चरण दास
6. श्रीमती सरोज दुबे
7. श्री छीतूभाई गामित
8. डा० परशु राम मंगवार

9. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा
10. श्री इम्चालम्बा
11. श्री बारे लाल जाटव
12. श्री दाऊ दयाल जोशी
13. श्रीमती सुमित्रा महाजन
14. श्री सूरज मंडल
15. श्री के० एम० मैथ्यू
16. श्री भुनेश्वर प्रसाद मेहता
17. श्री अजय मुखोपाध्याय
18. श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ
19. श्री मोहन रावले
20. श्री सुदर्शन राय चौधरी
21. श्री के० पी० रेड्यया यादव
22. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री
23. श्री राम फल सिंह
24. श्री सत्य देव सिंह
25. श्री के० डी० सुलतानपुरी
26. श्री पी० सी० थामस
27. श्री आरविन्द त्रिवेदी
28. श्री लाईता उम्ब्रे
29. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे
30. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

अध्यक्ष ने डा० कृपा सिन्धु भाई, संसद सदस्य को प्राक्कलन समिति (1994-95) का सभापति नियुक्त किया है।

पी० के० सन्धु
उप सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 मई, 1994

संकल्प

सं० 4-23/84—मशीनरी (आई० एण्ड पी०) भाग—2—इस संबंध में जारी किए गए पिछले सभी संकल्पों का अक्रमण करते हुए, भारत सरकार ने इस संकल्प के जारी होने की तारीख से केन्द्रीय कृषि मशीनरी और उपकरण विकास परिषद को पुनः गठित करने का निर्णय लिया है।

2. परिषद का गठन निम्न प्रकार से होगा :

1. अध्यक्ष — सचिव (कृषि व सहकारिता विभाग)।

2. सदस्य
   1. अपर सचिव, प्रभारी, कृषि मशीनरी प्रभाग, कृषि व सहकारिता विभाग।
   2. कृषि आयुक्त, कृषि एवं सहकारिता विभाग।
   3. बागवानी आयुक्त, कृषि एवं सहकारिता विभाग।
   4. निम्न कार्यालयों से प्रतिनिधि
      (1) योजना आयोग
      (2) लघु उद्योग, कृषि व ग्रामीण विभाग
      (3) औद्योगिक विकास विभाग परिषद।
      (4) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
      (5) भारतीय मानक ब्यूरो (बी० आई० एस०)।
   5. निदेशक, केन्द्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान भोपाल।
   6. राज्य कृषि उद्योग निगम के दो प्रबंध निदेशक/मुख्य अभियन्ता। वर्तमान में पंजाब कृषि उद्योग निगम व आन्ध्र प्रदेश कृषि निगम के प्रबंध निदेशक।
   7. दो राज्य सचिव (कृषि) /निदेशक (कृषि) उपर्युक्त क्र० सं० 6 में उल्लिखित राज्यों के अलावा अन्य राज्यों से क्रमवार (वर्तमान में उड़ीसा व गुजरात राज्यों के कृषि सचिव।
   8. ट्रैक्टर निर्माता संघ के दो प्रतिनिधि।
   9. पावर टिलर निर्माता संघ के दो प्रतिनिधि।
   10. कम्बाइन हारवेस्टर निर्माता संघ के दो प्रतिनिधि।
   11. लघु उद्योग निर्माता संघ के दो प्रतिनिधि।

गैर-सरकारी सदस्य

12. (1) श्री के० राजमोहन उन्नीथन, कम्पीयिल हाऊस, किलोन—4 (केरल) (29-1-92 से 28-1-1995 तक)।
    (2) श्री मीर सिंह चौधरी, गजराज भवन, तम्बी पैट्रोल पम्प के नजदीक, सीकर रोड नं० 1, जयपुर—302013। (29-1-92 से 28-1-95 तक)।
    (3) श्री अजीत महापात्रा, कलिंग हाऊस, रसूलगढ़, भुवनेश्वर—751010।
    (4) श्री एस० सरकार; रेजीडेन्ट महाप्रबंधक; महेंद्रा एण्ड महेंद्रा लि०; जीवन दीप, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली—110001।

(5) श्री भूपेन्द्र सिंह हूडा,
संसद सदस्य (लोक सभा)।

3. सदस्य सचिव — संयुक्त सचिव (मशीनरी) कृषि व सहकारिता विभाग।

4. सचिव — संयुक्त सचिव (मशीनरी) कृषि व सहकारिता विभाग।

3. क्रम संख्या 12 (1) और 12 (2) के अलावा II (6) से II (12) तक सभी सदस्य भारत सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामजद किये जायेंगे। अध्यक्ष को केन्द्रीय और राज्य स्तर की एजेंसियों के उपयुक्त विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों को परिषद की बैठकों में आमंत्रित करने का अधिकार है।

4. भारत सरकार उन हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिनका परिषद में पहले प्रतिनिधित्व नहीं किया गया, समय-समय पर अतिरिक्त सदस्यों को नामजद कर सकती है।

5. परिषद एक परामर्शदायी निकाय होगी और उसके निम्नलिखित कार्य होंगे :—

(1) देश में कृषि संबंधी यंत्रीकरण को बढ़ावा देना।

(2) उत्पादन, नए उपकरण तथा सेवाओं से संबंधित विषयों में अनुसंधान को बढ़ावा देना।

(3) उत्पादन के लक्ष्यों की सिफारिश करना, उत्पादन कार्यक्रमों में समन्वय लाना और समय-समय पर हुई प्रगति की समीक्षा करना।

(4) कृषि यंत्रीकरण से संबंधित निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण वितरण, बिक्री उपरान्त सेवा, मरम्मत, रख-रखाव, प्रशिक्षण तथा ऋण सुविधा।

(5) कृषि मशीनरी का विकास, भूमिका तथा प्रचार।

(6) उत्पादों के मानकीकरण को बढ़ावा देना।

(7) कृषि मशीनरी के प्रयोग में सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देना।

(8) कृषि यंत्रीकरण से संबंधित ऐसे किसी भी मामलों में राय देना जिनके बारे में केन्द्रीय सरकार विकास परिषद से अनुरोध करे।

6. परिषद ऐसे स्थान और समय पर अपनी आवधिक बैठकें करेगा जैसा कि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया गया हो।

7. परिषद, संकल्प द्वारा (क) कृषि यंत्रीकरण के संबंध में उसे सलाह देने के लिए तथा (ख) किसी अन्य प्रयोजन जैसा कि वह उचित समझे, के लिए समिति नियुक्त कर सकती है।

8. गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते का भुगतान कृषि और सहकारिता विभाग के बजट प्रावधान में समूह "क" अधिकारियों के अनुसार ही किया जाएगा।

9. इस परिषद में गैर-सरकारी सदस्य के तौर पर मनोनीत किए गए संसद सदस्य को यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते (सवारी भत्ता सहित) का भुगतान संसद सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1954 तथा उसके सहत बनाए गए और समय-समय पर संशोधित किए गए नियमों के अन्तर्गत निर्धारित किया जायेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों के विभागों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अतुल सिन्हा संयुक्त सचिव

पशु पालन तथा डेरी विभाग
नई दिल्ली, दिनांक 24 मई 1994

संकल्प

सं० 43-49/91-एल० डी० टी०—इस मंत्रालय के दिनांक 9-2-1994 के संकल्प संख्या 43-49/91-एल० डी० टी० के अनुसरण में सदस्य-सचिव के समक्ष की प्रविष्टि को इस प्रकार पढ़ा जाये :—

"संयुक्त सचिव, पशु पालन और डेरी विभाग"।

ए० के० डी० जाधव
संयुक्त सचिव (प्रशा० तथा अ० सह०)

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
नई दिल्ली, दिनांक 23 मई, 1994

संकल्प

सं० हिंदी/समिति/91/38/1—रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के दिनांक 5-2-93 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में श्री गिरधारी लाल चांडक, 100, जी० एन० चेटी रोड, टी० नगर, मद्रास-600017 को रेल मंत्रालय के अधीन गठित रेलवे हिंदी सलाहकार समिति में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।

श्री चांडक के संबंध में अन्य शर्तें वही होंगी जो 5-2-93 के उपर्युक्त संकल्प में उल्लिखित हैं।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

मसीहुज्जमां
सचिव, रेलवे बोर्ड
एवं भारत सरकार के पदेन अपर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 9th June 1994

No. 60-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Assam Police.

Name and Rank of the Officer

Shri Sader Ali,
Sub-Inspector of Police,
Lakhimpur.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On the night of 14th August 1992, Sub-Inspector Cadar Ali, Incharge of Boginadi Outpost received information that a group of ULF insurgents under the leadership of one Alok Borua @ Amrit Gogoi had come to Kuhiarbari village near Subansiri river and sheltering there for the night. Shri Sader Ali having only 5 Home-Guards at that time and no vehicle, did not waste time in calling reinforcements or wait for a police vehicle, realising that loss of time would result in escape of those insurgents. He immediately collected all the Home Guards on a civilian truck and reached Chouldhuaghat situated behind Kuhiarbari village.

Shri Sader Ali and his men reached the village from round about route and surrounded the house of one Ratul Hazarika where the insurgents were sheltering. After cordoning the house, S. I. Sader Ali without waiting to challenge the insurgents, as it would give them ample time to counter the attack, crept up to the door and charged into the house. Alok Borua the leader of the group though taken by surprise took out a HE 36 grenade and started pulling out the pin to throw it on the S.I. Sader Ali, who at imminent risk of being blown up managed to jump upon Alok Borua, held him and recovered the grenade and defused it. Meanwhile, the other Home Guards managed to catch two of the other members of the group who were sleeping in the other rooms. The three insurgents who were evading arrest were identified as Alok Borua @ Amrit Gogoi, Haren Saikia @ Putul Saikia and Khirode Gogoi @ Bikram Phukon. One .30 US Carbine with 2 magazines with 38 rounds, 2 SBBL guns, 12 rounds of 12 bore cartridges and 2 primed HE 36 grenades were recovered from the insurgents.

In this encounter Shri Sader Ali, Sub-Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowances admissible under rule 5, with effect from 14th August, 1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 61-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Assam Police.

Name and Rank of the Officer

Shri Robin Saikia (*Posthumous*)
Sub-Inspector of Police,
District Jorhat.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 8th September 1992 at about 10.30 A. M., two unknown persons came to the house of Shri Ranjan Chutia of Rajabahar Borphukan Ghat Gaon Borhulla and asked him to hand over his motorcycle alongwith the key as well as documents. On his refusal those persons went away threatning him to see him in the afternoon. Shri Chutia went to Police Station at 6.00 P. M. on the same day and lodged an FIR. A police party (including S. I. Robin Saikia) got ready to proceed to the place of occurrance. As the party was getting ready, one of the accused happened to pass through the road in front of the police station on motor-cycle. Shri Chutia immediately pointed out to the police party and they gave a hot chase.

The police party overtook the accused person near village Moran Gaon about two kilometres from the police station. The culprit fell down from the motor cycle but immediately he ran towards an adjacent paddy field. Shri Saikia ran after the culprit leaving behind the other party members. The police party followed them, but could not catch up in time. The accused was given several warnings by the police party to stop but to no avail.

In the meantime, Shri Saikia caught hold of the accused and in a rare display of courage grappled with him in a drain full of water and virtually over-powered him. The accused then whipped out his pistol and fired at Shri Saikia from point blank range hitting him on the chest and killing him on the spot. He also fired two more rounds on a villager, who came to help the police officer to apprehend the culprit. He was hit on the hip. Taking the advantage of darkness, the culprit escaped. The injured person was immediately shifted to Jorhat Civil Hospital for treatment.

In this encounter Shri Robin Siakia, Sub-Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 8th September, 1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 62-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Bihar Police.

Name and Rank of the Officer

Shri Ram Sakal Prasad Singh,
Asstt. Sub-Inspector of Police,
Kotwali P. S., Patna.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On the intervening night of 13th/14th January, 1991, Shri Ram Sakal Prasad Singh, A.S.I. was on night patrol duty alongwith 5 Home Guard Jawans. While moving around in a Jeep he was cautioned by a message on the wireless set that a gang of notorious criminals heavily armed with bombs and pistols were hurling bombs on the Buddha Colony Police Party. Immediately Shri Singh swung into action, directed his driver to rush to the spot to intercept the fleeing criminals. As he was nearing the gate of Patna Women's College, he noticed a gang of desparadoes coming from the west in the light of his Jeep. He immediately asked his driver to stop the Jeep and at once jumped off the Jeep, pulled out his service revolver and rushed towards the criminals to pounce upon them as he signalled his men to follow. The Criminals seeing Shri Singh rushing towards them desperately, hurled bombs and fired from pistols at the ASI. Shri Singh rushing in the forefront was severely injured by the splinters. He stood still by the shock of sudden attack but later recovered himself to the situation. Realising that his life was in danger, inspite of being injured, he fired six rounds from his revolver, directing his fire mainly at the leader of the gang. Shri Singh ultimately found his target as the leader of the gang fell to his bullets while the other members of the gang seeing their leader falling to the bullet lost their nerves and ran helter skelter.

In this encounter Shri Ram Sakal Prasad Singh, Asstt. Sub-Inspector of Bihar Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the ruler governing the award of Police Medal and consequently

carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 14th January, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 63-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Bihar Police.

Name and Rank of the Officers

Shri Shrawan Kumar,
Sub-Inspector of Police.
Ranchi.

Shri Birendra Kumar Singh,
Constable/Driver,
Ranchi.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 8th July, 1991, two notorious criminals namely Ashok Kumar @ Munna Singh and Bhaiya Shyam snatched away a brief case containing Rs. 1,28,645/- from Shri Lalit Kumar Sharma on the point of revolver from a crowded place in front of Ranchi Treasury and fled away on a schooter driven by another notorious criminal. The criminals were immediately followed by Shri L. K. Sharma and other in a vehicle being driven by Driver/Constable B. K. Singh who reached the spot and was apprised of the incident. In the process, the criminals lost balance and fell down from the scooter but started running away. Driver/Constable B. K. Singh and Shri Sharma continued the chase. Near Butah Talao Chowk, S.I. Shrawan Kumar, coming from the eastern side on his motor cycle, intercepted the criminals who in turn started indiscriminate firing towords the car following them as well as towards S. I. Shrawan Kumar. Shri Kumar also returned fire with his service revolver towards the criminals but it was a mis-fire. At this critical junctures, S. I. Shrawan Kumar jumped and caught hold one of the criminals and over-powered him. The other criminal threw away his revolver and managed to escape.

On interrogation, the accused disclosed his name to be Ashok Kumar @ Munna Singh and that of the other accused who managed to flee away as Bhaiya Shyam. On being searched before witnesses, a loaded double barrel pistol, two live cartridges, looted brief case with the intact money and the loaded revolver thrown away by the other accused were recovered. The Scooter bearing Registration No. BIN-3741, used in the crime was also seized. The actual number of Scooter was BPY-6427, belonging to Shri Rajiv Kumar Sharma, which was earlier looted by the accused.

Prompt action of S.I. Shrawan Kumar and active support given by Driver/Constable B. K. Singh foiled away ill attempt of the criminals which resulted in arrest of one of the criminals, recovery of the looted brief case, stolen scooter and illegal arms and ammunition.

In this encounter S/Shri Shrawan Kumar, Sub-Inspector of Police and Birendra Kumar Singh, Constable/Driver displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 8th July, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director.

No. 64-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Bihar Police :—

Name and Rank of the Officers

Shri Rakesh Kumar Mishra,
Supdt. of Police.
Bhabhua.

Shri Angelus Indwar,
Dy. Supdt. of Police,
Kaimur.

Shri Bachcha Singh,
Sub-Inspector of Police,
P.S. Chainpur.

Shri Narendra Pd. Singh,
Sub-Inspector of Police,
P.S. Bhabhua.

Statement of services for which the decoration has been awarded :-

On 8th February, 1992, around 4.15 P.M. Shri Angelus Indwar, Dy. S.P. got information that Shri Nagendra Bahadur Singh of Village Parwatpur and Shri Meinuddin Mian of Village Sirsi were kidnapped at about 1.30 P.M. from Village Sonabo Nahar by some extremists and that the kidnappers have gone towards Kaimurhills. After organising a raiding party, consisting of S.I. Narendra Pd. Singh and other police personnel, Shri Indwar, Dy. S.P. immediately rushed to the place of occurrance he found Inspector K. P. Sinha, S.I. Bachcha Singh, S.I. Dharma and other police personnel discussing strategies for apprehending the kidnappers and recovering the kidnapped villagers. In the meantime, Shri Mishra, S.P. alongwith his bodyguard Const. and one ASI also reached at the spot and reviewed the situation.

In the meantime a villager returning from hill side told the police that some 30-40 criminals were seen going with the kidnapped villagers on the hills. On further information, it was transpired that the kidnappers were demanding ransom of Rs. two lakhs and the licenced gun of Shri N.B. Singh and some other arms and ammunition. In case of non-fulfilment of these demands Shri N.B. Singh will be murdered and his body will be thrown on the road. The S. P. got the police force divided into three parts to avoid any chance of slipage or taking shelter of criminals in the near village. Inspector K.P. Sinha and S.I. K. D. Sharma and a part of armed force were directed to proceed to Parwatpur village and that neither ransom nor the licenced arms be given to the kidnappers. Party No. 2 under ASI Kamta Pd. Singh alongwtth some armed force were deputed to villagers Lohra to prevent any possible retreat of the kidnappers to any downward place.

Shri R.K. Mishra, S.P. alonwith Dy. S.P. Indwar, S.I. Bachcha Singh, S.I.Narendra Pd. Singh and other police personnel proceeded toward the line along with the kidnappers were reported to have gone. On reaching Kundanih, some shepherds told the police party that the kidnappers had gone towards south. Ultimately after covering a long distance and reaching village Jignee, the police party spotted some 5 to 6 huts and some persons in police uniform. At this juncture the S.P. ordered and cautioned his party personne to encircle the huts and ordered a bust fire to impress upon the outlaws to surrender. Without caring for the warning, the criminals kept standing in front of the middle hut surrounding the kidnapped persons.

Shri R.K. Mishra, S.P. ordered his force to crawl from the south to encircle the criminals effectively. Finding the police approaching very close, the criminals also took their positions and started indiscriminate firing on the police. The police warning to surrender on the defiant had also no effect. The S.P. Shri Mishra ordered his party to fire in self defence which was replied by a bomb and which produced loud sounded and smoke. Eeven then the police party did not lose their nerve and Shri Bachcha Singh fired from his service revolver followed by another fire by Shri A. Indwar, Dy. S.P. Finding themselves face to face, the criminals lost their ground and some of them began fleeing. On the other hand some criminals were still engaged in their

firing spree on the police party. Finding no alternative, the S.P. ordered his men to crawl further in firing position to rescue the kidnapped persons. He also instructed the party personnel to continue their firing which lasted for more than an hour after which firing from opposite side came to a halt. Due to continuous police firing, the criminals became paincky and taking the advantage of the forest and difficult terrain they took to their heels. They were chased by the police party but no trace was found. At the place of firing 4 dead bodies were found and also recovered large number of arms and ammunition and indiscrimnate literature. The two kidnapped villagers were safely rescued from the clutches of the disperadoes by the police.

In this encounter S/Shrt Rakesh Kumar Mishra, Supdt. of Police Angelus Indwar, Dy. Supdt. of Police Bachcha Singh, Sub-Inspector and Narendra Pd. Singh, Sub-Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules govering the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissimble under rule 5, with effect from 8th February, 1992.

G. B. PRADHAN
Director.

No. 65-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Bihar Police:-

Name and Rank of Officers

Shri Alok Raj,
Asstt. Supdt. of Police,
Patna City.

Shri Indu Bhushan Prasad,
Inspector of Police,
District Patna.

Shri Janardan Prasad Singh,
Inspector of Police,
District Patna.

Shri Raj Kumar Karan,
Sub-Inspector of Police,
District Patna.

Shri Saklu Ram,
Sub-Inspector of Police,
P.S. Alamganj.

Shri Jagdish Mahato,
Asstt. Sub-Inspector of Police,
P.S. Alamganj.

Shri Ram Bhushan Sharma,
Constable,
District Patna.

Shri Suraj Kumar Singh,
Constable,
Patna City.

Statement of services for which the decoration has been awarded :-

On 13th April 1992 Inspector Indu Bhushan Prasad, around 10.00 hours got information regarding assemblage of some notorious criminals in the vacant house of Shri Lali Prasad near Bari Patan Devi and their planning to commit heinous crime like dacoity in the neighbourhood. On the way, he also informed Shri Alok Raj , ASP, who immediately proceeded to the place of assemblage with the available force. On reaching there at about 10.30 hours. Shri Alok Raj took stock of the situation and divided the raiding party into two groups. The first party led by Shri Alok Raj consisted of Inspr. Janardan Prasad, S.I. Raj Kumar Karan, Hav. Lakshman Yadav, Const. Ram Bhushan Sharma and Constable Driver Suraj Kumar Singh. The second party led by Inspector Indu Bhushan Prasad consisted of S.I. Saklu Ram, ASI Jagdish Mahato, Hav Goswami, Const. Agnideo Singh, Const. Ram Ganesh Yadav and Driver Const. Kameshwar Singh. After noticing 5-6 suspicious persons near the house, the plice cordoned the house. Shri Alok Raj and his party took position on the east while he asked Inspector Indu Bhushan Prasad and his men to encircle the place from west. When Shri Alok Raj and his men were taking position and plannng to ask the crminals to surrender, one of the criminals fired bullet hitting Const. Ram Bhushan Sharma in his leg, who instantly fell down. Finding himself and his men placed in precarious situation, Shri Alok Raj fired one round from his service revolver which hit the criminals. Finding no way out to escape, the criminals opened indiscriminate firing and proceeded towards western side of the house. When obstructed by the second raiding party, the criminals opened fire on Inspector Indu Bhushan Prasad, who luckily escaped unhurt. He at once took position and fired at the criminals. Finding themselves in the police dragnet, the criminals continued indiscriminate firing from both the sides. The raiding parties returned the fire effectively and also asked the desperadoes to surrender. Some of the criminals took to the house top in a bid to escape amidst volley of fire and some criminals escaped via north lane. After a short while the firing from the criminals side stopped and on a check up the house, two criminals were found killed.

As directed by Shri Alok Raj a message on the wireless was flashed to the City Control Room and to the Mobile Units that some criminals had escaped and were fleeing towards Ganga Setu and should be pursued, with a view to capture them. Inspector Indu Bhushan Prasad and other police personnel also rushed towards the Ganga bridge when they received the message that the criminals and the mobile party were engaged in exchange of fire near Biscomanam. On reaching there, they found that two more criminals had been killed and some arms and ammunition were lying besides them.

Four dreaded criminals were killed in this encounter who were later identified as Shiva Mahato, Parmeshwar Taltwa, Talis Iqbal and Mohd. Shahbad. In all 4 country made pistols, 4 fired cartidges and 7 live, .315 and 8mm cartridges besides cash were recovered from the spot.

In this encounter S/Shri Alok Raj, Asstt. Supdt. of Police, Indu Bhushan Prasad, Inspector. Janardan Prasad Singh, Inspector, Raj Kumar Karan, Sub-Inspector, Saklu Ram Sub-Inspector, Jagdish Mahato, Asstt. Sub-Inspector, Ram Bhushan Sharma, Constable and Suraj Kumar Singh , Constable , displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 13th April 1992.

G. B. PRADHAN,
Director.

No. 66-Pres/94.—The President is pleased to awrd the Police Medical for Gallantry to the undermentioned officers of the Bihar Police :-

Dr. Ashok Kumar Verma,
Supdt. of Police,
District Siwan.

Shri Rajendra Singh,
Inspector of Police.
Mairwa, District Siwan.

Shri Birendra Nath Tiwary,
Sub-Inspector of Police,
District Siwan.

Shri Kailash Ram,
Asstt. Sub-Inspector of Police,
District Siwan.

Shri Gopal Paswan,
Sergeant Major,
District Siwan.

Shri Anand Shankar Prasad,
Sergeant,
District Siwan.

Shri Rajendra Singh,
Constable, BMP-6,
Muzaffarpur.

Shri Suresh Prasad Yadav,
Constable,
District Siwan.

Statement of services for which the decoration has been awarded :-

On 17th April 1992, an information was received at about 1430 hours about the assemblage of inter-state hard-core armed criminals Lal Babu Bhagat and his gang members in an isolated place near village Patawan P. S. Guthani. District Siwan. It was also intimated that the criminals were planning to commit a serious crime. After informing the S. P. about this Shri Rajendra Singh, Inspector alongwith other police personnel left for village Patawan an on reaching the outskirt of the village at about 1515 hours, he noticed 7-8 armed criminals sitting in an isolated dense mango orchord making preparation to commit the crime. He alerted the police party and challenged the criminals but the criminals started firing indiscriminately on the police party. The fierce armed encounter started between the police and the criminals which lasted for about an hour. However, no casualty suffered on either side. Two of the criminals escaped with guns and forcefully took shelter in the house of Shri Jagdish Mishra while continuosly firing on the police. Shri Gopal Paswan, Sgt. Major strategically deployed the armed force around the house in which the criminals had taken shelter and faced the indiscriminate firing by the criminals. The criminals even set a part of the house on fire with the intention to cause confusion and to escape.

Shri A. K. Verma, S.P. who had constituted a task force to track down the criminals and after reaching the said village had taken command of the situation, immediately took necessary measures to control fire and also deployed his men. He climbed up to the roof of the house and retaliated the fire and also gathered knowledge of inside of the house. The criminals were firing at police from strategic points by changing their positions. They were warned to surrender but they refused to do so. When it was getting dark, Shri Verma decided to enter the house for final and frontal on the criminals. He with a small posse of selected personnel (including S/Shri Rajendra Singh, Inspector B. N. Tiwary, Sub-Inspector Kailash Ram, Sub-Inspector Gopal Parwan, Sgt. Major A. S. Prasad, Sergeant and two constables Rajendra Singh and S.P. Yadav), in the face of grave risk entered into the small verandah and found the exact location of the criminals. In the exchange of fire Shri Rajendra Singh, Inspector received gun shot injury on the left arm, but he faced the pitched battle using his service revolver against the culprits. Four other Police personnel sustained gun shot injuries. He took position by the side of the door and redeployed his men. He swiftly opened burst fire on the criminals and one of the criminals Bhishwajeet Ram @ Bishua was finally killed in the exchange of fire.

Shri Verma also received injury in his left arm but without caring for this he again assaulted the criminals with stengun and Lal Babu Bhagat who had taken a menacing leap with his gun aimed to fire at the man in front, fell to the bullets of Shri Verma. From the deceased criminals, two regular DBBL guns, 27 live cartridges in web belts and 21 empty cartridges were recovered from the house.

In this encounter Dr. Asok Kumar Verma, Supdt. of Police, S/Shri Rajendra Singh, Inspector, Birendra Nath Tiwary, Sub-Inspector of Police, Kailash Ram, Asstt. Sub-Inspector, Gopal Paswan, Sergeant Major, Anand Shankar Prasad, Sergeant, Rajendra Singh, Constable and Suresh Prasad Yadav, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5. with effect from 17th April, 1992.

G. B. PRADHAN,
Director.

No. 67-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Jammu & Kashmir Police :-

Name and Rank of the Officers

Shri Dewan Chand,
Sgt. Constable (Now H.C.),
JKAP III Bn.

Shri Bashir Ahmed,
Constable (Now Sgt. Constable),
JKAP III Bn.

Statement of services for which the decoration has been awarded -

Sgt. Constable Dewan Chand and Constable Bashir Ahmad were detailed for escort duty of the children of one of the relatives of the former Home Minister, Shri Mufti Mohammed Sayeed on 7-7-90. While they were on duty at the School, they saw 5-7 militants who asked these policemen to raise their hands with an intention to disarm them making way for kidnapping of the escorted childern from the Sshool. Following this, the militants attacked these Police personnel and during the ensuing scuffle Sgt. Constable Dewan Chand received injuries and Shri Bashir Ahmad, Constable rushed to the location of the guard to bring with him more police personnel to effectively tackle the militants. In the meantime, the militants tried to carry away Shri Dewan Chand on their shoulders. Shri Dewan Chand inflicted deep injuries on the head of one of the militants with his pointed weapon. He also managed to get hold of the iron railing of the School gate and shouted for help. While Shri Dewan Chand kept the militants engaged with his courageous efforts, a number of armed police personnel under the supervision of ASI Shayam Lal alongwith Constable Bashir Ahmed reached the spot and fire 13 rounds in the air. On hearing the fire shots, the militants threw away Shri Dewan Chand on the ground and ran away. After the escape of the militants, Sgt. Constable Dewan Chand was removed to hospital for treatment.

In this encounter S/Shri Dewan Chand, Head Constable and Bashir Ahmad, Constable displayed consipicuous gallantry, Courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 7th July, 1990.

G. B. PRADHAN,
Director.

No. 68-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Madhya Pradesh Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri R.S. Ghuraiya,
Sub-Inspector of Police, SHO, P.S. Pandokhar,
Gwalior.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

In the evening of 2nd November, 1990, Shri R. S. Ghuraiya, SHO. P. S. Pandokhar, District Gwalior received information that dacoit Pritam Gadaria and his associate were hiding in a Jawar field near village Kurgaon and

were planning to commit some heinous crime in the village. Shri Ghuraiya immediately informed S.D.O.(P), Bhander and also summoned assistance from neighbouring police stations of Bhander and Gondan. The police party consisting of 30 officers/men was divided into three groups. The Jawar field was encircled by the policemen, they crawled in darkness and got closer to the hiding dacoits. The dacoits managed to notice the movements of police personnel around them and the dacoits opened fire. S.D.O.(P), Bhander and Shri Ghuraiya, who were in the fore-front had a narrow escape but undaunted by the hail of coming bullets, led their men with courage.

Shri Ghuraiya, without caring for his personal safety charged towards the dacoits and in the face of bullets, he engaged the gang leader Pritam Gadariya in close quarter and shot him dead. Due to the loss of their leader, their morals was shattered and the dacoits tried to escape but the other police personnel killed the other two dacoits. Thus the entire gang of dacoit Pritam Gadariya was liquidated in the encounter. During search two .12 bore guns, one country-made gun and large number of cartridges were recovered from the dacoits. All the dacoits were carrying cash rewards on their heads.

In this encounter, Shri R.S. Ghuraiya, Sub-Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 2nd November, 1990.

G. B. PRADHAN,
Director.

No. 69-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Madhya Pradesh Police :-

Name and Rank of the Officers

Shri Shrikrishna Singh,
Constable (Now Head Constable),
P.S. Kampoo, Gwalior.

Statement of services for which the decoration has been awarded :-

On 28th April, 1991, a gang of 6 militants gunned down Shri Raj Bahadur Shukla, Assistant Station Master, Railway Station Dabra in his office. This created panic and terror in Dabra Town and in the surrounding areas. On this intensive patrolling was organised and strict watch was kept at strategic points in order to completely seal the area.

During the Course of round the clock checking of vehicles on 1-5-91 in the morning on Gwalior-Jhansi road, an armed police party of District Gwalior checked a Maruti Van and motor cycle both driven by sikh youths. On interrogation about their identity, purpose of journey etc. a suspicion was aroused about their bonafides and they were brought to police Station. They were asked to intimate their names after coming down from the Maruti Van. A youth came down from the van and intimated his name as Nishan Singh. He took out his pistol from his waist and fired on the checking staff and ran towards Police Colony while firing. The police personnel immediately chased the militant, who kept on firing while running. Some police personnel of off duty force including Constable Shrikrishna Singh also joined the Police Party to apprehend Nishan Singh. Some civilians also chased the militant with the police personnel. The militant continued to fire on police personnel and civilians. Constable Shrikrishna Singh of police party fired in self defence on the militant and injured him. The militant then fired with his pistol in his own temple resulting his death. During search one 7.65 mm Chinese Pistol, one loaded magazine, 4 Cyanide Capsules, few empty rounds were recovered from the dead militant.

In this encounter Shri Shrikrishna Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 28th April, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director.

No. 70-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal Gallantry to the undermentioned officer of the Madhya Pradesh Police :-

Name and Rank of the Officer

Shri Lal Singh, (Posthumous)
Head Constable,
22 Bn., SAF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

The 22nd Battalion, SAF of Madhya Pradesh was deployed in District Barpeta, Assam for law and order duties in the Bodo affected and most disturbed area of Anand Bazar Police out-Post. They also collected intelligence on the movement of Bodo militants.

On the intervening night of 14/15th December, 1991, about 40-50 Bodo militants attacked the Anand Bazar Out Post with most sophisticated automatic weapons with a view to kill the officials. Taking full advantage of the low-lying area, the nallah and the darkness, they came very close and opened fire. They also lobbed handgrenades. The sentry on duty at the post immediately returned the fire.

Head Constable Lal Singh immediately took his stengun alongwith ammunition pouch and sounded alert. He directed all his men to take positions on all the front of the camp and return the fire on the militants. He strategically positioned himself near the camp to return the fire on the militants and issue directions to his colleagues. He assessed the direction of fire and replied the same from his stengun. Hardly he had fired four rounds from his weapon when a handgrenade thrown by the militants fell just in front of him . He tried to change his position for better cover but the grenade exploded suddenly. One lethal piece pierced his heart, other splinters hit his stengun and burst the magazine. The pieces of magazine entered his left palm and he died instantaneously.

The exchange of fire remained continuous. When 6 rounds from VL Pistol were fired to illuminate the area, the attackers left the place in a haste leaving behind a large number of unused magazines, live rounds etc. Thus the attempt of the militants was successfully foiled by the stiff resistance offered by Head Constable Lal Singh and others. In this way Shri Lal Singh laid down his life at the alter of duty.

In this encounter Shri Lal Singh, Head Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 15th December, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director.

No. 71-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Madhya Pradesh Police :-

Name and Rank of the Officer

Shri S. C. Dubey,
Inspector of Police,
SHO Jhansi Road,
Gwalior.

Statemen of services for which the decoration has been awarded :—

On 14th April 1992 while an Income Tax Inspector of Gwalior was returning from official tour from Shivpuri, he was way-laid by two armed outlay. At an isolated place near the All India Radio Station, Gwalior, he was robbed of his cash and was then further tricked at the gun-point to part with his brief case containing important official documents and other personal belonging. As he was begging them to let him off, Shri S. C. Dubey, Inspector, P.S. Jhansi Road happened to pass that way on routine patrolling in his jeep at about 2200 hours. Although this place was not in his jurisdiction, Shri Dubey sensed something wrong. He immediately swung into action, stopped his jeep, jumped out and grappled with the culprits in order to rescue the cornered and helpless Shri Raja. Shri Dubey put his hand on one of the gangestar's shoulder to prevent him from using his gun. He also shouted at them and stunned them for a moment. The other criminal aimed the barrel of his weapon at the Income Tax Inspector's chest. Shri Dubey noticed the risk involved. he could not take out his revolver from the holster, the criminal immediately turned the barrel of his weapon towards Shri Dubey and fired at him. As a result Shri Dubey got gun shot injuries in his abdomen and started bleeding profusely. Shri Dubey put his left hand on his injuries in order to stop the oozing blood and with his right hand, took out his revolver from holster. In the meantime, the dacoits tried to escape on their motor cycle but as they noticed the Police officer unshaken by his injuries, both of them jumped into a deep nallah leaving behind their motor cycle. Shri Dubey gave a hot chase for about fifty meters and fired all the six rounds from his revolver in the direction of their escape route. None of the bullets hit the criminals and they escaped under the cover of darkness and nallah. Thereafter Shri Dubey was rushed to hospital for treatment. Shri Dubey risked his life to save the life of Income Tax Inspector, Gwalior.

In this encounter Shri S. C. Dubey, Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a hight order.

This award is made for gallantry under rule 4 (1) of the rules governing the award of Police Medal consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 14th April, 1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 72-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Maharashtra Police :—

Name and Rank of the Officers

Shri R. R. Rajput,
Head Constable, SRPF,
Nagpur.

Shri G. S. Tiwari,
Head Constable,
Bhandara District.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 16th April 1991 at about 0730 hours, three policement of Naxal Police Post Darekasa, P. S. Salekesa, District Bhandara, after meals went to water-pump located behind the Primary Health Centre for cleaning their tiffin boxes and for drinking water. Suddenly they were attacked by naxalites who had surrounded the Police Post. They sustained bullet injuries in first attack and thereafter ran away for shelter in the building.

The police personnel at the police post noticed that about 40—50 naxalites including some women have surrounded the post with the intention to attack the policemen and snatch their arms and ammunition. The naxalites opened heavy fire on the police personnel with automatic weapons and also used hand-grenades. It was a war like situation where a small contingent of policemen was attacked by large number of naxalites. The policemen were confind inside the building and the area of operation left with them was very limited.

In this difficult situation, Head Constable R. R. Rajput of SRPF, Nagpur and Head Constable G. S. Tiwari of Bhandara District rose to the occasion and retaliated the attack of naxalites by using the war tactics. They kept their cool, attacked the naxalites with whatever weapons and ammunition they had with the determination of killing maximum number of naxalites and fought them bravely. Both of them guided their colleagues to fire at the naxalites effectively and accuratel. This planned and determined attack of the policemen resulted in killing of a dreaded and active Commander Raoji Tulavi of Tulavi Dalam gang of naxalites. Not only this but 2-3 naxalites were seriously injured, who were taken away by the naxalites taking advantage of the darkness. However, other naxalites took to their heels and disappeared into the dense forest.

In this encounter S/Shri R. R. Rajput, Head Constable and G. S. Tiwari, Head Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of police Medal and consequenly carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 16th April, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 73-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Maharashtra Police :—

Name and Rank of the Officers

Shri V. K. Akolkar,
Inspector of Police, P. S. Dhanora,
Distt. Gadchiroli.

Shri G. S. Fartade,
Constable,
P. S. Dhanora.

Shri G. M. Meshram,
Constable,
P. S. Dhanora

Shri N. B. Zure,
Constable,
P. S. Dhanora.

Shri D. M. Karkale,
Constable,
P. S. Dhanora.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 12th June 1991 there was polling for the mid-term Parliamentary Elections in Gadchiroli District. People's War Group of Naxalites declared to boycott the elections, they had also given the call for bundh for 11 and 12 June, 1992. Considering this boycott, 12 police parties were deployed to clear blockage so that polling parties with the ballet boxes could move freely.

Shri V. K. Akolkar, Inspector alongwith four Constables viz. S/Shri G. S. Fartade, G. M. Meshram, N. B. Zure and D. M. Karkale were in a Jeep. Similarly, one Head Constable alongwith two Constables and 4 PWD worker were in a truck. The Jeep was requisitioned from Atomic Minerals Deptt., Nagpur with driver Prakash Kishan Patil. They were assigned duty on Murumgaon-Sawergaon Road. They left Sawargaon for road patrolling towards Murumgaon at about 10.15 hours. When the Jeep reached near village Kulbhatti the naxalites ambushed the police party travelling in the Jeep by planting land mines on the road. As a result of explosion the police Jeep was blow up in the air about 5 feet high. A crator of 13'x12'x5 was formed on the metal road due to the mines blast. Simultaneously naxalites opened fire on the police party in the Jeep. The driver of the Jeep was hit by a bullet fired by the naxalites and died on the spot. The police party returned the fire towards the naxalites and jumped out of the Jeep. They took cover of low lying area on the road side and fired toward the naxalites. The 9 mm carbine of Inspector Akolkar was damaged due to explosion so he could not fire immediately. He went crawling near the policemen, boosted their morale and asked them to continue firing. He took the rifle of one injured Constable and fired on the naxalites. He informed the nearest Armed Outpost—Murumgaon about the incident on wireless and asked for reinforcement. He again crawled to the policemen, who were firing towards the naxalites and continued firing.

Another police party led by one Sub-Inspector, which was moving on Kotgul-Sawargaon Road intercepted the wireless message and immediately rushed to the spot. This party on reaching there started firing on the naxalites. Meanwhile, another party also rushed to the spot from Murumgaon. Reinforcements reached from both the sides within half an hour

Inspector Akolkar alongwith four Constables kept on firing on the naxalites. During the exchange of fire which continued for about half an hour, Inspector Akolkar received bullet injury on the head and Constable Ganesh Fartade also received injuries.

The land mines were planted at three other places on the hill side. Two detonator were found in hill side. One exploder machine, one hand-grenade and few hundred metres wire were found near the main explosion control. These were subsequently defused by the police party.

The Driver Shri Patil of Atomic Minerals Department has been granted Rs. 50,000/- from Chief Minister's Fund and Rs. 1 lakh by the Election Commission. Other police personnel, who took active part in the encounter have been granted cash rewards.

In this encounter S/Shri V. K. Akolkar, Inspector, G. S. Fartade, Constable, G. M. Meshram Constable, N. B. Zure, Constable and D. M. Karkale, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (1) of the rules governing the award of police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 12th June 1991.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 74-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Maharashtra Police :—

Name and Rank of the Officers

Shri S. K. Babar,
Asstt. Commissioner of Police,
Greater Bombay.

Shri V. S. Kumbhar,
Sub-Inspector,
Greater Bombay.

Shri R. N. Jadhav, *(Posthumous)*
Police Sub-Inspector,
Greater Bombay.

Shri S. G. Wavhal,
Sub-Inspector,
Greater Bombay.

Shri P. C. Bhosale,
Sub-Inspector,
Greater Bombay.

Shri A. S. Yeole,
Sub-Inspector,
Greater Bombay.

Shri J. A. Thakur,
Sub-Inspector,
Greater Bombay.

Shri P. B. Gosavi,
Police Constable,
Greater Bombay.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

Information was received by the CID Bombay on 15th January 1992 that some terrorists from Punjab have taken shelter in a house in Tagore Nagar, Vikhroli, Bombay and they were indulging in exhorations from businessmen.

A team of officers and men from Detection of Crime Branch, CID and Special Operations Squad was formed under the leadership of Shri S. K. Babar, ACP for carrying out the operation. The team considering of S/Shri S. K. Babar, ACP V. S. Kumbhare, Inspector, R. N. Jadhav, S. G. Wavhal, P. C. Bhosale, A. S. Yeole, J. A. Thakur, Sub-Inspectors and Constable P. B. Gosavi and other police personnel raided the spot in the early hours of 16th January, 1992. The team was divided into two groups—the first group comprising of 2 Inspectors, 5 Sub-Inspectors and 3 Constables (including Sub-Inspector Raju Jadhav, S. Wavhal, P. C. Bhosale, A. S. Yeole and Constable P. B. Gosavi) took positions at the rear side of the house while the other group comprising 2 Inspectors, 6 Sub-Inspectors and 5 Constables under the command of Shri Babar approached the house from the front side.

The front door of the house was knocked several times and the terrorists were repeatedly told to surrender but there was no response. However, some movements were heard from inside the house. Thereafter, efforts were made to force open the front door of the house but suddenly the terrorists started firing at the police parties from front as well as rear side of the house. The police personnel returned the fire. Then the terrorists threw hand-grenades at the rear side of the house and pushed down the wooden frames of the grill of the rear wall. Due to the explositions, Sub-Inspectors Raju Jadav, Prafulla Bhosale and Suryakant Wavhal and Constable P. B. Gosavi sustained serious injuries. Due to the sudden and unexpected attack of hand grenade, the police personnel had to step back for shelter. At this moment of crisis, Shri S. Babar who was at the front side of the house and Inspector Vishnu Kumbhar who was at the rear took control of the situation and exhibited extra-ordinary qualities of leadership and encouraged the police personnel to continue firing on the terrorists. Taking advantage of the confusion created by the explosions three terrorists alongwith one lady accomplice jumped out from the gap of the grill frame and started running along the rear lane. While running they continued firing with automatic weapons. The injured police personnel and Inspector Vishnu Kumbhar fired on the fleeing terrorists. Sub-Inspector Abhay Yeole, who narowly escaped the impact of explosions fired on the fleeing terrorists and killed one of them. Inspector Vishnu Kumbhar and Sub-Inspector Yeole chased the other two terrorists and their lady accomplice but they managed to escape taking advantage of pitch darkness. Meanwhile Sub-Inspector Jayendra Thakur reached near the window of the front room of the house under shower of bullets, while Shri Babar provided him covering fire. S. I. Thakur managed to open the window and shot down one terrorist.

The terrorists killed were later identified as Pragat Singh Preetam Singh and Darshan Singh Chauhal. They were affiliated to Khalistan Armed Force of KLU. The injured police personnel were rushed to hospital for treatment. Sub-Inspector Raju Jadhav, who had sustained serious injuries in the stomach, abdomen and lower limbs later succumbed to his injuries. The 3 other police personnel were shifted for further treatment at National Hospital, Mahim.

In this encounter S/Shri S. K. Babar, ACP, V. S. Kumbhar, Police Inspector, R. N. Jadhav, Sub-Inspector, S. G. Wavhal, Sub-Inspector, P. C. Bhosale, Sub-Inspector, A. S. Yeole, Sub-Inspector, J. A. Thakur, Sub-Inspector, and P. B. Gosavi, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 15th January, 1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 75-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Maharashtra Police :—

Name and Rank of the Officers

Shri A. B. Pote,
Inspector of Police, P. S. Vakola,
Greater Bombay.

Shri G. B. Chavan,
Sub-Inspector of Police,
D. N. Nagar P. S.,
Greater Bombay.

Shri M. G. Pimpalkar,
Sub-Inspector of Police,
P. S. Borivli,
Greater Bombay.

Shri S. G. Kamble,
Naik, P. S. Vakola,
Greater Bombay.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 5th June, 1992, the Addl. Commissioner of Police, North Region, Bombay, received information about a group of militants, who were indulging in exportion, abduction and other crimes in Bombay. The source also informed that they were moving about in a Maruti car and they will cross Dahisar Check-Naka during night. A team was formed and plan was made to trap the terrorists while crossing the Dehisar Check-naka.

The Police party carried AK-47 rifles, SLRs and 9 mm carbines, they were wearing bullet proof jackets. They selected an ambush site near the Dahisar Check-Naka and were in private vehicles. At about 2305 hours, the police personnel manning the National Park junction signalled on walkie-talkie that the suspected vehicle had passed the police surveillance car. This information was passed on to all the police parties detailed around the ambush site on walkie-talkies. At about 2310 hours, the said vehicle was seen approaching the Dahisar Check-Naka where Shri A. B. Pote, S. I. Gopi Chavan and others all armed with 9 mm carbines and were waiting in a Maruti Car. When the suspected vehicle approached the naka, a dumper was placed on the narrow lane to block the vehicle. The vehicle stopped, all the police personnel in the car jumped out and Inspector Pote and Sub-Inspector Chavan rushed to the car from the left side, while other Police personnel positioned themselves to give covering fire.

Another team, which was waiting in a van on the right side of the road, as the vehicle of militants stopped they jumped out of their vehicles and Sub-Inspector Pimpalkar and Naik Subhash Kamble rushed towards the car from the right side while other team personnel followed them cautiously to avoid cross fire and gave back-up to S. I. Pimpalkar and Naik Kamble.

One of the terrorist, who was occupying the front left seat of the car, took out a .32 calibre pistol and opened fire at S. I. Chavan. Shri Chavan swerved and took the bullet on his bullet-proof jacket and escaped unhurt. Shri Chavan quickly moved to overpower the terrorist and disarmed him. At the same time, the terrorist occupying the left rear seat took out his pistol and tried to open fire but Inspector A. B. Pote sprang and caught hold of the pistol and distracted the trajectory of the fire but the bullet recochetted off the road and struck one Sub-Inspector on the leg, who was in the rear group. Inspector Pote with tremendous courage and presence of mind dis-armed the terrorist of his 9mm Barretta pistol.

While the above action was taking place on the left side of the vehicle, Sub-Inspector M. G. Pimpalkar and Naik Subhash Kamble approached the car from the right side, pulled out the occupant of the right rear seat, who was trying to open fire with an AK-47 Assault Rifle. Inspite of the fact that Naik Subhash Kamble had no weapon, he was not deterred and did not show the slightest hesitation but went ahead and grappled with the terrorist and helped his colleague to disarm the terrorist of his AK-47 rifle. The driver of the car was pulled out by the officers. On search one .315 calibre country-made revolver with live cartridges were recovered from the driver. He was later identified as Deepak Kashiram Shukla. The arrested terrorists were identified as Inderpal Singh alias Rajbir Singh, Trilok Singh alias Baba and Harvinder Singh alias Tittu.

In this encounter S/Shri A. B. Pote, Inspector, G. B. Chavan, Sub-Inspector, M. G. Pimpalkar, Sub-Inspector, and S. G. Kamble, Naik, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 5th June 1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 76-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Maharashtra Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri P. P. Suryawanshi,
Sub-Inspector of Police,
Crime Branch,
Greater Bombay.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 1st February, 1992, an information was received by Detection of Crime Branch that some members of Dawood gang were to come in Kokan Nagar hutments, Bhandup (West) Bombay for exhorting money. After verifying the facts, a team comprising of 8 Inspectors, 12 Sub-Inspectors of Crime Branch alongwith a Special Operation Squad was formed under the supervision of Addl. C. P. (Crime). On reaching Konkan Nagar hutments at Bhandup, the team was divided into three groups first group took position on the hillock behind the hutments while the remaining two groups entered the hutments from different directions and started combing/search operations.

While the teams were searching the hutments, four persons with fire arms came out in a lane from behind Ahilya Vidyalaya. On seeing this, the police party disclosed their identity and asked them to surrender but they fired on the police party. The criminals, thereafter started running two of them ran towards the congested hutments while other two ran towards the police personnel. Two Inspectors chased the two criminals but they lost their track as the culprits vanished in the congested hutments.

The other two criminals were chased by S. I. Suryawanshi alongwith others. As the criminals entered Bhandup Complex area they were confronted by S/Shri Thakur and Yeole of the first group. Thus both the criminals were trapped between the two policee parties. On realising this, they started indiscrimate firing in both the directions. S/Shri Suryawanshi, Yeloe, Thakur and other fired at them. In the exchange of firing both the criminals sustained bullet injuries and collapsed. The police party disarmed them and removed them to Rajawadi Hospital but both were declared dead before admission. On search once Super Match COLD .38 bore pistol with two

live cartridges and one P. Beretta 9 mm pistol were recovered from the dead criminals.

In this encounter Shri P. P. Suryawanshi, Sub-Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 1st February, 1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 77-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Maharashtra Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri S. A. Khopade,
Deputy Supdt. of Police (Now Supdt. of Police),
Dhulia.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 13th February, 1982, Shri S. A. Khopade, Dy. Supdt. of Police received information that Sivram Budhya Bhagat and Balaram Budhya both brothers of village Dhansar, Taluka Panvel, District Raigad, dangerous outlaws who has caused a reign of terror and panic in the hilly Adiwasi area of Panvel Taluka, were taking shelter in a hut at the foot of Haji Malan hills. On 14th February, 1982, he arranged a raid with the assistance of Sh. B. Y. Bhangale, Sub-Inspector of Police, Sh. R. D. Ghosalkar, Head Constable, one Section of SRPF, two constables and 3 Panches of the public. Sh. Khop divided the police party into two groups and himself lead one group. On 14th February, 1982, he reached the hut alongwith Shri Ghoslkar, Head Constable and two SRPF Constables who were armed with .303 rifles. Absconding Balaram came out of the hut with his SBBL gun in his hand. He raised an alarm and fired his gun towards the police party. However, Shri Ghosalkar, Head Constable showed great courage and presence of mind and caught hold of the gun while Balaram was reloading it. The gun went off injuring both Head Constable Ghosalkar and one Panch witness Uttam Gowari. However, Shri Ghosalkar snatched the gun and hit Balaram in the head with the butt of the gun as a result of which Balaram fell down. The other brother Shivram hearing the noise came out of the hut and started firing at the police party rapidly with his double barrel of 12 bore gun. As a result of his firing S/Shri Khopade and Ghosalkar were injured badly. Inspite of being injured Shri Khopade rushed forward and opened fire at him. This drew desperado's attention towards Shri Khopade and he instantly fired at Shri Khopade which caused gun-shot injuries in his abdomen, right thigh and leg. Shri Khopade tried to return the fire by firing his revolver but he could not do so due to injuries. At that time Shivram was trying to release his brother from the clutches of Shri Ghosalkar when Shri Khopade ordered SRPF Constable K. N. Gosavi to open fire. Shri Shivram was killed on the spot while his brother Balaram died subsequently as a result of the injuries received by him in the encounter.

In this encounter Shri S. A. Khopade, Deputy Supdt. of Police (now Supdt. of Police) displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 13th February, 1982.

G. B PRADHAN
Director.

No. 78-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Maharashtra Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri A. R. Abdul Karim,
Inspector of Police, P. S. Ramnagar,
District Chandrapur.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On the intervening night of 1st/2nd December, 1991, Inspector Abdul Razak Abdul Karim of P. S. Ramnagar received information that 3 armed terrorists have taken shelter in a particular house in Arvindnagar locality on Mul Road, Chandrapur. He further learnt that the terrorists had come from Chandrapur in a Jeep. Shri A. R. Abdul Karim with the available police force reached there. He directed the police party to wait and he went in the locality to collect information, he noticed that the particular jeep was parked in front of the house of one Jagtar Singh. They also learnt that Jagtar Singh with his family had gone to punjab and his elder son was alone in the house. Thereafter the house was cordoned and it was decided that the operation would be carried out in the morning as in the darkness the terrorists might escape.

At about 9.30 hours in the morning, the police party noticed three persons coming out from the building. Immediately Shri A. R. Abdul Karim rushed towards them and challenged them but they suddenly opened fire on the police party and ran inside the building. Shri Abdul Karim directed his party to take position and return the fire. In the exchange of fire one terrorist sustained bullet injury and died. The remaining two terrorists escaped while firing on the police party. The police personnel chased the terrorist and later arrested one of them, who was hiding in the shrubs. He disclosed his name as Nishan Singh. The killed terrorist was identified as Pardhan Singh Puchad, he was newly appointed Area Commander of KCF in Bombay and Vashi areas of Maharashtra. During search 2 AK-47 rifles, 6 magazines of AK-47, 272 live cartridges, 6 detonators, 4 batteries and 100 Gms. lump of Sodium Cyanide were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri A. R. Abdul Karim, Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 1st December, 1991.

G. B. PRADHAN
Director.

No. 79-Pres/94.—The President is pleased to award the Bar to Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Maharashtra Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri J. A. Thakur,
Sub-Inpector of Police, Crime Branch,
Greater Bombay.

Shri A. S. Yeole,
Sub-Inpector of Police, Crime Branch,
Greater Bombay.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 1st February, 1992, an information was received by Detection of Crime Branch that some members of Dawood gang were to come in Kokan Nagar hutments, Bhandup (West) Bombay for exhorting money. After verifying the facts, a team comprising of 8 Inspectors, 12 Sub Inspectors of Crime Branch alongwith a Special Operation Squad was formed under the supervision of Addl. C. P. (Crime). On

reaching Konkan Nagar hutments at Bhandup, the team was divided into three groups—first group took position on the hillock behind the hutments while the remaining two groups entered the hutments from different directions and started combing/search operations.

While the teams were searching the hutments, four persons with fire arms came out in a lane from behind Ahilya Vidyalaya. On seeing this, the police party disclosed their identity and asked them to surrender but they fired on the police party. The criminals, thereafter started running— two of them ran towards the congested hutments while other two ran towards the police personnel. Two Inspectors chased the two criminals but they lost their track as the culprits vanished in the congested hutments.

The other two criminals were chased by S. J. Suryawanshi alongwith others. As the criminals entered Bhandup Complex area they were confronted by S/Shri Thakur and Yeole of the first group. Thus both the criminals were trapped between the two police parties. On realising this, they started indiscriminate firing in both the directions. S/Shri Suryawanshi, Yeole, Thakur and others fired at them. In the exchange of firing both the criminals sustained bullet injuries and collapsed. The police party disarmed them and removed them to Rajawadi Hospital but both were declared dead before admission. On search one Super Match COLD .38 bore pistol with two live cartridges and one P. Beretta 9 mm pistol were recovered from the dead criminals.

In this encounter S/Shri J. A. Thakur, Sub Inspector of Police, and A. S. Yeole, Sub-Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 1st February, 1992.

G. B. PRADHAN
Director

No. 80-Pres/94.—The President is pleased to award the Bar to Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Maharashtra Police :-

Name and Rank of the Officers

Shri M. A. Qavi,
Inspector of Police, P.S. Sahar,
Bombay.

Shri J. S. Patil,
Inspector of Police, P. S. Santacruz,
Bombay.

Statement of services for which the decoration has been awarded :-

On 24th January, 1991, at about 1930 hours, the officers and men of the Special Squad (formed to collect intelligence and arrest the criminals) spotted terrorist Baldev Singh entering the building, they immediately surrounded him and asked him to surrender. The terrorist responded with a hail of bullets from automatic weapons. The police personnel returned the fire with caution so that the innocent persons may not be hurt, as this was a thickly populated area. Inspector M.A. Qavi and Sub-Inspector B.S. Deshmukh crawled within 15 metres of the building from which fire was coming on the police party. They deflated the tyres of the terrorist's car, to prevent possibility of their escaping. The firing continued from 2100 hours on 24-1-91 to 0400 hours on 25-1-91. Thereafter, firing from the extremists side stopped. During search three dead bodies of extremists were recovered. Large quantity of arms and ammunition was also recovered from the place of encounter.

On clarification, the State Govt. have intimated that no doubt all the officers and men participated in this encounter had shown tremendous amount of courage and gallantry but the officers recommended for the award of gallantry Medals were mainly and solely responsible for the planning, execution and for leading the team in operation against the dreaded terrorists. The State Govt. have also mentioned that Asstt. Commissioner of Police Shri A. G. Kadam led and monitored this operation. He and Inspector J. S. Patil were at the fore-front where the terrorists hurled the hand-grenades and they escaped narrowly. The terrorists also fired at them indiscriminately with their sophisticated automatic assault rifles but still they remained at their positions undeterred preventing the escape of the terrorists. Inspector M.A. Qavi and Sub-Inspector Deshmukh deflated the tyres of the car of the terrorists and prevented their escape. These officers were under the armed cover of Police Sub-Inspector Pascal D'Souza, who also risked his life along with S/Shri Qavi and Deshmukh.

In this encounter S/Shri M.A. Qavi and J.S. Patil, Inspectors of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 24th January 1991.

G. B. PRADHAN.
Director

No. 81-Pres/94.—The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Manipur Police :—

Name and Rank of the Officers

Shri N. Lokhon Singh,
Sub-Inspector of Police,
Manipur.

Shri N. Mangi Singh,
Constable,
Manipur.

Shri Danil Mao,
Constable,
Manipur.

Shri M. Sorithing Tangkhul,
Constable,
Manipur.

Shri O. Jayadeva Singh,
Constable,
Manipur.

Shri N. Kuki,
Constable,
Manipur.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On receipt of information on 28th August 1992 about giving shelter to a group of PLA activists by one N. Uttam Singh of Thangmeiband Yumnam Leikai a Commando party of Imphal District consisting of Shri N. Lokhon Singh, ASI and five other constables raided the house of Uttam Singh.

Interrogation of Uttam Singh revealed that one L. Broien @ Lamdaiba of Kaishampat Thokchom Leikai was keeping one '38 revolver and one 36-HE hand grenade. The police party thereafter raided the house of L. Broien Singh and seized the same with 8 rounds of ammunition. After his interrogation the party raided the house of L. Tarun Singh @ Ibungo of Singjamei Thokchom Leikai and recovered 506 rounds of G-2 cartridges of foreign origin. After thorough interrogation of the aforsaid persons, the police party concluded that a group of seven or eight PLA extremists, well armed, were taking shelter in a house of T. Hijam Dewan Leikai. Because of paucity of time and without giving any clue to the insurgents, commando group took upon themselves the responsibility of smashing the PLA activist without waiting for reinforcements.

After reaching the locality at about 4.50 AM, the police party cordoned off the house of M. Devenkumar Singh, in

such a way that Constable Danil Mao and M. Sorithing Tangkhul, advanced towards the back door of the house, Constables N. Mangi Singh and Oinam Jayadeva Singh advanced towards the front door and ASI N. Lokhon Singh alongwith Constable N. Kuki proceeded from the southern side.

Suddenly, there was sound of a burst of fire from an automatic weapon from inside the house towards the west, which caused serious injury to Constable sorithing and Danil Mao. Left calf and chin of Constable Danil Mao's were shattered. Inspite of the painful bullet injuries, these Constables advanced and killed one youth who was rushing out of the room and was firing from an automatic fire-arm. In the exchange of fire, Constable Danil Mao exhausted his ammunition from the SLR and picked up the M-22 auto rifle held by the deceased extremist and continued firing inside the house.

In the meantime, two Constable from the Eastern side towards the front door took position by the side of the wall whereas Commander and Constable N. Kuki, also crawled by the side of the plinth of the house Abruptly, one youth firing from a stengun rushed out, firing from the front door of the house. Constable N. Mangi Singh, standing just behind the wall of the pucca building, swiftly returned the fire and killed the youth on the spot. Meanwhile, Constable Jayadeva swiftly sneaked inside the room and opened fire inside the room. Constable Mangi Singh also joined him and opened fire. Constable Ngamkhelen also entered from the door and also opened fire upon the extremists who were firing in all directions through the windows. Constable Th. Danil Mao, through injured was already present in the room. Shri N. Lokhon Singh, ASI also entered, firing from the back door. In the final assault, jointly by the police party, two more armed extremists, were killed inside the house and another one who had received bullet injuries on his persons, was still surviving inside the house.

During the encounter, 4 PLA underground members were killed on the spot and one more succumbed to bullet injuries on the way to hospital. The killed extremists were, later on, identified as (1) Huidram Mangi @ Thoithoi; (2) Laishram Patakan @ Birba; (3) Wajkhem Tendonba @Biswajit; (4) Chingtham Robindro @ Jilla; and (5) Nongthombam Dava @ Thaba.

In this encounter S/Shri N. Lokhon Singh, Sub-Inspector, N. Mangi Singh Danil Mao, M. S. Tangkhul, O. Jayadeva Singh and N. Kuki, Constables, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of President's Police Medal for Gallantry and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 28th August, 1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 82-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Manipur Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Nongthombam Lokhon Singh,
Asstt. Sub-Inspector of Police,
(Now Sub-Inspector),
Imphal.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On receipt of an information on 20th August, 1992 that some hardcore members of PLA would be coming to Top Awang Leikai, Shri N. Lokhon Singh, ASI along with six Constables laid an ambush from 3.00 P. M. at Top Awang Leikai near a culvert. At about 4.00 P. M., Shri Singh challenged two youths coming on a Yamaha Motor-cycle to stop. Without caring for the challenge, they speeded up their motor cycle and escaped towards Top Khongnangkhonng side along the western bank of Iril river. The police party chased the youths in the jeeps. Suddenly the motor cycle got struck in the mud and the ASI and his party got down from the jeep and rushed towards the fleeing youths. In an attempt to escape in different directions, one of the youths opened fire towards the ASI to prevent his advance. One of the fleeing extremists tried to remove the pin from a hand grenade to throw the same on Shri Lokhon Singh but the ASI promptly and accurately fired, hitting him on the head, killing him instantly, before the extremist could harm the ASI and his party. Shri Lokhon Singh continued to chase the other extremist but he made good his escape in the thickly populated village of Top Awang Leikai. The killed extremist was later on identified as Yendrembam Shyamkanhai Singh @ Ali who was wanted in several henious cases.

In this encounter Shri Nongthombam Lokhon Singh, Asstt. Sub-Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 20th August, 1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 83-Pres/94.—The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Mizoram Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Rokima, (*Posthumous*)
Constable, 1st Bn. MAP,
Mizoram.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 17th December, 1991, an information was received at N. E. Khewdungei BOP that armed HPC extremists Thangseia and Kalluanga, alongwith other nine HPC volunteers had visited Chishpui and Khawkawn villages for extortion of money. The police party was immediately detailed to pursue the HPC volunteers. On reaching Khawkawn village they learnt that the HPC volunteers had already left the village and went towards Tuivei river, bordering Mizoram and Manipur states. The police party chased them across the Manipur border upto Sinzawl village but could not overtake them.

On the morning of 18th December, 1991, the police party returned to Tuivai River, where two villagers informed them that the HPC volunteers have laid an ambush around the Sakeilui stream. For effectively combing, the police party divided themselves into two groups, one group comprising of five persons under S.I. Chhuanawama, who proceeded on the main road as stop party and other party comprising of three persons under Havildar Engkunga went upto the Jhugi field as drive out party. The HPC volunteers laid ambush on the hilly terrain, above the road, covered with thick forest and prepared their position so comfortably that it could not be seen from either side.

At about 11.00 A. M. on 18-12-91, when the police party entered into the ambush area, they were fired upon by the HPC volunteers equipped with 7.62 SLRs and SBBL guns, which was promptly returned by the police party. Meanwhile, Constable Rokima noticed HPC volunteers planting a bomb on the road side, which could eliminate the advance party. In the midst of heavy firing by HPC volunteers, and fully aware of the dangerous position, but without the slightest regard for his own life, Constable Rokima managed to diffuse the bomb by plucking the flexible wire out of the detonator. In the exchange of fire, Constable Rokima returned the fire with definite accuracy to the HPC position, killing two of their leaders Kalluanga and Chawngneihu which had serious impact on the part of the ambushers. Finding their leaders dead, the HPC concentrated their fire on Constable Rokima fatally injuring him. He later succumbed to his injuries. Seeing their leaders dead, the HPC volunteers could no longer hold their position and fled away towards the jungle, leaving behind

their fallen leaders, large numbers of arms and ammunition i.e. (1) 1.62 SLR, (2) 7.62 SLR with ammunitions—22 Nos. (3) two SBBL guns (4) one crude bomb and (5) eight SBBL cartridges were recovered from the place of encounter

In this encounter, Shri Rokima, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (1) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5, with effect from 17th December, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 84-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Mizoram Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri P. Lalhmingthanga,
Sub-Inspector,
CID (SB), Mizoram.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On the basis of reliable information, Special Operation Group consisting of six members under the command of S. I. P. Lalhmingthanga, was detailed to apprehend the top extremist leaders of HPC who were reported to be hiding at Dimapur. On reaching there, the police party contacted O/C Dimapur East P. S. and requested him for help in arresting these HPC leaders who agreed to provide help by accompanying with S. I. Shri Lalhmingthanga alongwith police force from Dimapur Police Station.

On 7th June 1992 at about 10.45 P. M., the combined Mizoram and Dimapur police party, after confirming the presence of these extremists, raided the house of Zalawara Hmar and Shri P. Lalhmingthanga challenged the inmates of the house to surrender. At this, the owner of the house and the HPC leaders switched off the lights and started firing on the police party. Realising the dangerous situation S. I. Shri P. Lalhmingthanga, at the risk of his personal safety rushed to the main door, broke open the main door, jumped inside the house and opened fire from his service revolver. During this encounter, Hmingchungnung, President HPC managed to escape by jumping out through the window, under the cover of firing. S. I. Shri P. Lalhmingthanga then jumped upon Thangliansung, General Secy of the HPC and overpowered him. In the meantime, one Constable and one Driver Constable of Mizoram Police also came inside the house and helped the S. I. in arresting Thangliansung, General Secretary who was involved many murder cases and heinous crime. In the exchange of fire, the Driver Constable sustained bullet injury in his left palm.

In this encounter Shri P. Lalhmingthanga, Sub-Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 7th June, 1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 85-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Orissa Police :—

Name and Rank of Officer

Shri Susanta Kumar Chand,
Sub-Inspector of Police,
P. S. Tangi, Cuttak.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 8th May, 1992 at 1240 p.m. Shri S. K. Chand, Sub-Inspector, received telephonic message that three criminals namely Kalia @ Debadullav Das alongwith his two associates had committed robbery in respect of cash of Rs. 1,11,582.77 from UCO Bank, located at Agrahat and escaped on a motor cycle. On receipt of the information, Shri Chand alongwith his party, comprising of one ASI, one Havildar and six Constables swung into action and proceeded towards Salagaon road by P. S. Jeep. On their way, Shri Chand intercepted the criminals coming from Salagaon side in a blue coloured Indo-Suzuki Motor Cycle at high speed.

Without caring for the signal to stop, the criminals tried to escape at high speed and geared the motor cycle towards "Panchavaya Duburi" and "Heta Duburi" hills through the open field leaving the main road. The Police party chased the criminals upto some distance but suddenly these three criminals left the motor cycle and started firing towards the police party. Sub-Inspector S. K. Chand also fired from his revolver and advanced on foot. The criminals continued indiscriminate firing on the police party with a view to scare and kill them. Sub-Inspector Chand ordered his police party to return the fire. In the encounter, two constables sustained gun shot injuries. In the meantime the criminals snatched a bi-cycle from a person on the point of revolver and ran towards Heta hill and kept firing towards the police party. At this juncture, S. I., S. K. Chand, at the risk of his life, chased them, fired at them and ultimately over-powered two of them namely Kalia @ Debadullav Das and Chagle @ Pradip Naik with the help of his staff. The third accused escaped and concealed in Heta hill. After sending these two criminals to Police Station, the police party started their search for the third criminal Mr. Muna who was hiding in the Heta hill. During the search, Mir Muna fired from his revolver at the search party which was also promptly returned by the S. I. and ultimately over powered him. He seized one country made revolver loaded with one .22 live ammunition and two .22 empty ammunitions. The police party also seized one country made pistol loaded with one .8 mm live ammunition and one spring knife from Kalia @ Debadullav Das, involved in 10 criminal cases, and one country made pistol loaded with one fired .8 mm ammunition from Chagala @ Pradip Naik.

Besides arms and ammunition, Sub-Inspector S. K. Chand, exhibiting exceptional courage and leadership, seized the cash box of UCO Bank, Agrahat Branch, containing cash of Rs. 61,582/- and the blue colour Indo-Suzuki motor cycle bearing No. OIC 4170. All the three dreaded criminals were injured and apprehended while 4 police personnel also sustained injuries, who were rushed to hospital for treatment.

In this encounter Shri Susanta Kumar Chand, Sub-Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 8th May, 1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 86-Pres/94.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned Officers of the Uttar Pradesh Police :—

Name and Rank of Officer

Shri Yogendra Pal Singh,
Constable,
Nainital.

Shri Ranvir Singh,
Constable,
Nainital.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 4th May, 1992 at about 1630 hours while Shri Yogendra Pal Singh and Ranvir Singh, Constables were on

duty at Maldhan Chaur—a remote Police Outpost of Ramnagar P.S., two persons approached the Outpost in a mini-bus of Forest Department and requested that police force be provided for prevention of illicit tree felling reported in that area. S/Shri Pal Singh and Ranvir Singh informed that they were the only two Constables present on duty at that time and it would not be possible to accompany them. The two persons having ascertained the strength of police force went away. Shortly afterwards 12-13 extremists armed with assault rifles came to the Outpost in a Forest Department mini-bus, surrounded the Outpost and amidst cries of 'Khalistan Zindabad' opened a fusillade of fire on the police personnel with the intention to kill and loot the arms and ammunition. Though S/Shri Yogendra Pal Singh and Ranvir Singh were hopelessly out-numbered, they did not lose their courage, flashed a message on their R.T. set for help, took defensive positions and gallantly engaged the extremists, effectively repulsed their attack and kept them at bay during the half hour of encounter. The extremists, on seeing the arrival of police vehicles, left their positions and fled from the scene.

In this encounter S/Shri Yogendra Pal Singh, Constable and Ranvir Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carry with them special allowance admissible under rule 5, with effect from the 4th May, 1992.

G. B. PRADHAN
Director

No. 87-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :

Name and Rank of Officer

Shri Rajendra Prasad Pandey, (Posthumous)
Constable,
Civil Police,
District Pratapgarh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 7th July, 1987, Shri Rajendra Prasad Pandey, posted in P.S. Kohraur was coming to Police Lines on C.E.R. duty. When he was reaching near Kumar Palace Cinema Hall, he noticed Shahid Parveez @ Parhatullah, wanted by local police. Shri Pandey even though not on duty, hence unarmed, knowing fully well that Shahid Parveez may cause danger to his life, immediately followed Parveez in hot chase risking his life. Seeing Shri Pandey in hot chase, Parveez suddenly turned, took out a big knife and plunged the knife into the chest of Shri Pandey who fell to the ground fatally injured. Another police personnel who was on duty nearby heard the cries of Shri Pandey. He noticed the fleeing criminal and arrested him. Later Shri Pandey was removed to Sadar Hospital where he was declared dead.

In this encounter Shri Rajendra Prasad Pandey, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 7th July, 1987.

G. B. PRADHAN
Director

No. 88-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :

Name and Rank of Officer

Shri Raj Pal Singh, (Posthumous)
Head Constable,
District Etah.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Shri Raj Pal Singh was posted as Gunner (PSO) to Shri Virendra Singh Solanki, the then MLA of Saket, Etah. On 16-1-1991 at about 2000 hours Shri Brij Bhan Singh, neighbour of Shri Bolanki fired at him as he suspected Shri Solanki of having informed the police of the involvement of Shri Brij Bhan Singh in making illicit weapons. At that moment Shri Raj Pal Singh on duty as PSO to Shri Solanki happened to see Brij Bhan Singh aiming at Shri Solanki and took the bullet in his chest and saved the life of Shri Solanki. In this process Shri Raj Pal Singh laid down his life while saving the life for whom he was deputed to guard, thereby laying down his life in the performance of his duty. In the meantime another Head Constable on duty at the same premises tried to overpower the assailant and fired from his own revolver but the assailant managed to escape.

In this encounter Shri Raj Pal Singh, Head Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of high order.

This Award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 16th January, 1991.

G. B. PRADHAN
Director

No. 89-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and Rank of Officer

Shri Vinod Kumar,
Dy. Supdt. of Police,
Kanpur.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

Shri Vinod Kumar, Dy. S. P. at about 15.15 hours on 28-1-1991, received information that notorious criminal Kamran @Changu alongwith his gang had assembled in a house at Chamanganj with a view to commit crime and also to create communal tension. Immediately on receipt of information, Shri Vinod Kumar, alongwith the available force, rushed to the spot and surrounded the house and challenged the criminals to surrender but the criminals took position inside the house and fired at the police party. Shri Kumar who was in the forefront leading the troops received gun-shot injuries. Undeterred by the injury, he managed to enter the house at great risk in the face of heavy fire by the criminals from inside. As Shri Kumar entered the house, one of the criminals who had taken position on the side of the door, aimed at him and was about to fire but Shri Kumar, picking up great courage and with a lightening speed, pushed the fire-arm upwards and over-powered the criminals Seeing the determination and courage displayed by Shri Kumar even in the injured condition, the other members of the police party boldly challenged the other criminals and arrested all the five members of the gang including Kamran @ Changu—the leader of the gang and one SBBL factory made gun with cartridge, 3 country made pistols and cartridges and 5 bombs were recovered from their possession.

In this encounter Shri Vinod Kumar, Dy. Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty to high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 28th January, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 90-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and Rank of Officer

Shri Surendra Singh,
Inspector of Police,
Rampur.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On the 28th September, 1991, Shri Gurdarshan Singh, Superintendent of Police, Rampur informed Shri Surendra Singh, Inspector, SHO, P. S. Bilaspur that some terrorists have kidnapped Shri Rama Shanker Dhanker, SDM, Bilaspur and Shri Ram Avtar Saxena, Kanoongo, Bilaspur and were planning to escape towards Bareilly together with the kidnappers. Immediately on receipt of information, Shri Surendra Singh collected the available force and reached the link roads leading to Bareilly. After careful study of the area Shri Surendra Singh laid an ambush and waited for the terrorists. At about 21.30 hours, Shri Singh detected the movement of 14-15 persons coming from Bishanpuri side. Shri Singh challenged them upon which the police party came under fusillade of intensive fire from assault rifles from the terrorists who entered the nearby sugarcane fields shouting slogans and continued their fire on the police party. Shri Surendra Singh realising the graveness of the situation, informed the position over wireless to Shri Gurdarshan Singh, S. P. and requested for reinforcement. Shri Gurdarshan Singh immediately rushed to the spot alongwith reinforcements and after taking stock of the situation again challenged the terrorists to surrender, but instead the terrorists opened indiscriminate fire on Shri Gurdarshan Singh and his party. Shri Gurdarshan Singh and his party including Shri Surendra Singh returned the fire, but the terrorists who were well entrenched behind the cover of sugarcane fields threw a hand-grenade at the police party causing injuries to Surendra Singh. Despite being in the open, Shri Surendra Singh and Shri Gurdarshan Singh led their men from the forefront and maintained pressure on the terrorists. The terrorists who were under tremendous pressure were compelled to flee under the cover of darkness leaving behind the kidnappers who were safely rescued by the Police.

In this encounter Shri Surendra Singh, Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 28th September, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 91-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and Rank of Officer

Shri Sharma Dutt Tyagi, (*Posthumous*)
Sub-Inspector,
District Aligarh.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On the night intervening of 12th/13th February, 1992 while Shri Sharma Dutt Tyagi, S. I. was on patrol duty alongwith two other constables, he received reliable information that some criminals had collected at the house of one Mahabir, about a kilometer from the town of Khair, and they were planning to commit some crime. Immediately on receipt of information, Shri Tyagi collected additional men from the Police Outpost, reached the area and surrounded the house where the criminals were suspected to have collected. After verifying the presence of criminals, Shri Tyagi positioned himself behind the main exit door and challenged the criminals to come out and surrender. One of the criminals, on hearing the warning, came out of the house and tried to escape, but Shri Tyagi foiled his attempt by promptly catching hold of the escaping criminal. The criminal, on being caught raised an alarm warning his associates, who responded by firing indiscriminately upon the police party from within the house. One of the criminals aimed at Shri Tyagi who was still holding the criminal and fired at Shri Tyagi who received serious injuries on the chest and succumbed on the spot. The criminal who was still in the tight grip of Shri Tyagi tried to make his escape but was caught and pinned down by other police personnel. The police party finally succeeded in arresting four criminals in all together with arms and ammunition.

In this encounter Shri Sharma Dutt Tyagi, Sub-Inspector of Police displayed conspicuous agllantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 13-2-1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 92-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :—

Name and Rank of Officers

Shri J. K. Shahi,
Deputy Supdt. of Police,
Banda.

Shri Dhirendra Singh,
Constable, Banda.
Shri Kamlesh Pande,
Constable, Banda.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On the 26th September, 1991, Shri A. K. D. Dwivedi, SP, Banda, received information that a notorious inter-district gang of Raj Karan active in U. P. and M. P. was present in the house of Parsadva Khumhar in 'Kumharan Ka Dera' under P.S. M.S. Mataundh immediately on receipt of an information Shri Dwivedi swung into action, collected a sizeable force from neighbouring Police Stations accompanied by S/Shri J. K. Shahi, Dy. S.P., J. P. Singh, Dy. S.P. S. K. Sharma, Dy. S.P. including Dhirendra Singh, Constable and Kamlesh Pandey, Constable. On reaching the village, Shri Dwivedi after carefully studying the location of house and situation, briefed the force and decided to form small parties. In all five parties were formed, the first party headed by Shri J. K. Shahi, Dy. S. P., the second by Shri J. P. Singh, Dy. S. P., the third by Shri S. K. Sharma, Dy. S. P., the fourth by Shri Dwivedi, S. P. while the fifth party was placed under one S. I. The first second and third parties were placed on the Southern, Eastern and Western respectively the fourth positioned near the house of Ram Asray Kumhar and the fifth was deployed as the outer cordon. At about 9.30 A. M. sensing the arrival of police, one of the dacoits came out of the house of Parsadva Kumhar to check the position, he immediately ran back and informed his associates who opened fire on the police parties. Shri J. K. Shahi, who headed the first party challenged the dacoits

to surrender, but they opened heavy fire on Shri Shahi and party. Shri Shahi left with no other option, opened fire in Self defence at the dacoits, who came out of the house and attempted to flee by taking advantage of standing Jawar Crops. Undeterred by the danger to his life, Shri Shahi fired upon the dacoits killing one of them. In the meantime the other parties closed in on the dacoits, who continued to fire on the police party, while trying to flee from the scene. Shri Dwivedi and his party chased the fleeing dacoits for nearly one and half kilometers and laid an ambush. Constables Dhirendra Singh and Kamlesh Pande, unmindful of the grave risk to their lives managed to reach closer to the dacoits. In the meantime Shri J. P. Singh and Shri S. K. Sharma also closed in on the dacoits. Shri Dwivedi crawled towards the dacoits and once again challenged them to surrender, but the dacoits replied with heavy firing. Shri Dwivedi, however, commened firing upon the dacoits and killed one of the dacoits. Shri Dhirendra Singh and Shri Kamlesh Pande, Constables who were already positioned near the dacoits accounted for the liquidation of two more dacoits, while two other dacoits managed to escape taking advantage of uneven surface and standing Jawar crops. In all, four dacoits were killed, who were later identified as (1) Kamlesh Arakh, (2) Manna Singh , (3) Vakil Arakh and (4) Jeet Arakh. One Spring-field rifle, 2 factory made SBBL guns, one factory made DBBL gun and a large quantity of live and empty cartridges were recovered from the killed dacoits.

In this encounter S/Shri J. K. Shahi, Deputy Supdt. of Police. Dhirendra Singh, Constable and Kamlesh Pande, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 26th September, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 93-Pres/94.—The President is pleased to award Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :-

Name and Rank of Officer

Shri Devendra Singh Digari,
Sub-Inspector of Police,
Civil Police,
Nainital.

Shri Shrikrishan Upadhyay,
Constable,
Nainital.

Statement of services for which the decoration has been awarded :-

On the 4th May, 1992, Shri S.K. Singh, Addl. S.P. (Operations) received information that Yadvendra Singh alias Yadu's gang would be visiting village Birla Majhola to take punitive action against the villagers who had dared to raise their voice against the atrocities being committed on them. Action upon this information, Shri S.K. Singh formed a team of dedicated police officials from police circle Khatima and members of the PAC Task Force, to tackle the gang.

The Police Party was equipped with assault rifles SLRs and 9 mm carbines. On reaching the village, the Police force was divided into several parties, of which one was placed near the house of retired Subedar Vishram Chand, the likely target of the wrath of the extremists. At about 2030 hours SI CP HNS Tewatia spotted four to five persons cautiously approaching the house of retired Subedar Vishram Chand. On seeing the furtive movements of these persons, SI Tewatia alerted his whole party and directed SI Devendra Singh Digari and 3 Constables including Srikrishan Upadhyay of PAC Task Force to occupy the ground floor rooms of the house and provide security to the family of Vishram Chand. Meanwhile, two terrorists taking advantage of the cover provided by the houses, cattle pond as well as of the darkness reached the house of Vishram Chand and one of them entered the room being occupied by SI Digari and SI Srikrishan Upadhyay. As soon as they entered the room, he sensed the presence of the police personnel in the room and immediately let loose a burst with his assault rifle causing grievous injuries on the thigh of Shri Krishan Upadhyay, who fell down to the ground in deep agony. The extremists thereafter turned upon SI Digari with the purpose of killng him, but Constable Srikrishan Upadhyay despite his severe injuries, displayed exemplary courage and valour by jumping upon the terrorist, getting hold of his rifle and saving the life on the Sub-Insp . by bringing down the terrorist, on the floor. The terrorist made desperate efforts to free himself from the clutches of Srikrishan Upadhyay, Constable but the Constable, though seriously injured, held on the extremist. The terrorist, however, managed to fire a burst from his assault rifle on SI Digari, who had a miraculous escape. SI Digari, however, did not lose his composure and fired upon the terrorist with his assault rifle, killing him on the spot. The dead extremist was subsequently identified as Paramjeet Singh alias Pamma r/o village Shahwala, P.S. Zeera, District Ferozepur, Punjab.

One AK-56 rifle alongwith magazine and 52 rounds and one autofocus camera were recovered from the deceased extremist Pamma was involved in many crimes. Throughout the encounter S.I. Devendra Singh Digari exhibited valour and devotion to duty of a high order in liquidating a hardcore extremist.

In this encounter S/Shri Devendra Singh Digari, Sub-Inspector and Srikrishan Upadhyay, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 4th May, 1992.

G. B. PRADHAN,
Director.

No. 94-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :

Name and Rank of Officers

Shri O. P. Dixit,
Sr. Supdt. of Police,
Etah.

Shri B. K. Chaturvedi,
Dy. Supdt. of Police,
Etah.

Shri A. H. Khan,
Sub-Inspector of Police,
Etah.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On receipt of the information at 8.00 A.M. on 10-3-92 that Nawal Singh Yadav @ Nabba alongwith his associates was hiding in a guava grove near village Nagla Kishori, P.S. Patiyali, Shri Aley Hasan Khan informed Shri O.P. Dixit about the presence of the gang and requested for reinforcement. Shri Dixit immediately directed the Station officers of P.S. Patiyali, Gang Dundhawara, Songarhi and Sidhupra to proceed to P.S. Patiyali alongwith the available police force. He also directed Shri B.K. Chaturvedi, Dy. S.P. Marehra and one Reserve Inspector, Etah with a contingent to reach at the spot. Shri Dixit reached Patiyali around 0900 hrs. and took charge of the anti-dacoity gang operation. After taking stock of the situation Shri Dixit briefed the assembled force and divided it into four units. He himself led the advance party No. 1 which included Shri Aley Hasan Khan. The second party was led by Shri B.K. Chaturvedi . One of the two stopper parties, led by an Inspector of Police, P.S. Pativali was positioned around village Nagla Kishori to seal the possible escape route of dacoits and

the other party led by Station Officer, Songarhi was positioned in the ravines of river Boorhi Ganga.

Thereafter Shri Dixit directed the two advance parties to proceed towards the target area. He with his party moved towards the guava grove and after confirming the presence of the dacoits in the grove, he warned the dacoits to surrender. The dacoits in return opened fire on the police party and S/Shri Dixit and Alcy Hasan Khan had a narrow escape. Thereafter exchange of fire took place between the police and the gang of dacoits and in the course of which Shri Chaturvedi received gun shot injuries but he continued firing on the dacoits and kept them at bay. He also encouraged the party personnel to go ahead. He was taken to Distt. Hospital for treatment. Shri Anokhey Lal Yadav, Reserve Inspector took his place and maintained a sustained pressure on the gang but the dacoits could not be flushed out despite heavy police firing, who were hiding in the abundant growth of elephant grass. Shri Dixit then asked to lop VLP shells to set the dry grass on fire. The resultant fire forced the dacoits to come out from their hiding and 5 of them ran towards river Boorhi Ganga and managed to hide themselves in the wheat filed.

The Advance parties then decided to encircle the wheat field and while moving to that direction, they found 2 dead bodies of the dacoits who had been shot in the exchange of fire. While the police force encircled the wheat field, the gang leader Nabba kept the police at bay by intermittent firing till sun-set so that the gang could attempt to escape under the cover of darkness. Shri Dixit again warned the remaining dacoits to surrender but the dacoits ignored this warning also. Thereafter a few grenades were hurled in the field by the police force. Shri Dixit also hurled a grenade. He then decided to storm the area and he alongwith Shri A. H. Khan and police personnel moved towards the field. Seeing the police party closing in, the dacoits panicked and opened fire disclosing their position. Though S/Shri Dixit and Khan were exposed to dangerous fire but they remained undeterred and returned fire in self-defence. As a result of which 2 dacoits were killed on the spot. S/Shri Dixit and Khan again challenged the dacoits to surrender but finding no response or firing from the dacoits, they started combing the wheat field which led to the recovery of more dead bodies of dacoits at different places in the field. In all seven dacoits, namely, (1) Nawab Singh; (2) Vijay Singh; (3) Chob Singh; (4) Ibrahim @ Mulla; ; (5) Sabbal Singh; (6) Ram Baran; and (7) Ballister Singh were killed in the encounter.

In this encounter S/Shri O. P. Dixit, Sr. Supdt. of Police, B. K. Chaturvedi, Dy. Supdt. of Police, and A. H. Khan, Sub-Inspector, displayed conspicuous gallantry courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 10th March, 1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 95-Pres./94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police.

Name and Rank of Officer

Shri Jaipal Singh Tomar, *(Posthumous)*
Sub-Inspector,
Rampur.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

Shri Jaipal Singh, S. I. alongwith one S. I. and one Constable was deputed to collect intelligence about extremists from Sikh Jhalas lying in Rampur District. On 18-3-1991 in order to carry out the allotted task, the Police party reached Jhala of Harpal Singh, Pradhan of village Pushmera at about 2000 hours. While they were in conversation with the Pradhan, Shri Tomar noticed two persons coming on a motorcycle towards the house of Harpal Singh, but on seeing the presence of police personnel, they turned and fled. Shri Tomar seeing act of the motorcycle borne persons very suspicious, was fully convinced that they were the terrorists and decided to chase them on his motorcycle, which however, did not start due to some mechanical fault. Immediately Shri Tomar asked his colleagues to start their motorcycle and the three policement rode on one motorcycle and followed the fleeing terrorists in hot chase. After a hot chase for about 2 kms. the policemen drew parallel with the extremists, but the terrorist sitting on the pillion suddenly opened fire and severely injured Shri Tomar. Shri Tomar undeterred by the injuries on his chest, immediately pulled out his revolver and fired back at the terrorist and shot him dead on the spot before succumbing to his injuries. He breathed his last only on completion of his task. The other members of the police party chased the other terrorist, who managed to escape in the fields

In this encounter Shri Jaipal Singh Tomar, Sub-Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 18th March, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 96-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :

Name and Rank of Officers

Shri Jitendra Pal Singh Yadav, *(Posthumous)*
Inspector of Police,
P. S. Pooranpur,
District Pilibhit.

Shri Mohan Lal,
Constable,
District Pilibhit.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 27th April, 1992 an information was received about the presence of 25—30 terrorists in the forest of Maini Guledia. On receipt of this information an ambush plan was chalked out and police force was placed on the Canal of Kheri Branch bridge of Barehi Lihari and Bharari to contain the movement of the terrorists. In the meantime additional police force was directed to assemble at Mandi Samiti, Pooranpur and directed to reach Simra Rajpur where the force was divided into three groups each headed by S. I. The first party was deployed at Ghat Maini, the second at Jungal Ghat of Maini Guledia and the third at Maini Guledia which were the main crossing points to the forest, while the remaining force started combing operations in the Rajpur's Dujhiya and Sultiyapur forests. At about 9 A.M. on 28-1-1992 an information was received that the terrorist gang was seen in the eastern part of Maini Guledia forest. Immediately on receipt of this information, Shri Jitendra Pal Singh Yadav collected the force at Jungle Ghat, divided it into three groups, the first headed by Shri Jitendra himself including Shri Mohan Lal, Constable and the three groups were directed to move in a line under the leadership of Shri Jitendra.

At about 1100 hours while the parties were moving towards village Mosepur in an open line combing operation, Shri Jitendra sighted the terrorists gang about 4 furlongs away from the jungle Ghat on the eastern side. Shri Jitendra challenged the terrorists and moved towards them without caring for his life and directed his party to take position. The terrorists raised "Khalistan Zindabad" slogans and challenged the police party, and opened fire on them. The police parties also opened fire in self defence. Shri Jitendra and Shri Mohan Lal, Constable without caring for their lives moved

nearer towards the terrorists firing with their weapons with determination and purpose. They also tried to narrow the circle in order to apprehend the terrorists. In the encounter that followed, Shri Jitendra Pal Singh Yadav being in the forefront of the line of attack lost his life by a sudden burst of fire from the terrorists, while Constable Mohan Lal was seriously injured. Despite this setback the police force did not lose their courage and continued to put pressure on the terrorists and chased them into the thick forest. At about 4.00 P.M. the terrorists gang was again encircled by the Police force near village Musepur and an exchange of fire took place for about half an hour which resulted in the death of one hardcore terrorist identified as Nirvail Singh @ Mand from whose possession one AK-56 rifle with live/empty cartridges were recovered.

In this encounter Shri Jitendra Pal Singh Yadav, Inspector and Shri Mohan Lal, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 27th April, 1992.

G. B. PRADHAN
Director

No. 97-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and Rank of Officers

Shri Surendra Kumar Tyagi,
Sub-Inspector of Police,
Distt. Bijnor.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On the 19th January, 1992 Shri Surendra Kumar Tyagi, Station Officer, Afzalgarh was returning back alongwith police personnel of Special Police Force after laying an ambush operation upto 9 P.M. along the bank of river Jamunawala. On their way they conducted search of 'dera' of one Darshan Singh of village Chandika. Thereafter they reached near a Shiv Mandir where a number of villagers were sitting. They informed Shri Tyagi that five or six Sikhs armed with weapons and boarded on a tractor were seen going on the road adjacent to the river. Shri Tyagi alongwith his party followed the tyreprints of the tractor on moonlit night and reached near the dera of one Major Singh at about 10.45 P.M. With a view to conduct search of the dera, the available force was divided into three groups, the first headed by Shri Tyagi alongwith his men were to move towards the dera from the west side, the second party headed by a Sub-Inspector was to move ahead from the eastern side and the third party headed by a Head Constable was detailed to move from southern side. All the parties took their positions and carefully moved towards the dera.

Meanwhile six armed persons came out of the western gate of the dera and moved towards a tractor standing nearby. As one of them started the tractor and the others were about to board it, Shri Tyagi challenged the extremists to surrender as they were within the police net. Upon this the extremists fired a hail of bullets hit the rifle of a Constable breaking its outer band. Undeterred by the immense danger to his life, Shri Tyagi moved ahead and returned the fire with his AK-47 rifle killing one of the terrorist, while the others took cover and opened fire on the police party. The police party under Shri Tyagi returned the fire as a result one more terrorist was killed. This created confusion among the remaining terrorists who resorted to reckless firing while raising slogans "Khalistan Zindabad". Thereafter they tried to escape towards the eastern side where they were confronted by the other party led by S. I. Rajbir Singh. He by showing great courage and presence of mind, threw hand grenades on the terrorists, but the terrorists managed to escape and fled away. One 303 rifle and one 315 bore rifle alongwith large number of cartridges were recovered from the dead terrorists.

In this encounter Shri Surendra Kumar Tyagi, Sub-Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 19th January, 1992.

G. B. PRADHAN
Director.

No. 98-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :

Name and Rank of Officers

Shri Gajendra Singh, *(Posthumous)*
Constable, Civil Police,
District Kanpur Nagar.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On the 26th November, 1991 Constable Gajendra Singh, who was on leave went to village Shahdabbar, Distt. Muzaffarnagar for some personal work. On the same day at about 100 hours, six anti-social elements entered village Shahdabbar in vehicle No. USV-2972 and kidnapped one Smt. Geeta, w/o Shri Babu Balmiki. Smt. Geeta and some villagers who saw her being kidnapped raised an alarm and cried for help. Shri Gajendra Singh, who was at that time waiting at the bus stand for return journey to Muzaffarnagar heard the cries for help and immediately leapt to her rescue. Shri Gajendra Singh without caring for his life confronted the kidnappers and rescued Smt. Geeta from the clutches of the kidnappers. He also managed to capture one of the culprits. On seeing this, the other miscreants fired upon Constable Gajendra Singh in an attempt to free their accomplice from his clutches. In this scuffle Shri Gajendra Singh was fatally injured and succumbed to his injury on the spot. In the meantime, the villagers who had gathered there managed the apprehend four of the miscreants and gave them a good thrashing, while two of the miscreants managed to escape.

In this encounter Shri Gajendra Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 26th November, 1991.

G. B. PRADHAN
Director

No. 99-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :

Name and Rank of Officers

Shri Brij Lal,
Sr. Supdt. of Police,
Meerut.

Shri Brijpal Singh Solanki,
Sub-Inspector of Police,
Meerut.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

At about 9 A. M. on 22-6-1992 Shri Brij Lal, SSP, Meerut received information through an informer that Shri Tej Pal and his associates had been staying in village Ustran of District Bulandshahr. Immediately on receipt of this information, Shri Brij Lal alongwith Brijpal Singh Solanki, S. I. proceed-

ed to village Ustran in the guise of farmers to precisely locate the hide-outs of Tej Pal. On return Shri Brij Lal got in touch with nearby Police Stations and directed them to assemble at a point with available force. The police force then boarded a private bus No. UHN-1829 on hire with stickers pasted on the galass which read 'SHAKEEL AHMAD WEDS HAMEEDA' and proceeded to village Ustran in the guise of a marriage party. On reaching the village Shri Brij Lal was informed that Tej Pal and his associates were present in the fields of one Khem Chand situated along the bank of Kali Nadi, and were armed with sophisticated weapons. Shri Brij Lal divided the police force into three parties, the first lead by Shri Brij Lal himself which included Shri Brijpal Singh Solanki, the second party led by Station Officer, Bahsuma was directed to proceed along the eastern side, the third party led by Station Officer, Kharkhauda was directed to go across the Kali Nadi and proceeded along the western direction. Shri Brij Lal and his party decided to confront the desperadoes.

Shri Brij Lal and his party reached near the Kali Nadi where they saw three armed desperadoes sitting at a distance, who on seeing the police party, approaching them took positions and opened fire at the police party, Shri Brij Lal challenged the desperadoes to surrender as they were in the police net, but Tej Pal and his accomplices responded with abuses and showered a volley of bullets on Shri Brij Lal who had a narrow escape. Undeterred by the immense danger ahead Shri Brij Lal jumped down the shore of Kali Nadi and fired at the desperadoes. Encouraged by the gallant leadership Shri Brij Pal Singh Solanki, S. I. and other members of his party, opened fire at the desperadoes in self defence. After sometime the firing from the desperadoes stopped. Shri Brij Lal moved ahead and found one desperado was dead, while the other two had crossed the river where they were chased by party number three. However, they managed to escape. The dead criminal was identified as Tej Pal Gujjar who was involved in more than two dozen cases of murder, kidnapping etc. and carried a reward of Rs. 1,00,000/- on his head. One automatic pistol CAL 7.63 alongwith live/fired cartridges were recovered from the dead criminal.

In this encounter S/Shri Brij Lal, Sr. Supdt. of Police and Brijpal Singh Solanki, Sub-Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 22nd June, 1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 100-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the West Bengal Police :

Name and Rank of the Officer

Shri Dil Bahadur Sunwar,
Naik No. 453,
Eastern Frontier Rifles,
III Bn. Salua Midnapore.

Shri Ashoke Kumar Santhe,
Constable/549 of IB,
West Bengal.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

Three terrorists armed with two AK 47 Rifles and a Pistol, killed ten persons, including four police personnel and grievously wounded twenty two others, including four police men. Three service weapons were snatched from the slain policemen. They also hijacked four vehicles including a police jeep. One of the terrorists was killed in an encounter with the CID team on 10-1-1991. Two others had escaped and had taken refuge in the rocky areas of Joypur PS and were yet to be located.

On 10-1-1991, three encirclement groups were formed, headed by the senior officers including one by the DGP. The operation began on 11-1-1991 at about 0400 hrs., when the encirclement groups, made the two terrorists move out of their hiding. They started proceeding towards the Bihar border and were sighted by the villagers of Dhabani, PS Joypur, who informed the local police. The latter in turn informed the Purulia Police Control Room and the DGP at about 8.30 hrs. that the two terrorists were moving towards a forest at Hargara, adjoining Dhabani village.

The DGP immediately alerted the three encirclement groups and started chasing the fleeing terrorists on the same route taken by them alongwith the villagers. After traversing a distance of 2 Kms. on foot, two to three round of firing were heard. At this DGP's party changed its direction towards the way from which the sounds emanated. After reaching a clear terrain, DGP observed the terrorists firing 2/3 shots to keep the villagers away following them. On seeing the police party, led by the DGP, the terrorists took up position behind a mound at a distance of 300 yards from the DGP's party, consisting of among others, his personal Security Guard Constable Ashoke Kumar Santhe of Intelligence Branch and Naik Dil Bahadur Sunwar. While moving closer to the target the GDP repeatedly warned the terrorists to surrender but in vain.

The firing had by then continued and finding no response for surrender, it was felt to proceed further in crawling position with a limited number of police force, for preventing any undue loss. Ultimately, DGP, IGP (HQ), Naik Dil Bahadur and Constable Ashoke Kumar Santhe, advanced further for providing the covering fire for the rest. By then, the advance party reached within about 25 yards of circular mound, behind which the two terrorists had taken shelter. At this crucial juncture, Constable Ashoke Kumar broke away from the advance party, and climbed over the mound behind the terrorists and fired 3 shots from his service revolver and retreated to join up with Naik Dil Bahadur. In a rare act of courage, the Naik and the Constable further closed in on the target area. The Constable took the Sten Gun from the Naik and fired a short burst at the precise location behind the mound where the terrorists had taken cover and thereafter Naik Dil Bahadur fired 17 rounds from his Sten Gun. Afterwards, there was no return of fire from the terrorists for about 15 minutes. When the DGP and IGP (HQ) decided to mount the final assault, they found the two terrorists lying on the ground profusely bleeding and appeared to be dead. Two AK 47 Rifles, one Pistol, 25 rounds of ammunition and other incriminating evidence were seized from the deceased.

In this encounter S/Shri Dil Bahadur Sunwar, Naik and Ashoke Kumar Santhe, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 10th January, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 101-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Delhi Police :-

Name and Rank of the Officer

Shri Amrik Singh,
Asstt. Commr. of Police,
Delhi Police.

Shri Shyam Singh,
Asstt. Commr. of Police,
Delhi Police.

Shri Ravi Shanker,
Inspector of Police,
Delhi Police.

Shri Rajinder Singh Chhikara,
Inspector of Police,
Delhi Police.

Shri Yasbir Singh,
Constable,
Delhi Police.

Shri Jaswant Singh
Constable,
Delhi Police.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

During the course of investigation of hardcore terrorist Vijay Pal Singh @ Happy of Babbar Khalsa International by a team of police officers headed by Shri Amrik Singh, ACP Vipay Pal Singh disclosed the hideout of other terrorists viz. Amarjit Singh @ Ladi and Bhai Sahib @ Manjeet Singh belonging to his group. He further told that they were planning to make an attempt on the lives of S/Shri Sajjan Kumar, M.P., H.K.L. Bhagat, President, Delhi Pradesh Congress (I) and Jagdish Tytler, then Minister of Surface Transport on the Independence Day Celebrations.

On 11th August, 1992, at about 4.00 A.M. a police party under the supervision of DCP, Special Cell (SB), Delhi including S/Shri Amrik Singh, ACP, Shyam Singh, ACP, Ravi Shanker, Rajinder Singh, Inspectors, Yashbir Singh and Jaswant Singh, Constables, went to DDA flats Paschim Vihar to locate the hide-outs of the terrorists. The accused (terrorist) Vijay Pal Singh was also taken alongwith who disclosed that the last two digits of the house of Amarjeet Singh @ Ladi are "96" and that the terrorists had a Motor Cycle No. DL-4S-G-1245. Accordingly, S/Shri Rajinder Singh Chhikara and Shri Ravi Shanker searched the motor cycle and found it parked under house No. 396 which confirmed that the said terrorists were staying in that house. Thereafter Inspector Rajinder Singh Chhikara alongwith one Sub-Inspector took position near a park and other members of the police party made a nakabandi of the colony. At about 7.15 one terrorist Amarjeet Singh came out of the house. Shri Rajinder Singh Chhikara and the Sub-Inspector followed him in the colony and the staff sitting in the Maruti Van followed from the outer cordon of the locality. The terrorist got suspicious and fired from his pistol on Shri Rajinder Singh Chhikara and his colleague. They both fired back on him from their service revolvers and chased him but while firing, the terrorist entered into the lanes of the Kothis in front of the colony. Other police personnel also chased him but he disappeared in the Kothis. Thus without losing any time the police parties surrounded the house in question.

After conducting the survey of the house, the police party was divided into two groups. One party headed by Shri Shyam Singh, ACP-Operations Cell alongwith Inspector R. S. Chhikara, Constables Yashbir Singh and Jaswant Singh went upstairs on the third floor of the flat. Whereas the other party headed by Shri Amrik Singh, ACP alongwith Inspector Ravi Shanker and other police personnel positioned itself at the rear of the house to block the escape of terrorists.

Inspector R. S. Chhikara knocked at the door of the house of the militants. At this, the terrorist slightly opened the wooden door keeping the iron gate closed and on seeing the police party, he immediately slammed it back. Thereafter, he opened fire from the kitchen window with automatic weapons at the police party. In the firing by the terrorist, Constables (Commando) Yashbir Singh and Jaswant Singh were injured. Undeterred by the burst of fire from inside the house, Shri Shyam Singh, ACP and Inspector Rajinder Singh Chhikara fired back and did not leave the ground. They kept on firing at the front door to foil any attempt by the militants to escape.

In the meanwhile, the militant went to the rear side of the flat where he was encountered by Shri Amrik Singh, ACP and his party. The militant also lobbed two hand grenades on the police personnel but due to alert response from Shri Amrik Singh, ACP, the terrorists could not succeed in their aim. In the face of grave danger and risk to their lives, Shri Amrik Singh, ACP and Inspector Ravi Shanker fired back at the terrorists and forced them to retreat inside the house. By the time, senior officers and more force alongwith Commandos reached the spot.

In the meantime, Inspector Ravi Shanker and one Sub-Inspector went on to the roof top to give covering fire and to block escape route of the militants. The police parties kept on firing on the house from both sides and blocked all possible routes of escape of the militants. The militant kept on firing at the police parties from inside the house. Thereafter, police personnel made a hole in the roof of the house of militant and lobbed tear gas shells in the house. The police personnel while firing broke open the door and found terrorist Manjit Singh and his wife Harjinder Kaur dead in the drawing room of the house. During search one AK-56 Assault Rifle, 3 loaded magazines and large quantity of live/empty cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri Amrik Singh, ACP, Shyam Singh, ACP, Ravi Shanker, Inspector, Rajinder Singh Chhikara, Inspector, Yashbir Singh Constable, and Jaswant Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 11th August, 1992.

G. B. PRADHAN,
Director

LOK SABHA SECRETARIAT

(ESTIMATES COMMITTEE BRANCH)

New Delhi-110 001, the 26th May 1994

No. 4/2/EC/94.—The following Members of Lok Sabha have been elected to serve on the Committee on Estimates for the term beginning on 1st May, 1994 and ending on 30th April, 1995 :—

1. Shri B. Akbar Pasha
2. Shri A. Asokaraj
3. Shri Pawan Kumar Bansal
4. Dr. Krupasindhu Bhoi
5. Shri Anadi Charan Das
6. Smt. Saroj Dubey
7. Shri Chhitubhai Gamit
8. Dr. Parshuram Gangwar
9. Shri Bhupinder Singh Hooda
10. Shri Imachalemba
11. Shri Barelal Jatav
12. Shri Dau Dayal Joshi
13. Smt. Sumitra Mahajan
14. Shri Suraj Mandal
15. Shri K. M. Mathew
16. Shri Bhubaneshwar Prasad Mehta
17. Shri Ajoy Mukhopadhyay
18. Shri Kabindra Purkayastha
19. Shri Mohan Rawale
20. Shri Sudarshan Raychaudhuri
21. Shri K. P. Reddaiah Yadav

22. Shri Rajnath Sonkar Shastri
23. Shri Rampal Singh
24. Shri Satya Deo Singh
25. Shri K. D. Sultanpuri
26. Shri P. C. Thomas
27. Shri Arvind Trivedi
28. Shri Laeta Umbrey
29. Shri Sobhanadreeswara Rao Vadde
30. Shri Devendra Prasad Yadav

The Speaker has appointed Dr. Krupasindhu Bhoi, M. P. as the Chairman of the Committee on Estimates (1994-95).

P. K. SANDHU,
Dy. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPTT. OF AGRI. & COOP.)

New Delhi, the 24th May 1994

RESOLUTION

No. 4-23/94-My. (I&P) Vol. II.—In supersession of all previous resolutions issued in this regard, the Government of India have decided to reconstitute the Central Agricultural Machinery & Implements Development Council with effect from the date of issue of this resolution.

2. The composition of the Council will be as under :

I. Chairman

Secretary (Department of Agriculture & Cooperation).

II. Members

1. Additional Secretary, I/C. Agricultural Machinery Deptt. of Agriculture & Coopn.
2. Agriculture Commissioner, Deptt. of Agriculture & Coopn.
3. Horticulture Commissioner, Deptt. of Agriculture & Coopn.
4. Representatives from :
   (i) Planning Commission.
   (ii) Department of Small Scale, Agro and Rural Industries.
   (iii) Department of Industrial Development.
   (iv) Indian Council of Agricultural Research.
   (v) Bureau of Indian Standards (BIS).
5. Director, Central Institute of Agricultural Engineering, Bhopal.
6. Two Managing Directors/Chief Engineers of State Agro Industries Corporation. Presently, Managing Director of the Punjab Agro Industries Corporation and Andhra Pradesh Agro Industries Corporation.
7. Two State Secretaries (Agriculture)/ Director (Agriculture) (By rotation of State other than mentioned at Sl. No. 6 above) Presently Secretary Agriculture of the States of Orissa & Gujarat.
8. Two representatives from Tractor Manufacturers Association.
9. Two representatives from Power Tiller Manufacturers Association.
10. Two representatives from Combine Harvester Manufacturers Association.
11. Two representatives from Association of Small Scale Manufacturers.

Non-Official Members

12. (i) Shri K. Rajmohan Unnithan, Kampiyil House, Quilon-4, (Kerala), (w.e.f. 29-1-1992 to 28-1-1995).
    (ii) Shri Mir Singh Choudhary, Gajraj Bhawan, Near Tamby Petrol Pump, Sikar Road No. 1, Jaipur-302 013, (w.e.f. 29-1-92 to 28-1-95).
    (iii) Shri Ajit Mahapatra, Kalinga House, Rasulgarh, Bhubaneswar-751010.
    (iv) Shri S. Sarkar, Resident General Manager, Mahindra & Mahindra Ltd., Jeevan Deep, Parliament Street, New Delhi-110001.
    (v) Shri Bhupinder Singh Hooda, Member of Parliament (Lok Sabha).

III. Member Secretary

Joint Secretary (Machinery), Department of Agriculture & Cooperation.

IV. Secretary

Joint Commissioner (Machinery), Department of Agriculture & Cooperation.

3. The members from II (6) to II (12) will be nominated by the Government of India for a period of three years except at S. No. 12 (i) & 12(ii). The Chairman is also authorised to invite suitable experts and representatives of the Central and State level agencies to the Council meetings.

4. The Government of India may nominate, from time to time, additional members to represent interests not already represented on the council.

5. The Council will be an advisory body and will have the following functions :—

(i) Promotion of Agricultural Mechanisation in the country.

(ii) Promoting research in the matter related to production, new equipment and services.

(iii) Recommending targets for production, coordinating production programmes and reviewing of programmes from time to time.

(iv) Manufacture, quality control, distribution, after sale service, repairs, maintenance, training and credit facility in relation to agriculaural mechanisation.

(v) Development, introduction and popularisation of agricultural machinery.

(vi) Promoting standardisation of products.

(vii) Promoting safety aspects in the use of agriculaural machinery.

(viii) Advising on any matters related to Agricultural Mechanisation on which Central Government may request the Development Council.

6. The Council will meet periodically at such time and place as may be decided by the Chairman.

7. The Council may, by resolution, appoint Committee (s) for advising it in connection with agricultural mechanisation and for any other purposes as it may deem fit.

8. T. A. and D. A. of non-official members shall be paid as for Group 'A' Officers from out of the budget provisions of the Department of Agriculture and Cooperation.

9. Payment of T. A. & D. A. (including conveyance allowance) to the Member of Parliament nominated as non-official member on this council, will be regulated under the Salary, Allowance & Pension of Member of Parliament Act 1954 and rules made thereunder as amended from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrators of Union Territories and the Departments of the Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ATUL SINHA,
Jt. Secy.

(DEPTT. OF ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING)

New Delhi-110001, the 24th May 1994

RESOLUTION

No. 43-49/91-LDT.—In continuation of this Ministry's Resolution No. 43-49/91-LDT dated 9-2-1994, the entry against Member Secretary may be read as under :—

"Joint Secretary, Deptt. of Animal Husbandry & Dairying".

AKD JADHAV,
Jt. Secy. (A&IC)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 23rd May 1994

RESOLUTION

No. Hindi/Samiti/91/38/1.—In continuation of the Ministry of Railways (Railway Board)'s Resolution of even number dated 5-2-93, Sh. Girdhari Lal Chandak, 100, G. N. Chetty Road, T. Nagar, Madras-600017 is nominated as non-official member of Railway Hindi Salahkar Samiti constituted under the Ministry of Railways.

The terms and conditions concerning Shri Chandak will be the same as mentioned in the above Resolution dated 5-2-93.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats and all Ministries and Departments of Government of India.

ORDERED that the Resolution be published in Gazette of India for general information.

MASIHUZZAMAN,
Secy., Railway Board &
Ex-officio Addl. Secy.
to the Government of India

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1994
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1994